खण्ड-234, अंक-10
शनिवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(22 सितम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	११२७–११३०
प्रश्नोत्तर	११३१–११३३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएँ	११३३–११३६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	११३६–११३७
सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	११३७–११३८
श्री उग्रसेन द्वारा श्री अध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था (जारी)	११३८
वित्तीय वर्ष में नया कर न लगाने तथा पुराना कर न बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	११३८
श्री उग्रसेन द्वारा श्री अध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था (जारी)	११३९
वित्तीय वर्ष में नया कर न लगाने तथा पुराना कर न बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	११३९–१२००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २२ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुर सिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती

बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनार्थासिह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतार्पासिह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूर्पासिह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलार्सिह, श्री
मदनपार्लासिह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातार्सिह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मैवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपार्लासिह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनार्थासिह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनार्थासिह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपार्लासिह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री

रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव' श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, २२ सितम्बर, १९६२

अल्प सूचित_तारांकित प्रश्न

पितृ-विसर्जन की छुट्टी की मांग

*१—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या उत्तर प्रदेश सरकार पितृ-विसर्जन के महत्व को दृष्टि में रखते हुये २८ सितम्बर, १९६२ ई० को आम छुट्टी का दिन घोषित करने की कृपा करेगी ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—यह सम्भव नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब ११वीं शरीफ की आम छुट्टी सरकार ने कल दी तो जो आधार मुसलमानों के लिए ११वीं शरीफ की छुट्टी को आम छट्टी घोषित करने के लिए थे, वही आधार पितृ-विसर्जन के लिए २८ सितम्बर को छुट्टी घोषित करने के लिए क्या नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—माननीय दीपनारायण जी, देखिये कम्युनल क्वेश्चन का सवाल नहीं है। आप इसका महत्व पूछिए।

श्री दीपनारायणसिंह—तो क्या माननीय मंत्री जी जो महत्व मुसलमानों के लिए ११वीं शरीफ का समझते हैं वह महत्व पितृ-विसर्जन के लिए क्या नहीं समझते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—हमारे यहां सन् १९५७ से पहले ३५ छुट्टियां होती थीं। सन् १९५८ में २५ कर दीं क्योंकि भारत सरकार की नीति है कि ज्यादा छुट्टी न दी जाय। इस समय हमारे यहां चार किस्म की छुट्टियां हुआ करती हैं—तीन छुट्टियां नेशनल हालीडे हैं, १५ त्यौहारों की हैं और दो छुट्टियां ऐसी लिखी हुई हैं कि जो रेस्ट्रिक्टेड हालीडेज हैं। उन्हीं छुट्टियों में पितृ-विसर्जन भी शामिल है। अगर कोई साहब चाहें तो वह छुट्टी ले सकते हैं। तीन छुट्टियां ऐसी भी हैं कि जो जिलाधीश जिले में दे सकते हैं।

श्री टम्केश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जहां तक हिन्दुओं का सवाल है पितृ-विसर्जन में कोई आप्शन नहीं है कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, इस बात को देखते हुए माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इसको अब छुट्टी घोषित कर दें जैसी कि पहले थी ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—यह तो मैंने पहले कहा कि यह सम्भव नहीं है और आलरेडी बहुत काफी छुट्टियां हैं और अगर माननीय सदस्य चाहें तो यह भी विचार है कि कुछ और भी छुट्टियां कम कर दी जायं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पितृहीन माननीय सदस्यगण हैं माननीय दीपनारायणसिंह जैसे, क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था सरकार छुट्टी की करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह तो व्यवस्था उसमें है ही कि रेस्ट्रिक्टेड हाली डे है। वह चाहें तो न आयें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि पितृ-विसर्जन हिन्दुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसके बारे में फिर से विचार करेंगे कि इसकी छुट्टी कर दी जाय?

श्री अध्यक्ष—यह तो अभी पूछा गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अब हम तो छुट्टियों की संख्या कुछ और घटाना चाहते हैं क्योंकि अपने देशवासियों को जरा कुछ ज्यादा काम करना सिखाना चाहते हैं, इसलिए अब छुट्टियों को बहुत नहीं रखना चाहते हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। ग्यारहवीं शरीफ रेस्ट्रिक्टेड हाली डे थी जिसको आम छुट्टी कर दिया गया और पितृ-विसर्जनी अमावस्या भी हिन्दुओं का त्यौहार है जो किसी तरह से ग्यारहवीं शरीफ से कम महत्व नहीं रखता है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में विशेषभेद करने का क्या कारण ह क्योंकि जो महत्व मुसलमानों के लिये ग्यारहवीं शरीफ के लिये हैं क्या वही महत्व उनकी दृष्टि में पितृ-विसर्जनी अमावस्या के लिये नहीं है और पितृ-विसर्जन के लिये आम छुट्टी नहीं की जाती?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार इस प्रश्न की गम्भीरता का विचार करके कि सभी परिवारों में पितृ-विसर्जन होता है चाहे वह अपितृ हों या पितृ हों तो इस बात का ध्यान रख कर इसके लिए छुट्टी करने का विचार करेंगे क्योंकि एक प्रकार से इससे लोगों की पितृ-विसर्जन की भावना को ठेस पहुंचने का अन्देशा है? इसका ध्यान रखते हुये और उस दिन के महत्व को समझते हुये सरकार इस दिन छुट्टी करने का विचार करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने यह उत्तर दिया है कि यह सम्भव नहीं है। लेकिन आप की जानकारी के लिये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो रेस्ट्रिक्टेड हाली डे हैं उनमें बहुत सी ऐसी छुट्टी हैं जो चाहें तो वह ले सकते हैं। इनमें गुरु गोविन्द सिंह का जन्म दिवस की छुट्टी है। सन्त रविदास के जन्म दिन की छुट्टी है। भगवान् महावीर के जन्म दिवस की छुट्टी है और अनन्त चतुर्दशी की छुट्टी है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो विशेषाधिकार के प्रस्ताव आये हैं। एक माननीय दीपनारायणसिंह जी का है। उसमें उनकी शिकायत है कि २०-९-६२ का वृत्त पत्र ठीक नहीं है। वह वृत्त पत्र दैनिक छपता है। उनकी शिकायत के सम्बन्ध में मैंने आदेश दे दिया है। हमारे वृत्त पत्र में दैनिक कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख रहता है। जो वृत्तान्त २०-९-६२ के वृत्त पत्र में अंकित है वह सारतः ठीक है। इसलिये मैं इस प्रश्न को अस्वीकृत करता हूं।

दूसरा माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी का है। उसको भी मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उसके बहुत से कारण हैं। उन्होंने यह कहा है कि "टाइम्स आफ इण्डिया" में एक समाचार छपा है जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि माननीय सम्पूर्णानन्द का वह वक्तव्य है। उस वक्तव्य में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कही गई बातों का प्रतिवाद होता है।

उसके ऊपर मैं आदरणीय सदन के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन खंड १९५ से २०४ तक के पृष्ठ ७९ पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है, माननीय खेर साहब ने यह रूलिंग दी थी, कि समाचार-पत्र पर आधारित किसी सूचना पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । यह हमारे सदन का नियम है । अब माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं ?

†श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—आपने प्रश्नों में जो हम लोगों ने किये थे और माननीय मंत्री जी ने जिनके उत्तर दिये उनमें कही यह बात कृपा कर स्वीकार कर ली है कि समाचार-पत्रों में छपी खबर सही है । अभी अभी विचित्रनारायण शर्मा जी ने कुछ दिन पूर्व सदन को कुछ जानकारी देते समय कहा था कि समाचार-पत्रों में जो खबर छपी है वह सही है । मेरा निवेदन है कि सरकार चाहे तो उसका प्रतिवाद ही कर दे कि ऐसा कोई पत्र माननीय सम्पूर्णानन्द जी का इस सरकार को या गवर्नर को नहीं प्राप्त हुआ है ।

मेरा निवेदन यह भी है कि यहां पर जो माननीय मुख्य मंत्री ने टैक्सों के संबंध में कहा है वह कई जगह असत्य सिद्ध होने की स्थिति में है । ऐसा लगता है तो इसलिये मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि पिछली सरकार की जो जो बातें उन्होंने टैक्सों के संबंध में कही हैं, उस सरकार का नाम ले कर, उनकी सफाई कर दें कुछ हद तक और तभी मेरा यह प्रिविलेज मोशन अस्वीकार किया जाय क्योंकि वे हर बात में उस सरकार का नाम लेते हैं ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । जो प्रतिलिपि माननीय सदस्य के पास से प्राप्त हुई है उसमें लिखा है कि नितांत सत्य है तो यह टम्बेश्वरीप्रसाद जी से लिखा लिया जाय कि नितांत असत्य 'है' यह उनका कहना है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं जानकारी यह चाहूंगा कि महावीरप्रसाद जी चाहते क्या हैं ? उनका यह कहने से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब यह है कि नितांत के साथ प्रायः असत्य आता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि 'अ' छूट गया हो ?

जो प्रतिलिपि मेरे पास है वह मैं पढ़े देता हूं ।

"तदनुरूप प्रतीत होता है कि आज की सरकार द्वारा प्रस्तुत करों का बोझ माननीय मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द द्वारा दिये गये वचनों के आधार पर है, परन्तु यह नितांत सत्य है । आपके अवलोकनार्थ" ।....सत्य ही लिखा है ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय खेर का जो इस संबंध में निर्णय था वह मैंने आपको पढ़ कर सुना दिया कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समाचार-पत्र पर आधारित नहीं हो सकता । दूसरा कारण मैं और निवेदन कर दूं । कोई सदन का सदस्य एक बात कह दे, दूसरे दिन कोई बात समाचार-पत्र में छप जाय और वह प्रिविलेज मोशन का विषय हो जाय उस व्यक्ति के विरुद्ध जो कि इस सदन का सदस्य हो, तो मैं समझता हूं कि कोई भी यहां सुरक्षित नहीं रह सकता और न स्वतंत्र रूप से वह बात कह सकता है । तीसरी बात यह है कि सत्य और असत्य पर अन्वेषण करना यहां पर हमारे लिये उचित नहीं है । आप देखते होंगे कि सदस्यों की सूचनाओं में बराबर यह आता है कि ५०० गांव नष्ट हो गये, अमुक जगह आग लग गयी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

हजारों आदमी मर गये, और दूसरी तरफ से सूचना आती है कि यह गलत है। अब दो बातें सदन के समक्ष आती हैं, उनके अन्वेषण हम करें कि सूचना गलत थी तो यहां वाक्-स्वातंत्र्य का प्रश्न ही नहीं रहेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने जो लिख कर दिया है, उसको अस्वीकार करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह निवेदन कर दूं कि यह जानकारी प्राप्त करना तो मैं उचित समझता था लेकिन यह जानकारी कुछ कठिनाई पैदा कर रही है। इस संबंध में मैंने आदरणीय टंडन जी के दिए हुए वक्तव्यों को देखा है और उन्होंने यह स्पष्ट रूल कर दिया है कि "जानकारी आप मुझसे मेरे कमरे में प्राप्त कर सकते हैं या लिख कर नोटिस द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।"

श्री झारखंडेराय—श्रीमान् आपसे नहीं, बल्कि मुख्य मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न रखना चाहता हूं। एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—जैसा मैंने कल निवेदन किया कि जब कोई बिजनेस इस सदन के समक्ष हो और उस बिजनेस के संबंध में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ हो तो उसी दशा में प्वाइन्ट आफ आर्डर उठ सकता है। अब इस समय तो कोई विषय उपस्थित नहीं है। अब मैं दूसरे विषय पर आऊंगा। यदि कोई नियम भंग होता हो तो आप इसे उठा सकते हैं। वरना वह प्वाइन्ट आफ आर्डर किसके बारे में है?

(व्यवधान)

श्री गेंदासिंह—यह बिलकुल सही है कि आप की व्यवस्था के संबंध में कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकता हूं। लेकिन मुझे बहुत संकोच के साथ यह कहना पड़ रहा है कि.....।

श्री अध्यक्ष—मेरा एक निवेदन यह था कि आप एक पार्टी के नेता हैं और आप यह लिख कर दे दीजिये कि मेरा यह एक प्रोपोजीशन है जिससे जो बात हो और जो प्वाइन्ट्स हों वे मालूम हो जायें।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं तो सीधी सी बात कह देना चाहता हूं कि आज जो एक बात हम को सुनने को मिली कि अखबारों में हम कोई बयान दे सकते हैं जो इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल भी हो। परन्तु उस पर हमारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। मैं उसकी ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उससे छूट हम लोगों को य किसी व्यक्ति को जो इस सदन में हों, है या नहीं तो मेरी समझ में यह बात आती है कि उससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो यह यह कि जो प्रजातंत्र की रीढ़ समाचार-पत्र होते हैं उनके ऊपर से विश्वास हटता है और यह कि यह ऐसे ही गैर-जिम्मेदार लोग हैं कि उनकी बात सत्य मानने की गलती नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—समाचार-पत्रों में अगर कोई बात छपे जो इस सदन की मर्यादा भंग करती हो तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं .....।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि उसको नोटिस लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह जो माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने उठाई थी मुख्य मंत्री के विरुद्ध यह बिलकुल गलत है।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, वह आपकी रूलिंग माननीय मुख्य मंत्री के लिये ही नहीं है, बल्कि सारे सदन और देश के लिये है।

श्री अध्यक्ष—रूलिंग विषय से संबंधित होती है। जो तथ्य उस सूचना के हैं उससे संबंधित होती है। तथ्यों को अलग करके रूलिंग के कोई माने नहीं हैं।

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, यहां पर परम्परा रही है कि अगर किसी मंत्री से अथवा मुख्य मंत्री से जानकारी हम चाहते हैं तो उसके लिये आज्ञा आपने भी दी है और आपके पहले उस आसन पर जो लोग रहे हैं उन्होंने भी दी है।

मैंने आपके जरिये एक बात जानने की कोशिश की माननीय मुख्य मंत्री जी से और आपने उसकी आज्ञा नहीं दी। मैं नहीं समझ पाया कि आपने किस नियम से मना किया जब कि सदन की परम्परा यह नहीं रही है ?

श्री अध्यक्ष—कोई प्रश्न यदि आप मंत्रिमंडल से करना चाहते हैं तो उसके लिये तरीका है। तारांकित या अल्पसूचित प्रश्न द्वारा उसे आप पूछ सकते हैं। या कोई विषय प्रस्तुत हो, तो आप उस विषय में पूछ सकते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—अगर कार्य-क्रम के बारे में पूछना हो ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, जब कार्यक्रम का विषय आयेगा तो उस समय पूछा जा सकता है।

श्री झारखंडेराय—जो प्रीविलेज का मोशन आज आपने डिसएलाऊ किया उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता था। उसके लिये अगर शार्ट नोटिस प्रश्न दिया जायेगा तो वह इस हाउस की उस परम्परा के, जो अब तक रही है, अनुकूल नहीं होगा। विपरीत भले ही हो।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको नियम पढ़ कर सुना दूं।

"300 (6) A member shall not raise a point of order to ask for information."

यह नियम ३०० है। मुझे दुखः के साथ कहना पड़ता है कि जब प्रश्नों के बाद सवाल पर सवाल जानकारी के लिये होने लगते हैं, कुछ प्रश्नों का तो, जिनके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसका अनुचित लाभ उठाया जाता है। अतः आप से प्रार्थना है कि आप जो कुछ पूछना चाहें, लिख कर दे दें।

श्री झारखंडेराय—मैं लिख कर तो भेज दूंगा मगर आप किसी अनुचित बात को रोकना चाहते हैं और उसके लिये अगर आप कोई उचित बात हो उसको भी रोक दें, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नियम के विरुद्ध होने पर रोकना पड़ता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आपने अभी रूलिंग अंग्रेजी में पढ़ दी, हिन्दी में कृपया भविष्य में पढ़ दिया करें तो अच्छा हो ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, हिन्दी में ही पढ़ा करूंगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये। (न बैठने पर) मैं आदेश देता हूं कि आप कृपया बैठिये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव माननीय शिवनार्थसिंह का मुझे देरी से प्राप्त हुआ है, उसे मैंने अभी देखा नहीं है।

नियम५२ का मैंने श्री गिरधारी लाल का एक स्वीकार किया है जिसे मैं पढ़े देता हूं "निवेदन यह है कि हम लोग प्रक्रिया नियमावली ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नांकित प्रश्न की तरफ माननीय विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में हम लोगों ने १४-९-६२ को भी दफा ५२ के अन्दर प्रार्थना किया था परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। कृपया इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें क्योंकि उसके बाद वाराणसी की बिजली सप्लाई की हालत और भी खराब हो गयी है।

इधर प्रायः कुछ दिनों से वाराणसी शहर में मार्टिन बिजली कम्पनी की तरफ से बिजली सप्लाई में घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिसके फलस्वरूप वहां का नागरिक जीवन घोर संकटमय हो गया है जिससे नागरिकों में असन्तोष तथा क्षोभ व्याप्त है। बराबर प्रतिदिन दिनरात में अनेकों बार दो-दो घंटे बिजली गुम हो जाती है, जिससे रात में पूरा शहर अन्धकारमय हो जाता है। सारा कारबार ठप्प हो जाता है। अन्धेरे में अनेक दुर्घटनाएं होती हैं तथा असामाजिक तत्वों का भय उत्पन्न हो जाता है और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिजली कम्पनी के कर्मचारी इस अनियमितता के सम्बन्ध में पूछतांछ करने पर कोई समुचित उत्तर नहीं देते और न तो नागरिकों के कारबार में हुई क्षति पूर्ति का ही आश्वासन देते हैं, जिससे नागरिकों में असन्तोष एवं क्षोभ बढ़ता जा रहा है जिसका परिणाम भयंकर होने की आशंका है।

अतः इस पर माननीय मंत्री जी का मार्टिन बिजली कम्पनी, वाराणसी की अनियमिताओं को दूर कर सुव्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।"

श्री अध्यक्ष—कब तक दीजियेगा इसे ?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—बुधवार तक दे दिया जायगा।

सदन के कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—२४-९-१९६२ को जो कार्य इस सदन में आवेगा वह इस प्रकार है : उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, और उत्तर प्रदेश नागरिक क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से पारित हुआ है, ये सोमवार को आपके सामने आवेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—एक साथ एक सप्ताह का कार्य-क्रम हम लोगों को मिल जाया करता था लेकिन चूंकि १५ मिनट में ५–७ विधेयक पास कर ले गये . . . .

श्री अध्यक्ष—वह सोमवार को सुना दिया जायगा। रूल यह है कि सप्ताह के प्रारम्भिक दिवस में इस सप्ताह का कार्यक्रम बताया जाता है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—अगर ७ दिन का बतला देते तो बड़ी कृपा होती।

श्री अध्यक्ष—नियम २५ में है कि प्रत्येक सप्ताह के प्रथम कार्य-दिवस पर बतावेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय बनारसीदास जी ने एक प्रोग्राम २६ अक्तूबर तक के लिये दिया था परन्तु अब तो ५ बिल एक ही दिन में पास हो गये। अब कोई कार्यक्रम तो रह नहीं गया है तो हम लोगों को चिन्ता है कि अपना निजी कार्यक्रम कैसे बनावें जब तक सदन का कार्य-क्रम न मालूम हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—सोमवार की तो मने सूचना दे दी। उसके बाद क्या काम होगा आप बता सकते हैं, माननीय बनारसी दास जी ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—जैसा आपने बताया सोमवार को मैं दे दूंगा नियम २५ के अनुसार।

श्री अध्यक्ष—यह तो मैं बता चुका हू इसमें कोई नयी बात नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—१५ दिन या १२ दिन के लिये जो बिल हमें दिये हुए कार्य-क्रम में थे वे तो १ दिन में पास हो गये। अब हमें यह जानने का अधिकार है कि वह २८ अक्तूबर तक जो असेम्बली चलने की बात थी वह रहेगी या पहले ही समाप्त हो जायगी। सोमवार का बहाना इसमें नहीं होना चाहिये। इतना तो उन्हें अभी मालूम होगा। उसे स्पष्ट बताना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—ठीक। नियम के अनुसार अधिकार तो यही है कि सोमवार को जान सकेंगे। आज आपके सामने असरकारी कार्य है। आपकी सुविधा के लिये मैंने सोमवार का काम बता दिया है। अगर आप कार्य-सूची देखेंगे, मुझे अच्छी तरह से याद तो नहीं है, लेकिन जिस क्रम में कार्य-सूची में दिया हुआ है उसमें ये दो बिल उसके शायद पहले आते हैं। परन्तु यदि यह न भी हों उसमें कोई और बात हो तो भी माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैंने रख दिया। अब रहा यह कि आगामी सप्ताह में क्या काम होगा यां सदन कब तक चलेगा, वह आप सोमवार को पूछ लीजियेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—आपने नियम के अनुसार बताया वह तो ठीक है। परन्तु मुख्य मंत्री खड़े हुए थे और कुछ कहना चाहते थे। केवल सहूलियत के लिये हम लोगों ने पूछा था कि अपना कार्य-क्रम बना सकते ।

श्री अध्यक्ष—अगर वह बताना चाहते हैं तो बता दें।

*श्री बनारसीदास—२६ अक्तूबर तक का जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया है उसमें हमने कुछ सूचना दे दी है। प्रक्रिया नियमावली के अनुसार ऐसा कोई विधान नहीं है कि २६ अक्तूबर तक के विधेयकों की पहले घोषणा ब्योरेवार की जाय। जैसी आपने अभी व्यवस्था दी है नियम २५ के अनुसार प्रत्येक सोमवार को सप्ताह का कार्यक्रम बतलाया जाता है। वे सारे बिल जो पास हुए इस सप्ताह के कार्य-क्रम में थे। मंगलवार को हम प्राविधिक शिक्षा वाला विधेयक लेंगे, भूमि जोत-कर बिल भी आपके सामने है। ५ तारीख को यह सदन स्थगित होगा फिर हम १६ तारीख को मिलेंगे। ऐसा हमारा इस वक्त प्रोग्राम है।

श्री उग्रसेन द्वारा श्री अध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के संबंध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी नहीं हैं मगर उग्रसेन जी सदन में बैठना चाहते हैं तो उनका फर्ज यह है कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उन्हें वापिस लें या एक्सप्लेनेशन दें। इस समय वह हैं नहीं ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—इलाहाबाद हाई कोर्ट में गये हैं।

श्री अध्यक्ष—तो इसे स्थगित किया जाता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—आपने अभी कहा कि उग्रसेन जी सदन में बैठना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है जिसे मैंने असंसदीय बतलाया है मैंने कहा कि या तो वह स्पष्टीकरण दें कि किस प्रकार से ऐसा शब्द प्रयोग करना उनके लिये उचित था या सम्भव है कि वह क्षमा मांगें, खेद प्रकट कर दें, या फिर वह नहीं बैठ सकते हैं।

वित्तीय वर्ष में नया कर न लगाने तथा पुराना कर न बढ़ाने के संबंध में संकल्प

[श्री अध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के इस संकल्प पर कि इस 'सदन का यह निश्चित मत है कि चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का नवीन टैक्स जनता पर न लगाया जाय और न किसी पुराने टैक्स की दर ही बढ़ाई जाय। घाटे की रकम मितव्ययता द्वारा पूरी की जाय तथा बकाया कर वसूल किये जायं, विवाद जारी होगा।

श्री उग्रसेन द्वारा श्री अध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के संबंध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था (क्रमागत)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय उग्रसेन जी के बारे में आपने कहा कि वे बैठ नहीं सकते हैं। इस संबंध में हाउस का कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर किस प्रकार से आपने ऐसा कह दिया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—अब तो जब वे परसों आयेंगे तब यह सवाल लिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—फिर आपने जो यह कहा है उसको कार्यवाही में से निकाल दीजिये । आपने यह क्यों कह दिया ? आप उसका परिमार्जन क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष—वह नहीं निकलेगा । आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं बैठने के लिये तैयार हूं लेकिन उस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—मैंने कह दिया कि अब यह मामला तब लिया जायगा जब वे परसों यहाँ अपना स्पष्टीकरण देंगे । अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उसको कार्यवाही में से न निकालने का क्या कारण हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—मैंने आदेश दे दिया कि वह नहीं निकाला जायगा, कारण बताने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) मेरा एक निवेदन है .....

श्री अध्यक्ष—माननीय काशीनाथ जी, आप बिना वजह खड़े हो जाते हैं । बैठिये, मैं इस समय प्रस्ताव सामने रख चुका हूं। अब उस पर बहस आरम्भ होगी । जन संघ के श्री शारदाभक्तसिंह उस पर बोलेंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

वित्तीय वर्ष में नया कर न लगाने तथा पुराना कर न बढ़ाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न इसी संकल्प के संबंध में उपस्थित करना चाहता हूं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपने बनारसीदास जी का नाम नहीं पुकारा और वे खड़े हो गये जब कि आपने श्री शारदाभक्तसिंह का नाम पुकारा था और वे खड़े हुए थे । अतः मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास जी किस नियम के अन्तर्गत बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—वे खड़े तो हो सकते हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधीदल को आपने पुकारा नहीं फिर वे कैसे बोल गये ? कृपा करके इस पर व्यवस्था. . . .

श्री अध्यक्ष—देखिये, इस तरह आप सब लोग खड़े न हों। आप अपने आसन ग्रहण करें।

माननीय शारदा भक्त सिंह को मैंने बुलाया था और और वे खड़े हुए थे । माननीय बनारसीदास जी ने यह कहा था कि वे इस प्रस्ताव के संबंध में ही कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते ह । मने अवश्य उनका नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने केवल यह संकेत किया कि जो प्रस्ताव विचाराधीन है उसी के संबंध में वे प्रश्न उठाना चाहते हैं । मैं आदरणीय सदस्यों से यह कह देना चाहता हूं कि जो प्रश्न प्रस्तुत हो उसके सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था के प्रश्न हों उनको उठाया जा सकता है । लेकिन जैसा मैंने अभी कहा था अगर कोई कार्यवाही न हो, वेक्यूम हो तो वेक्यूम में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता । व्यवस्था का प्रश्न किसी विचाराधीन कार्यवाही के विषय में ही उठाया जा सकता है । मेरा आदरणीय सदस्यों से यह निवेदन है कि पूर्व इसके कि मैं किसी को बोलने दूं अथवा न बोलने दूं मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उनका प्रोपोजीशन क्या है ?

मैं माननीय बनारसीदास से इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस प्रस्ताव के संबंध में प्रश्न उठाना चाहते हैं उसके संबंध में, टैक्स के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय राजस्व मन्त्री ने उठाया था और उसको मैंने अस्वीकार कर दिया था लोकहित और जनहित को दृष्टि में रखते हुए, मैं समझता हूं कि मैं अपना विवेक इस हक में इस्तेमाल करूं कि इस टैक्स के संकल्प पर सदन में विचार होने दूं। अब इसके अतिरिक्त कोई बात बतलानी हो तो माननीय बनारसीदास जी बोलें, अन्यथा केवल इतनी बात के ऊपर उनका व्यवस्था का प्रश्न गलत होगा।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय बनारसीदास से पूछ रहा हूं एक प्रश्न के सम्बन्ध में। आप बैठें। अगर माननीय बनारसीदास को और कुछ कहना हो, तो कह दें।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १०८ (५) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अनुसार अभी आपने अपनी व्यवस्था दी लोक हित में, लेकिन प्रश्न यह है कि जब से इस तरह का विवाद हुआ—अरबन एरिया बिल पास हो चुका है .....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अभी जो माननीय बनारसीदास जी बोल रहे हैं, उसके ऊपर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री चन्द्रजीत यादव—जो वे बोले, उसके ऊपर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनको कहा था कि वे बोलें।

श्री चन्द्रजीत यादव—लेकिन आपने उनको शर्त के साथ बोलने के लिये आदेश दिया क्योंकि इसके पहले जो आप अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं और रूलिंग दे चुके हैं, उसके अलावा कोई बात कहनी हो तो उसे कहने के लिये आपने माननीय बनारसीदास को कहा था लेकिन अब वे शुरू से सारी बातें दोहरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—देखिये, मैं बतला दूं। एक विषय जिसके ऊपर मैं आदेश दे चुका हूं, निर्णय हो चुका है, वह समाप्त हो चुका। अब रहा यह कि कुछ बिल पास हो चुके हैं, कुछ बिल और आने वाले हैं, तो यह प्रश्न शेष है कि माननीय सदस्य चाहते हैं या नहीं जो बिल आने वाले हैं वे आयें या न आयें ?

श्री उमाशंकर तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है, क्योंकि आपने मुझे बाद में बोलने के लिये कहा था। श्रीमन्, जब माननीय राधेश्याम जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा तो आपने कह दिया कि अभी आप किसी विषय पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते और बिना सुने ही उनको बैठा दिया और माननीय बनारसी दास जी जब खड़े हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये तो किन नियमों के अनुसार आपने उनको स्वीकृति दे दी, मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं हमेशा यह उम्मीद करता हूं कि जो माननीय सदस्य खड़े हों, वे कहें कि मैं इस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उमाशंकर तिवारी—आपने तो उनको समय ही नहीं दिया, फिर वे कहते कैसे ?

श्री अध्यक्ष—जो मैंने व्यवस्था दी, उसके ऊपर टीका नहीं हो सकती, आप बैठ जायं।

*** श्री शारदाभक्तसिंह** (जिला हरदोई)—अध्यक्ष महोदय, पिछले असरकारी दिवस पर जो प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने सदन के समक्ष रखा और जिसके सम्बन्ध में विवाद के समय माननीय गोविन्दसहाय व माननीय नवलकिशोर जी ने कुछ ऐसे सैद्धांतिक प्रश्न इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये थे उसके सम्बन्ध में उत्तर देना आवश्यक है। पहली बात उधर से यह कही गयी थी कि यह प्रस्ताव इसलिये रखा गया है कि भारतीय जनसंघ प्लान में विश्वास नहीं करता, वह नियोजन का विरोधी है और इसलिये वह कोई कर इस सत्र में लगाने के पक्ष में नहीं है।

दूसरी बात यह कही गयी थी कि पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये आज यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक आवश्यकतायें भी जो हैं उनका बलिदान करके उस पंचवर्षीय योजना को पूरा किया जाय। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया था कि भारतीय जनसंघ कर लगाने के बिलकुल विरोध में है और उसका कारण यह है कि वह पंचवर्षीय योजना के द्वारा देश का उत्थान नहीं करना चाहता है। तो मैं इस बात को स्पष्टतः कहना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ नियोजन में विश्वास करता है, हम प्लानिंग के विरोधी नहीं हैं, न्यूनतम काल में अधिकतम लाभ उठाने के लिये सीमित साधनों के द्वारा हम नियोजन के पक्ष में हैं लेकिन हम योजना को सार-सर्वस्व नहीं समझते, हम योजना समाज के लिये चलाना चाहते हैं लेकिन हम समाज को योजना के लिये चलाने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिये भारतीय जनसंघ का दृष्टिकोण है कि हम प्लानिंग चाहते हैं लेकिन प्लान्ड एकनामी नहीं चाहते। हम भी देश को और समाज को योजना के द्वारा एक उद्देश्य तक ले जाना चाहते हैं लेकिन उसकी परम्परा और उस की विशेष पद्धति तथा आवश्यक साधनों और अन्य बातों को देख कर ही हम चलना चाहते हैं। और इसलिये जब यह कहा जाता है कि हम योजना के विरोधी हैं तो यह बात सत्य के परे हैं। हम योजना चाहते हैं, हम उसके पक्षपाती हैं, लेकिन उसके कैसे साधन होने चाहिये, क्या उसकी रूपरेखा होना चाहिये, उसके कौन सिद्धान्त होने चाहिये, इस सम्बन्ध में हमारे गहरे मतभेद हैं और इस सम्बन्ध में जनसंघ के ही गहरे मतभेद नहीं हैं बल्कि इस को लेकर अर्थशास्त्रियों में भी मतभेद चला आता है जिस की कि हमें भी जानकारी है। हम यह भी चाहते हैं कि योजना को हम सीमित साधनों पर ही बेस करके अधिक खर्चीला न बनायें कौर उसको श्रम प्रधान बनाकर छोटी मशीनों पर आधारित करें। ऐसा भी एक पहलू हो सकता है और इसकी पुष्टि कुछ विशेषज्ञों ने भी की है। अगर आप देखें तो प्रोफ़ेसर गेलब्रेथ्स ने कहा है कि....

श्री अध्यक्ष—आप यह कहां से पढ़ रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदाभक्तसिंह—यह 'ईस्टर्न एकनामिस्ट्स' से गेलब्रेथ्स का आर्टिकिल है।

"Borrowing from abroad should not become a substitute for earning from abroad. That option of inappropriate technology, such as elaborate labour saving devices might only waste scarce resources and might also aggravate problems of unemployment. The organization and services appropriate to advanced nations might be costly hindrances to less developed lands. Earning depends on efficient and low cost production that takes advantage of the tendencies of nations in more advanced stages. I venture to think that any friend of India will view with some concern the rather uninteresting behaviour of Indian experts in the last five years".

यही नहीं, इस के सम्बन्ध में गनर माइर्डल ने भी 'इन्टरनेशनल एकनामी' में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है—

"The Industrial production technique will also need adjustment. In the advanced countries, these techniques have been developed and have resulted in more or less standardized equipment which is now offered for sale to the underdeveloped countries. They are the out-come of a long development which is a result of economic progress itself, has been increasingly dominated by situations of scarce labour and of abundant capital and further more by high standard of education and technical ability among the Engineer, Fireman and workers. In undeveloped countries the abundance of labour, the scarcity of capital and the low level of education and technical skill would make it economically advantageous to use much less capital-intensive equipment, fewer labour saving devices and generally much simpler techniques."

तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह से इस सम्बन्ध में गहरा मतभेद विशेषज्ञों का है। जिस प्रकार से हमारे यहां यह पंचवर्षीय योजना चल रही है तो उसमें यह इच्छा करना कि भूखे, नंगे अपने खाने का हिस्सा देकर इस योजना को पूरा करें और पूरे विरोध के होते हुए भी जनता पर कर लगा कर उसे पूरा किया जाय, मैं समझता हूं यह अनुचित है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिये मान लें कि यह योजनायें सही हैं और इनके लिये कर लगाने का सरकार को अधिकार है तो भी जितने कानूनी अधिकार कर लगाने के किसी सरकार को होते हैं वे नैतिक मूल्यों से सम्बन्धित हैं। इसलिये उसे कर लगाने से पहले हजार बार सोचना होगा कि क्या बिना कर लगाये किसी तरह से काम चल सकता है? हमें यह बात देखनी होगी कर लगाने से पहले कि मितव्ययता आदि करके किसी तरह से काम चला सकते हैं कि नहीं। इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी ने १९५४ में लिखा है:

"It appears desirable at the outset of an enquiry comprising among other things investigation of possibilities of fresh additional sources of revenue to determine the need of ensuring the most effective utilisation of existing tax resources for promoting community welfare and development before new and higher burdens are imposed upon the comumnity."

सेन्ट्रल टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी ने कहा है कि टैक्स लगाने के पहले हमें इस बात को देखना होगा क्या किसी विकल्प से हम काम चला सकते हैं। और जो हमारी आय है उसमें कोई ऐसी खर्चीली बात तो नहीं हो रही है, अपव्ययता तो नहीं हो रही है। उसके बाद ही हम टैक्स लगाने के अधिकारी होंगे।

पिछले सालों में जो बजट रखे गये हैं, वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि १३ करोड़ ३५ लाख का जो घाटा है उसको पूरा करने के लिये हमारे पास सिवाय इसके दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि हम कर द्वारा इस धनराशि को जुटायें। साफ तौर से कहा है कि इस घाटे को पूरा करने के लिये कर लगाना है। लेकिन पिछले सालों की बजटिंग से यह भी

संदेह होता है कि घाटा वास्तव में है भी कि नहीं। अगर पिछले सालों के बजटों के आंकड़े देखे जायं तो पता चलेगा कि १९५६-५७ में जहां ५.५ करोड़ का घाटा दिखाया गया वहां १.३ करोड़ की बचत हुई है। १९५७-५८ में १३.६७ करोड़ का घाटा दिखाया गया और ५.५१ करोड़ की बचत हुई थी। १९५८-५९ में ४.५४ करोड़ का घाटा दिखाया गया था लेकिन १.०९ करोड़ की बचत हुई। १९५९-६० में १.८६ करोड़ का घाटा दिखाया गया लेकिन १.४० करोड़ की बचत हुई। १९६०-६१ में २.३३ करोड़ का घाटा दिखाने के बाद ४.०४ करोड़ की बचत हुई है। इस सब से हमें अनुमान होता है कि डेफिसिट बजट इसलिये बना दिया जाता है ताकि उसके बहाने कर लगा कर अधिक लोगों से रुपया प्राप्त कर लिया जाय तथा कर लगाने का औचित्य साबित हो सके। इसलिये इस साल के बजट के सम्बन्ध में भी ऐसा निश्चित लगता है कि १३.३५ करोड़ का काल्पनिक घाटा दिखा कर उसके आधार पर टैक्स लगाने की बात कही गयी है। जैसा कहा जा चुका है मितव्ययता होनी चाहिये, सरकार की तरफ से इस बात की घोषणायें कई बार की जा चुकी हैं लेकिन १९६२ की आडिट रिपोर्ट के देखने से पता चलता है कि उसमें ६०,००० ऐसे आडिट आब्जेक्शन्स हैं जिनके देखने से पता चलता है कि हमारा आय-व्यय पर जितना कन्ट्रोल होना चाहिये वह नहीं है और खर्चे दिन पर दिन गलत तरीके से होते चले जा रहे हैं।

आडिट रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में आंकड़े देते हुए यह दिखाया गया है कि करीब २ करोड़ के गबन और अनावश्यक खर्चे किये गये हैं। और इस सम्बन्ध में बहुत-सी ऐसी बातें की गयी हैं जिनसे बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि हम खर्चे में ठीक प्रकार से मितव्ययता नहीं कर पाये। पृष्ठ ७४ पर आडिट रिपोर्ट में लिखा है:

"It would be seen that works costing Rs. 43.13 crores were executed either without sanctioned estimates or in excess of sanctioned estimates which besides constituting a breach of financial rules is not conducive to effective financial control on execution of works. Similarly no audit could be carried out of expenditure of Rs. 1.60 crores in respect of which supporting vouchers have not been produced to audit.

The amount of Rs. 5.01 crores under other items comprise of:

(i) Outstanding recoveries of rents of Government buildings.

(ii) Expenditure incurred in excess of amounts deposited by private and local bodies for whom works were executed and which is due for recovery from them.

(iii) Over payments/short recoveries from contractors.

(iv) Other items due for recovery/adjustment with other parties.

(v) Want of sanction to or excess over sanctioned Reserve Limit of stock."

इस प्रकार से आडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मितव्ययता नहीं की गयी और ऐसे खर्चे किये गये जो सैंक्शन नहीं किये गये। जैसा मैं कह चुका हूं सारे प्रदेश में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल की असाधारण वृद्धि की गयी उसके विषय में कहा गया कि इतने बड़े प्लान के सम्बन्ध में मिनिस्टरों की संख्या बढ़ा देने से अन्तर ज्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि वे काम करते हैं। इस विषय पर मैं कुछ टीका नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप जनता से अधिक से अधिक बलिदान, त्याग की अपेक्षा कर रहे हैं और आप लोगों को हार्न दे रहे हैं कि अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के स्थान पर अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को काट कर देश की पंचवर्षीय योजना के लिये त्याग करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आदर्श आज सरकार जिनके हाथ में है उनकी तरफ से रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग रातदिन काम करें, अपनी आवश्यकताओं को खत्म करें, बलिदान, त्याग और तपस्या करें तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिये सरकार

[श्री शारदाभक्तसिंह]

अधिक से अधिक काम करके लोगों के सामने उदाहरण उपस्थित करे और उनको प्रेरणा दे। पिछले मंत्रिमण्डल को देखते हुए आज मन्त्रिमण्डल का जो आकार है और जो खर्चे हैं वे जनता को किसी प्रकार से प्रेरणा नहीं दे रहे हैं ।

जहाँ मितव्ययता करने की आवश्यकता है वहाँ हमने यह भी कहा है कि जो बकाया कर हैं उनको भी वसूल करने की जरूरत है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी करीब ढाई करोड़ रुपये के, शूगर सेंस ७ करोड़ और सेल्स टैक्स कई करोड़ रुपये के बकाया है और इस तरह से १५, १६ करोड़ रुपये मिल मालिकों पर बाकी हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में बार-बार कहने पर भी सरकार चुप है और उसकी वसूली के लिये कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसलिये इस औचित्य को सिद्ध करना कि सरकार १३ करोड़ का घाटा पूरा करना चाहती है इसलिये वह कर लगाना चाहती है यह कुछ उचित नहीं है। अगर बकाया करों की वसूली सरकार कर ले तो १३ करोड़ के घाटे को पूरा कर सकती है और काम चला सकती है मगर ऐसा करने को सरकार तैयार नहीं है ।

जैसा मैं कह रहा था पिछले असरकारी दिवस पर यह भी बात कही गयी कि प्रस्ताव में यह कहा गया है कि कोई टैक्स नहीं पड़ना चाहिये। इससे भारतीय जनसंघ का यह मतलब था कि कोई कर न लगे और देश में कोई उत्थान न हो सके। लेकिन प्रस्ताव को पढ़ा जाय तो उससे पता चलेगा कि कभी कर न लगे ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में १३ करोड़ ३५ लाख रुपये के घाटे को पूरा करने की बात अवश्य कही गयी है और उसके बारे में हमारा निश्चित मत है कि अगर मितव्ययता की जाय और जो बकाया है उसे वसूल किया जाय और जो टैक्सेज का इवेजन है उस पर कस कर कन्ट्रोल किया जाय तो यह हो सकता है कि बगैर कर लगाये आप का इस साल का काम चल सकता है ।

हमें और आप को पता है कि जोतकर बिल आने वाला है। उसके सम्बन्ध में गहरा मतभेद है। विरोधी पक्ष तो विरोधी है ही, लेकिन काँग्रेस दल में भी इस सम्बन्ध में मतभेद है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जब उद्योग-धन्धे बढ़ रहे हैं तो उनकी चीजों के खरीदार चाहिये । उसके लिये हमारे पास और कोई बाजार नहीं है, दुनिया के और देशों में बाजार को न ढूंढ़ कर हमें अपने देश में किसानों में बाजार को पैदा करना होगा, उनकी क्रय-शक्ति को बढ़ाना होगा ताकि उनके पास पूंजी बढ़े जिसके द्वारा वह कृषि विकास में सहायक हो सकें। लेकिन काश्तकार के पास जो पैसा आता है उसे आप ले लेते हैं जिसके कारण कृषि विकास के लिये उसके पास कोई साधन नहीं रहता है। तो चाहे खाद्यान्न की समस्या हो वह केवल काश्तकार के लिये ही नहीं बल्कि कारखानों के जो मजदूर हैं, उद्योग में जुटे हुए जो लोग हैं उनके लिये और भी है। इसलिये आज समाज की रीढ़ के रूप में किसानों की आर्थिक स्थिति को उठाना होगा और ऐसे समय में जबकि वह कृषि की ओर विशेष ध्यान दे कर उसका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं उस समय उनके ऊपर ऐसे कर लगाना और खास कर सब पर कर लगाना एक बड़ी अनुचित बात होगी। इसलिये कर नीति में हमें तब्दीली करनी होगी और देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, अपनी परम्परायें, पद्धति, साधन और अन्य बातों को देखते हुए हमें अपने प्लान में परिवर्तन करना होगा और उसको पूरा करने के लिये जितनी भी मितव्ययता की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में उदाहरण के रूप में हमें वह कर के दिखाना होगा तभी हम सारे देश का नेतृत्व कर सकते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विवाद सदन में चल रहा है आज की दृष्टि से एक बहुत महत्व का विवाद है। आज माननीय शारदाभक्त जी के भाषण को सुन कर मुझे थोड़ा-सा संतोष हुआ। अभी तक यह धारणा थी कि जनसंघ नियोजनबद्ध उन्नति के विरोध में है, वह प्लानिंग को नहीं मानता, परन्तु आज उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्लानिंग को मानते हैं।

श्रीमन्, मैं टैक्स को जिस रूप में देखता हूं, मेरे देखने का तरीका यह है कि यह जो प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने रखा है यह तो बिल्कुल प्रतिक्रियावादी है। इसमें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई नया टैक्स न लगाया जाय, किसी टैक्स की दर न बढ़ायी जाय। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से हम हैं उसी प्रकार से रहें और कोई उन्नति न करें। यह तो इतना प्रतिक्रियावादी प्रस्ताव है कि इसके विषय में मैं और अधिक नहीं कहूंगा। मैं इस प्रकार से देखता हूं कि हम प्लानिंग में चल रहे हैं। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है। उस योजना पर इस सदन में खूब अच्छी तरह से विचार हुआ और उसके बाद उसे स्वीकृत किया और जहाँ हमने उसके लक्ष्यों को स्वीकृत किया वहाँ हमने यह भी स्वीकृत किया कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये धन इस प्रकार से जुटायेंगे। श्रीमन्, मैं याद दिलाऊं, इसी योजना में लिखा है कि अगस्त से नवम्बर, १९६० में तमाम स्टेट्स के मिनिस्टर्स के मशविरे से, शायद वह मीटिंग दिल्ली में हुई थी, एक योजना बनायी गयी कि किस प्रकार से उस रुपये की पूर्ति की जायगी। उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश ने यह वायदा किया कि १०९ करोड़ रुपये के नये टैक्स इस पंचवर्षीय योजना के बीच में इस प्रदेश में लगाये जायंगे। तो अब जब हम यह वायदा कर चुके हैं तो मेरी समझ में कोई बात आती नहीं कि किस तरह से हम अपने उस वायदे से वापस जा सकते हैं। हमें उसे पूरा करना होगा और जब पूरा करना होगा तो सिवाय इसके कि टैक्स लगायें और कोई चारा नहीं है क्योंकि १०९ करोड़ रुपया कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी रकम है।

अब यह बात बार-बार सुनने में आती है कि योजनायें सफल नहीं होतीं, योजनायें अगर सफल होतीं तो टैक्स लगाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। परन्तु मैं कहता हूं कि यह प्रश्न बहस का नहीं है। अभी ८ या ९ महीने पहले ही हम जनरल इलेक्शन के द्वारा आ रहे हैं। काँग्रेस का एक ही थीम था, एक ही प्रोग्राम था कि हम दो योजनायें पूरी कर चुके हैं और तीसरी योजना में हम चल रहे हैं। अगर इन दो पंचवर्षीय योजनाओं से देश की प्रगति हुई है तो हमें राय दो ताकि हम इस योजना को आगे चला सकें। श्रीमन्, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना १९५१ से शुरू होती है और जनरल इलेक्शन १९५२ में होता है, दूसरी योजना १९५६ से शुरू होती है और जनरल इलेक्शन १९५७ में होता है, इसी तरह से तीसरी योजना हमारी १९६१ में आरम्भ होती है और हमारा जनरल इलेक्शन भी १९६२ में होता है। इसके माने यह हैं कि हम जनता को पूरा मौका देते हैं कि वह अच्छी तरह से सोचे कि हम सफल रहे या असफल रहे और इसको देखने के बाद हमने देखा कि तमाम देश की जनता ने काँग्रेस को राय दी। यह तो सम्भव नहीं हो सकता कि सारी रायें काँग्रेस को ही पड़ जायं बल्कि सभी दलों को पड़ती हैं। लेकिन हमने देखा है कि देश में और प्रदेशों में सभी जगह जनता ने काँग्रेस को हुकूमत बनाने का मौका दिया। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी योजनायें सफल नहीं हुईं। आज श्रीमन्, जनतन्त्र के युग में जनता सर्वशक्तिमान है और देश की प्रगति के लिये हमें तीसरी योजना पूरी करनी होगी और इस योजना को चलाने के लिये हमें टैक्सेज लगाने होंगे जब कि हमारे कमिटमेन्ट्स हैं।

श्रीमन्, जहाँ तक योजना चलाने का प्रश्न है इसमें दो तीन बात मुख्य हैं। हमारी योजनायें इस प्रकार से चलें कि हम सेल्फ सफीशियेंसी की तरफ बढ़ते चले जायं। हमें आगे चलकर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना न पड़े। अगर हम आज इसी तरह से चले कि आज जितना रुपया हम बाहर से लेते हैं उसमें हमने किसी प्रकार की कमी नहीं की तो इसके माने हैं कि हमने कोई प्रगति नहीं की। आपने देखा होगा कि इस योजना में हमारा यह लक्ष्य है कि इंवेस्टमेंट ११.५ प्रतिशत से बढकर १४·५ प्रतिशत हो जाय। अगर हम इंवेस्टमेंट को इतना कर दें तो उसमें हमारा प्रदेश भी सम्मिलित है। उससे हम बच नहीं सकते हैं। अगर इसे हमें बढ़ाना है तो यह सम्भव नहीं है कि हम टैक्सेज एक साल न लगायें और दूसरे सालों में लगा लें। दूसरे हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि यहाँ रेवेन्यू ८·५ प्रतिशत से बढ़कर ११·५ प्रतिशत हो जायं। अगर आप इसे नहीं बढ़ायेंगे तो अल्प बचत करें। वह भी कर्जा होता है और वह भी देना पड़ता है। लेकिन हमें खेद है कि हमारा सूबा इसमें भी पिछड़ा रहा। अगर

[श्री जगदीशप्रसाद]

हमने अल्प बचत में पूरी तरह से सहयोग दिया होता और ७०-८० करोड़ रुपया हो जाता तो हमें कम टैक्स लगाने पड़ते । लेकिन हमने अल्प बचत भी नहीं की और दूसरे प्रकार से सहयोग भी नहीं दिया तो हमें योजना को चलाने के लिये टैक्सेज लगाने होंगे ।

श्रीमन्, एक बात और देखिये कि हमने अपने प्रदेश की जो योजना पढ़ी उसमें देखा था कि सरकार ने स्वीकार किया था कि हमारा प्रदेश शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और सिंचाई आदि में दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है । श्रीमन्, जो पिछड़ा होता है उसको अधिक परिश्रम करना पड़ता है । जैसे कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में पढ़ रहा है वह बीमार हो गया, दुर्बल हो गया और उसका कोर्स पिछड़ गया तो उसे आवश्यक हो जायगा कि वह अन्य विद्यार्थीयों की अपेक्षा अधिक मेहनत करे । इसके बिना वह उन विद्यार्थियों के बराबर नहीं आ सकता है । ठीक यही दशा हमारी है कि हम किन्हीं कारणों से कि हम टैक्सों से बचें, चीप पापुलेरिटी हमने चाही, इसका परिणाम यह हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, मैचिंग ग्रान्ट नहीं दे सके और हमें केन्द्र से रुपया नहीं मिला । हमें पहली योजना में १,४२७ करोड़ में केवल १६६ करोड़ रुपया ही मिला था जो ११.६२ प्रतिशत होता था । दूसरी योजना में १,९८१ करोड़ में २२७ करोड़ मिला जो करोड़ मिला जो ११.४५ प्रततिशत होता है और तीसरी योजना में ३,८४७.३ करोड़ में से ४९७ करोड़ मिला जो १२.९१ प्रतिशत होता है । यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है । आज जो यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को बहुत दे दिया मैं नहीं समझता कि ११.६२ प्रतिशत से जो १२.९१ प्रतिशत बढ़ गया है वह बहुत ज्यादा है । परन्तु इतने में जो हमारे देश में उद्योग नहीं थे, हमारे देश में जो शिक्षा पिछड़ी हुई थी, हमारे देश में जो स्वास्थ्य पिछड़ा हुआ था, उसमें कुछ कर सकेंगे । हम अपनी कमी को कुछ पूरा कर सकेंगे ।

माननीय गेंदासिंह को शायद यकीन नहीं होता । मैं उनके लिये उन्हें कुछ आंकड़े बतला दूं । आप शिक्षा को देख लीजिये । इस योजना में यह दिया हुआ है कि ६—११ तक की उम्र के बच्चों की शिक्षा में हम १९६६ में नौ प्रदेशों से पीछे रहेंगे । राजस्थान, और जम्मू कश्मीर पहली योजना में हम से पीछे थे । अब आगे बढ़ गये हैं । यही मैं कह रहा हूं । अगर शिक्षा को लाना है तो सबसे पहले हमें प्रारम्भिक शिक्षा को लाना होगा । देश की प्रारम्भिक शिक्षा ७६ प्रतिशत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो जायगी और हमारे प्रदेश की ६१ प्रतिशत ही होगी । उसका कारण क्या है ? कारण यही है कि हम रुपया नहीं लगा सकते । अब ११ से १४ वर्ष के बच्चों को देखें । पहली योजना के आरम्भ में राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र से हम पीछे थे । अब केवल उड़ीसा से रहेंगे । हम काफी आगे बढ़ रहे हैं । १४ से १७ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा में हमारा प्रदेश पहले भी आगे था, दो एक प्रदेशों को छोड़कर । तो जैसे मैंने कहा कि ६ से ११ वर्ष के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में देश की शिक्षा ७६ प्रतिशत होगी और हमारी ६१ प्रतिशत होगी । यदि हम रुपया नहीं लगायेंगे पीछे पड़ जायेंगे तो किसी प्रकार पूरा नहीं कर सकेंगे और जितना पीछे पड़ते चले जायेंगे, उतनी ही आवश्यकता पड़ेगी कि उतना ही ज्यादा रुपया इनवेस्ट करके उसको हम पूरा करें । आप कहेंगे कि टैक्स न मांग कर पापुलारिटी गेन करेंगी, एलेक्शन जीतेंगे । मैं समझता हूं कि आगे आने वाली संतानें बुरे शब्दों से पुकारेंगी, उन्हें हमारे ऊपर गर्व नहीं होगा । वह हम पर लांछन लगायेंगी कि इन्होंने हमारी प्रगति में रुकावट डाली । अतः मेरा विचार है कि यह टैक्स हर प्रकार लगने देना चाहिये । जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है पहली योजना में हम सात आठ प्रदेशों से पीछे थे सिंचाई के अलाटमेंट में । इसको हमने कुछ पूरा किया है । अब मैं जल्दी बढ़ूंगा क्योंकि आपने लालबत्ती दिखा दी है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—आपको मौका दे दिया जाय कि टेक्निकल एजूकेशन इंडस्ट्री में और शिक्षा में १९६५-६६ में उत्तर प्रदेश कहां रहेगा, यह बता दें ।

श्री जगदीशप्रसाद—श्रीमन्, अब तो मेरा समय समाप्त हो रहा है । इसमें समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष—आप जो उचित समझें कहें । माननीय गेंदासिंह ने एक बात कह दी, आप नहीं कहेंगे तो कोई और कहेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद—एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूंजीपतियों से क्यों नहीं वसूल कर लेते । वह १४ करोड़ रुपया है । रुपया वसूल होना चाहिये इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । परन्तु मैं समझता हूं कि अगर हमें २०-२५ करोड़ वसूल हो जाय तो भी हम तो ७२५ करोड़ की मांग लेकर गये थे लेकिन हमें सिर्फ ४९७ करोड़ ही मिल रहा है । तो अभी बहुत गुंजायश है और उसके लिये जरूरी है कि पहले जितना रुपया वसूल किया जा सके उतना वसूल किया जाय । यह ठीक नहीं है कि कोई साहब यह सोचें कि पहले बकाया वसूल कर लो फिर इंवेस्टमेंट की सोची जायगी । इसको वही सोच सकता है जो किसी फर्म को चलाना नहीं जानता है । कोई फर्म या कोई दूकानदार यह नहीं करता है कि पहले बकाया को तो वसूल कर लिया जाय तब इंवेस्टमेंट करें ।

एक बात और है बड़े मंत्रिमंडल की बात पर बहुत जोर दिया जाता है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय, जेनरल डिबेट जो बजट की होती है उस मौके पर और अन्य समयों पर भी बड़े मंत्रिमंडल की बात होती है । मैं अपने माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जो बड़ा मंत्रिमंडल बना और उस पर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, यह आप देखें । मैं जो उद्देश्य विरोधी दल कहता है वही उद्देश्य मानूंगा कि कांग्रेस को स्थायित्व प्रदान करना है । एक बात तो हम सब चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार स्टेबिलिटी के साथ चले, इसमें झगड़े कम हों और यह भी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस मेजारिटी में है और उस को गवर्नमेंट चलाना है और किसी दूसरे को नहीं तो फिर अगर स्टेबिलिटी के साथ चलाना है तो कांग्रेस के अन्दर स्थायित्व रहना चाहिये और उसको कायम रखने के लिये, उसको लाने के लिये, मैं कोई चोरी की बात नहीं कहता कि हमारा काम बहुत बढ़ गया है या कुछ और हो गया है बल्कि यह साफ कहता हूं कि कांग्रेस में स्थायित्व लाने के लिये, कांग्रेस की हुकूमत में स्थायित्व लाने के लिये अगर गुप्त जी ने मंत्रिमंडल बढ़ाया है तो उन्होंने प्रदेश के साथ उपकार ही किया है, कोई अपकार नहीं किया है ।

कुछ सदस्य—यह नया फार्मूला है ।

श्री जगदीशप्रसाद—हमारे समक्ष बचत का प्रश्न और आता है । उसके ऊपर मैं कई बार कह चुका हूं और आज भी मेरी राय है कि बचत अवश्य होनी चाहिये । यह सही है कि हमारा बहुत-सा रुपया ऐसा खर्च होता है जिसमें हम कुछ बचत कर सकते हैं परन्तु मैं यह समझता हूं, मैं भी इस सदन में १० वर्ष से देखता हूं, माननीय पंत जी का भी मंत्रिमंडल देखा, माननीय सम्पूर्णानन्द जी का भी मंत्रिमंडल देखा और दूसरे प्रदेशों का भी मंत्रिमंडल देखने का सौभाग्य हुआ है,कि बचत, इस विशस सरकिल में जैसी आज है. हो नहीं सकती, जब तक कि आप नहीं सोचेंगे कि सरकार का पैटर्न ही बदल जाय । विशस सरकिल आज बना हुआ है । हर साल डिपार्टमेंट बढ़ते जाते हैं, कर लगते जाते हैं और यह सारा चक्र चलता जाता है और यह चक्र डिस्कशन से, बचत से या टैक्सेशन न करने से नहीं टूट सकता और जब तक यह विशस सरकिल है बचत हो नहीं सकती । इसमें कोई दो राय नहीं है कि बचत होनी चाहिये लेकिन इसके बारे में हमें बैठकर सोचना होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि मैं एलेक्शन के बारे में कुछ कहूं कि कांग्रेस ने किस तरह से एलेक्शन जीता मैं एक और बात कहना चाहता हूं । वह यह है कि हमारा प्रदेश देश भर में उत्तर प्रदेश है, हमारे मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के उत्तर की एक कांस्टीट्युएंसी से चुनकर आये हैं तो कहीं उत्तर में उत्तर की उत्तरोत्तर वृद्धि करते करते हम चीन की गोद में न जा पड़े क्योंकि चीन की तरफ से कम्यूनिज्म का डर बढ़ता जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—वह तो आयेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—हम उस कम्यूनिज्म को कभी बरदाश्त नहीं करेंगे और न आपके कहने से आने ही देंगे चाहे आप कितना ही चाहें ।

एलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है हमारी जनता हमेशा सीधी सादी रही है और ताकत की लाठी से हंकने वाली रही है। यह कोई गौरव की बात नहीं है कि कांग्रेस एलेक्शन में जीत कर आ गयी है, ५२ में और ५७ में और ६२ में भी, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिये कि जिस ढंग से आप लोग चुनकर आते हैं और जिस ढंग से आप लोग चुनाव लड़ते हैं वह कोई छिपी हुई बात नहीं है । जिस ढंग से करोड़ों रुपये प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के नाम से इकट्ठे किये जाते हैं वह भी छिपा हुआ नहीं है । आपको याद होगा कि सन् १९५७ में चीनी मिलों से कितना रुपया कांग्रेस फंड में लिया गया । एक रुपये प्रति बोरी इकट्ठा किया गया और फिर इसके साथ-साथ इतनी छूट दी गयी कि वे अपनी चीनी की दर को बढ़ाकर घाटा ही पूरा नहीं कर लें बल्कि करोड़हा रुपया उन्होंने अपनी जेब में भी डाला। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है जिसके लिये आप गौरव करते हैं।

अब जहां तक इन योजनाओं का सवाल है योजना के हम खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश प्रगति करे । आप के हाथों करे या हमारे हाथों करे, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है । अगर आप अच्छा काम करें तो हमारा समर्थन हमेशा आपके साथ रहेगा । परन्तु दुख इस बात का है कि जिन हाथों में आज हुकूमत है और जिनके हाथों में अब तक रही है उनके प्रति किसी भी ऐसे आदमी को विश्वास नहीं रह गया है जिसके अन्दर कि ईमानदारी है, खुदगर्जी नहीं है। मुझे एक बात कहने का अधिकार होना चाहिये कि सन् ३८ के मार्च में जिस वक्त नयी नयी हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू को एक चिट्ठी लिखी थी कि क्यों यह कांग्रेस की सरकारें प्रान्तों में बन रही हैं ? जो हमारे विचार थे और जिनको लेकर हमने आगे बढ़ने का संकल्प किया था वह अब नजर नहीं आते क्योंकि कुर्सियों पर बैठने के बाद हम अगला पिछला सब कुछ भुलाते चले जा रहे हैं । यह शुरू की बात है और आज चौदह पन्द्रह सालों में हालत कुछ अच्छी नहीं हुई है बल्कि दिनों दिन और अवनति की तरफ ही जा रही है। जो आपका आदर्श था, जो उम्मीदें लोग आपसे लगाये थे, जिनकी वजह से लोग आपकी पूजा करते थे, वह सब कुछ एक कहानी हो गया है, आप उसे भूल चुके हैं और लोगों के लिये वह कोई ऐसी चीज अब नहीं रह गई है कि जिससे आपके प्रति वह कोई अच्छी भावना अपने अन्दर रख सकें।

इन योजनाओं को लीजिये, जिस ढंग से वह चलायी जा रही हैं, जिस ढंग से रुपया इकट्ठा करने के बाद उसे बरबाद किया जा रहा है, वह एक दुखद कहानी बन गयी है । मेरे जिले में लखनौटी बांध बनता है, कई लाख रुपया जमुना के किनारे पर लगाया जाता है । एक साल के बाद जमुना नदी में पानी चढ़ता है और बांध बह जाता है । उसकी एन्क्वायरी होती है । सी० आई० डी० द्वारा एन्क्वायरी होती है और मालूम होता है कि सीमेंट के बजाय तमाम रेत लगाई गई है और बांध में अव्वल ईंट के बजाय दोयम ईंट लगाई गई है। लेकिन एन्क्वायरी के बाद भी हुकूमत यह कहती है कि वहां की सीमेंट ऐसी है कि उसको अलग करके देखा नहीं जा सकता क्योंकि एक ईंट भी अगर हिलायी जायगी तो सारा बांध बह जायगा। इसी तरह आजकल एक बहुत बड़ा बांध देहरादून में बनाया जा रहा है । लाखों बोरी सीमेंट रोज वहां पहुंचती है । लेकिन ट्रकों के जरिये से हजारों बोरी रोज उसमें से ब्लैक मार्केट में जाकर साढ़े छः रुपये बोरी के हिसाब से बिक जाती है जबकि सीमेंट का भाव आज आठ साढ़े आठ रुपये है । कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है । अफसोस की बात है कि किस तरह से हमारी गाढ़ी कमाई का रुपया करों के रूप में इकट्ठा करके उसका दुरुपयोग किया जाता है। हम मानते हैं कि हमारा प्रान्त पिछड़ा हुआ है । लेकिन उसका कारण क्या है ? उसका कारण आप लोगों की काली करतूतें हैं । आप लोगों ने कभी इस बात को सोचने की तरफ ध्यान नहीं दिया । अभी कल ही एक प्रश्न मैंने किया था कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहारनपुर जिले में तहसीलवार कितना रुपया खर्च किया गया । आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय,

आपके सामने ही यह जवाब दिया गया कि एक तहसील के अन्दर साढ़े आठ लाख रुपया खर्च किया गया है दो तीन चार मदों के अन्दर क्योंकि एक माननीय मन्त्री जी उस इलाके से आते हैं, उनका वह स्थान है, उसी से वह चुनकर आते हैं । लेकिन बाकी तहसीलों में जो गरीब हैं जिनके पास साधन नहीं है वहां कुल मिलाकर साढ़े पन्द्रह लाख रुपये खर्च हुये हैं जबकि हरद्वार, रुड़की, सहारनपुर ऐसे शहर और बड़े बड़े स्थान हैं । लेकिन फिर भी साढ़े आठ लाख रुपया केवल एक तहसील के ऊपर खर्च कर दिया गया और इसके बाद भी आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम आपके सामने घुटने टेकें और आपकी काली करतूतों को चलनें दें । बड़े अफसोस की बात है, आप इतने रुपयों का सदुपयोग करने की बात सोचते भी नहीं हैं, बिलकुल उनका दुरुपयोग करते हैं और फिर भी कहते हैं कि नहीं हम टैक्स लगायेंगे । माननीय मुख्य मंन्त्री जी कहते हैं कि होगा, होगा, होगा । हम भी कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आप भी नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे । यह बात मैं कहे देता हूं । हम यह मानते हैं कि देश के हित के लिये पैसे की जरूरत है, जान की जरूरत है, खून की जरूरत है । वह सब हम देने के लिये तैयार हैं और पहले भी दिया है । मगर आज बहुत से लोग कांग्रेस की बैन्चों पर ऐसे हैं, अगर वह अपनी अगल बगल झांककर देखें तो उनको पता चलेगा कि वे क्या कुरबानी करके आये हैं । आज वे बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं और हमने आजादी ली है । मैं जानता हूं कि आप क्या करते हैं और किस तरह से आये हैं और कितने बैलों की जोड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—कांग्रेस के ऊपर विचार नहीं हो रहा है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर——आज जो हुकूमत यहां पर बनी हुई है वह कांग्रेस की हुकूमत है । वह जिस तरह से कार्य कर रही है वह जनता के हित में नहीं है । लोगों ने इसलिये इस सरकार को भेजा है कि यह उनकी बातों को मानें । मैं इसी नजरिये को सामने रखकर यह बातें आपके सामने रख रहा था । बहरहाल अगर आप इसकी इजाजत नहीं देते हैं तो मैंने अपनी बात कह दी ।

अब आप जनता पर इतने कर लगाने जा रहे हैं जो उसकी शक्ति के अनुरूप नहीं है । आप मांग करते हैं कि इतना रुपया चाहिये और इतना रुपया इकट्ठा करेंगे । हम भी रुपया देने के लिये तैयार हैं । हम यह भी समझते हैं कि अगर आप मुनासिब समझें तो कम से कम इधर के बैठने वाले जितने लोग हैं वह इस बात का त्याग करने के लिये तैयार हैं कि २०० रुपया महीना जो आप देते हैं वह हम लोग ५ वर्ष के लिये न लें । आप भी इसके लिये तैयार हों । ६५ लाख रुपया उससे निकलेगा । आप इस रुपये का सदुपयोग करके देखिये । हम एक पैसा भी लेने के लिये तैयार नहीं है और हम इसलिये यहां पर नहीं आये हैं कि हम लोगों को कुछ यहां से पाना है । हम यह भी जानते हैं कि हमारा कुछ बस नहीं है और हम काम भी कुछ सरकार से लेना चाहते हैं और न इस नीयत से आये हैं लेकिन एक बात आपके सामने रखने के लिये जरूर आये हैं और वह यह कि जिस वक्त आप गलती करें, जिस समय आप हमारे रुपये का दुरुपयोग करें तो आपको हम समझा दें कि इस तरह से आप गलती कर रहे हैं और जिस गलत रास्ते की तरफ आप चल रहे हैं उससे हटाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना हमारा फर्ज है । बाद में उस गलती से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है । तो एक सज्जन के नाते हमारा यह फर्ज होता है कि जो किनारे पर खड़ा है उसको वहां से हटाने की कोशिश करें । अगर वह वहां से नहीं हटता है तो वह डूब जायगा । हम तो केवल समझाने की कोशिश कर सकते हैं । हम जानते हैं कि अगर दुश्मन किसी कुएं की मेंड़ पर खड़ा है तो उस वक्त हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे और अगर वह नहीं समझता है और गलती करता जाता है तो फिर हम भी उसको एक लात मार देंगे ताकि वह अन्दर गिरे और डूब जाय । ऐसा वक्त आयेगा कि जब इस तरह की हालत देश के अन्दर पैदा हो । लेकिन इस वक्त इस सरकार की जिम्मेदारी है और यह सरकार अपनी गलतियों पर परदा डालने की कोशिश करती है । सरकार को सीधा रास्ता अख्तियार करना चाहिये और सम्पूर्णानन्दजी की मिनिस्ट्री में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है इस तरह की बातों में नहीं उलझना चाहिये । मैं यह भी जानता हूं कि आपके यहां पार्टीबाजी है । अगर दुश्मन

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

के घर में आग लगी हो तो उस पर हमको खुश नहीं होना चाहिये लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समझाने पर यदि वह नहीं मानता है तो फिर बाद को कुछ खुशी भी महसूस होने लगती है क्योंकि हम भी इन्सान ही हैं । अगर आपके अन्दर कुछ लोग भलाई की दृष्टि से कुछ आपको सलाह देते हैं और मैं जानता हूं कि कुछ व्यक्ति आपके बीच में ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि गरीब लोगों की जेब से और पैसा न निकले । अगर वह सज्जन होने के नाते आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं और सही बात समझाना चाहते हैं तो आप उससे भागते हैं और शासन की बात दिखाते हैं । हमारा जो फर्ज है उसको हम समझते हैं । आपके सामने आपकी गलतियों को रखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आप कृपा कर उनके ऊपर विचार करें । आप हमारे ऊपर कृपा कीजिये और अपने ऊपर भी कृपा कीजिये कि इस तरह की नीति से देश का भला होने वाला नहीं है । जितना कर्जा बाहर से आप लेते हैं उसको देखकर हमको कोई खुशी नहीं होती है । आप जापान के पास भी मांगने के लिये जाते हैं कि वह कर्जा दे । जापान वह देश है जो लड़ाई के जमाने में बिलकुल नेस्तनाबूद हो गया था और आज आपको कर्जा देने के लिये तैयार है । दूसरी तरफ एक जर्मनी देश है जो कई दफा बरबाद कर दिया गया । दो बार वहां पर लड़ाई का सामना किया गया लेकिन वह जर्मनी भी आज आपको कर्जा देने के काबिल है । क्यों ? वह इसलिये कि उनके अन्दर नेशनल करेक्टर है । उसी नेशनल करेक्टर के आधार पर यह कांग्रेस खड़ी हुई थी और कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व दिया गया था और हमने भी कांग्रेस के झंडे के नीचे बैठकर कुरबानी की थी मगर आज पता नहीं कि वह नेशनल करेक्टर चला कहां गया ? अफसोस की बात है कि आज हम जापान के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिये खड़े हैं आज भले ही आप इस मनोवृत्ति को लेकर यहां हवाई जहाज में बैठ] कर नैनीताल को सैर कर लें, लेकिन आने वाली नस्लें इसको बरदाश्त नहीं करेंगी और यह कलंक का टीका आपके माथे पर लगा रहेगा ।

श्री टम्केश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, यह शब्द 'आप' बड़ा खतरनाक है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—तो मैं कहता हूं कि इस कलंक से बचिये और देश के उत्थान की तरफ ध्यान दीजिये । आप के हिन्दुस्तान में पैसे की कमी नहीं है । यह सोने की चिड़िया रहा है । बापू की एक आवाज पर औरतें अपने जेवर निकाल कर फेंक देती थीं । आप अपने में उनका सा करेक्टर पैदा करें । आप उनके नाम पर वोट मांगते हैं, उनकी सी करतूतें अपने में नहीं पैदा करते । आप अपने में उनका-सा कैरेक्टर पैदा करके ही देश की तरक्की कर सकते हैं । मैं नहीं जानता कि इतना कहने के बाद भी मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूंगा या नहीं ।

*श्री नियामतुल्ला अन्सारी (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प यहां पेश है और जिसमें कहा गया है कि यह टैक्स न लगाये जायं या जो लगे हुये हैं उनमें इजाफा न किया जाय, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आखिर यह टैक्स लाने की बात है क्यों ? यह इसलिये कि हमको धन की आवश्यकता है । हमारे सामने मुल्क को आगे बढ़ाने, तरक्की के रास्ते पर ले जाने का सवाल है । देश से जहालत, बीमारी और दूसरी कमजोरियों को दूर करने के मसले हैं और उनके लिये यह योजनायें बनी हैं और इन योजनाओं को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता है । हमारे सामने मुल्क में सड़कें बनाने, यातायात की सुविधा बढ़ाने, अस्पतालों को बनाने की योजना है । इन सारी जरूरियात को आखिर किस तरह से पूरा किया जा सकता है । हमने मुल्क की आजादी के लिये अपना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने बड़े-बड़े बलिदान किये, अपना खून बहाया, अपनी मांओं को, बहनों को बेवा किया। १८५७ से लेकर १९४७ तक हमारी आजादी की लड़ाई का एक लम्बा इतिहास है और उसको यहां दोहराने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो पहले शरू के वर्षों में हमारे सामने रिफ्यूजियों की एक बड़ी समस्या थी। पाकिस्तान से बहुत से लोग हमारे देश में आये और उनको बसाने का एक बड़ा सवाल था। यह सवाल उस वक्त हमने एक बड़ी खुशनूदी से हल किया और उसके बाद अपने मुल्क की तरक्की करने का सवाल पैदा हुआ। उसके लिये हमने योजना बनायी और इन योजनाओं के द्वारा ही हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

योजनाओं के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आज उनका मुखालिफ नहीं मालूम होता। जनसंघी भाई भी योजना के मुखालिफ़ नहीं हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारे सामने इन योजनाओं द्वारा ही मुल्क को आगे बढ़ाने का सवाल है, मुल्क की कमजोरियों को दूर करने का सवाल है तो उस काम को हम बिना पैसे के कैसे कर सकते हैं। मुझे फारसी का एक शेर याद आता है—

अन्दरूने कारेंदरिया तख्ता बन्दम कर दई।
बाजमी गोई कि दामन कर नकुन हुशियार बाश॥

समुद्र में तख्ता बांध कर निकल तो खड़े होओ, लेकिन हमसे कहा जाता है कि तुम्हारा दामन पानी से भीगने न पाये। अपने कपड़े भिगोना नहीं। हम बिना रुपये के कैसे अपनी योजनाओं को सिद्ध करेंगे? यह जो बात कही जाती है कि योजनाओं से कोई फायदा नहीं पहुंचा है, मैं तो समझता हूं कि यह बिलकुल गलत खयाल है।

अभी जब मैं आपके सामने बोलने के लिये खड़ा हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मजाकन कहा कि कुछ आंकड़े वगैरह नोट कर लिये हैं या नहीं। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब आफताब निकला होता है तो उसकी रोशनी सारी जमीन पर फैली होती है। इसी तरह से मुझे आंकड़ों की कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। जो काम तरक्की के किये जा रहे हैं वह तो सबके सामने हैं। इसलिये मैं कुछ आंकड़े वगैरह नहीं पेश करना चाहता हूं। जितनी तरक्की आज हमने की है वे हम सब लोगों के सामने हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिये कि आज से १० साल पहले हमारे मुल्क के अन्दर जब कि ये योजनायें नहीं शरू हुई थीं तो लोगों की माली हालत क्या थी, कारोबारी हालत क्या थी। अगर आप गौर फरमायें तो आपको मालूम होगा कि पहले के मुकाबले लोगों के रहने के लिये ज्यादा मकानात बनवाये गये हैं। जहां कच्चे रास्ते थे, जहां कि लोगों का और गाड़ियों का चलना मुश्किल था वहाँ पर आज पक्की सड़कें बनी हुई हैं। उन दरियायों पर जिन्हें पार करना मुश्किल होता था वहां पर आज बड़े-बड़े पुल बनाये गये हैं। हमारे मुल्क के अन्दर बड़े-बड़े लोहे के कारखाने बनाये गये हैं और बन रहे हैं। बिजली के कारखाने भी दिन पर दिन खोले जा रहे हैं। आप गौर फरमायें तो आपको मालूम होगा कि देहातों के अन्दर आबपाशी के साधन भी इतने माकूल हो गये हैं कि उनसे हमारी पैदावार बढ़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं आज पहले के मुकाबले हैजा, चेचक, प्लेग और दूसरी ही ऐसी बीमारियों पर ज्यादा काबू हासिल किया जा चुका है। अब पहले के मुकाबले लोग कम मरते हैं। बीमारियां काफी हद तक हमारे मुल्क से दूर हो चुकी हैं। यह सब इन्हीं योजनाओं की वजह से मुमकिन हो सका है। एक बात और आप को बता देना चाहता हूं। अगर आप आज से पहले की मर्दुमशुमारी हिन्दुस्तान की देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा उम्र ३७ बरस होती थी। लेकिन अब इसके बावजूद ५० बरस हो गई है। आप देखें कि उम्रें बढ़ी हैं। यह इसी वजह से बढ़ी हैं कि हमने पहले के मुकाबले ज्यादा सहूलियतें हासिल कर ली हैं और एक बेहतर रहन-सहन की जिन्दगी गुजार रहे हैं।

[श्री नियामतुल्ला अन्सारी]

इतना ही काफी नहीं है। हमको और आगे बढ़ना है। अपने मुल्क में और ज्यादा इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। आप कहते हैं कि मिलों का खासकर शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिये। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि हर चीज का वक्त होता है, तो जब इसका भी वक्त आयेगा तो इसका भी राष्ट्रीयकरण हो जायगा। आज इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि हम सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहे हैं और यह सब बातें धीरे-धीरे इसमें होंगी। अगर यह एक दम से कर दिया जाय तो मुनासिब नहीं होगा और उससे हमारे तरक्की के रास्ते में और मुसीबतें खड़ी हो जायेंगी।

आप कहते हैं कि जो रुपये का बकाया है बड़ी-बड़ी मिलों से वह वसूल किया जाय, पर क्या आप यह समझते हैं कि यह हम छोड़ देंगे। यह आपका खयाल बिलकुल गलत है। यह हम धीरे-धीरे वसूल कर रहे हैं और वसूल करेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जबर्दस्ती करने से मिलें बन्द हो जायेंगी। ऐसा होने से मुल्क के अन्दर बेरोजगारी बढ़ेगी। इस वजह से हम ऐसी मामूली चीजों के अन्दर फंस कर अपना वक्त, कीमती वक्त जाया नहीं कर सकते। हमको बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ना है।

आज यह कहते हैं कि आज किस्म-किस्म के टैक्स लोगों पर लगाये जा रहे हैं और यहां तक कि किसानों पर लगाये जा रहे हैं। पर आपकी यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। जब कि हम किसानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो टैक्स तो उनसे लेना ही पड़ेगा। वह खुशी से टैक्सों को अदा करेंगे। हमारे मुल्क के लोग समझते हैं कि हम उनसे योजनाओं के लिये ही रुपया ले रहे हैं। इसलिये उन्हें टैक्स देने में कोई एतराज नहीं होगा। लोग जानते हैं कि हम उनका रुपया जाया नहीं कर रहे हैं पर आप लोग ही उन को तरह-तरह की बातें समझाकर मुगालते में डालना चाहते हैं। इसीलिये वह सही बात समझने से कभी-कभी महरूम रह जाते हैं। जो २ पैसा देता है वह ४ पैसे भी दे सकता है। इसलिये यह हमारा भी फर्ज है और आपका भी फर्ज है कि मुल्क की तरक्की में हाथ बटायें। इस तरह से क्या किसान यह नहीं चाहता है कि उसके घर में बिजली लग जाय, उसके गांव में बिजली लग जाय, नयी-नयी बड़ी-बड़ी सड़कें बन जायं, स्कूल तथा अस्पताल बन जायं तथा अन्य तरह-तरह की उसे सुविधायें मिलें। किसान इन सारी सुविधाओं को चाहता है फिर वह यह कैसे कहेगा कि हम योजनाओं को नहीं चाहते। हम योजनाओं में हिस्सा नहीं लेंगे। वह योजनाओं को चाहता है और योजनायें बिना पैसे के चल नहीं सकतीं इसलिये उनके लिये टैक्स लगाना ही पड़ेगा। अतः मैं अपने विरोधी भाई से अनुरोध करूंगा कि जो संकल्प उन्होंने रखा है उसे वे कृपया वापस ले लें।

श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज स्थिति हमारे सामने ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी उस आदमी से कहा जाय जो तैरना नहीं जानता कि तुम दरिया में उतर जाओ। इसमें दो प्रश्न निहित हैं—बिना दरिया में उतरे तैरना भी नहीं आ सकता और बिना तैरना जाने हुये अगर उतरा जाता है तो बच नहीं सकता। इसी तरह एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रान्त की उन्नति बगैर रुपया के नहीं हो सकती, दूसरी तरफ वह रुपया जिससे लिया जाता है वह, उसके फल को देखने के लिये जिन्दा भी रहेगा या नहीं?

इस समय कोई संघर्ष वाली बात नहीं है। कांग्रेस की इस समय हुकूमत है और हम इससे सहमत हैं कि वह हमेशा बरकरार रहे अगर हमें यह इत्मीनान हो जाय कि वह सरकार हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और जिस मरीज का वह इलाज करने के लिये कहते हैं उसको वे हत्या नहीं करेंगे, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उस के लिये सवाल उठता है कि रुपया वहां से आये। मेरा खयाल है कि कांग्रेस वालों को कोई

आपत्ति नहीं होनी चाहिये अगर अपोजीशन वाले यह आफर करें कि देश और प्रदेश के कल्याण के लिये जितने रुपये की मांग होगी उसको हम पूरा करने के लिये तैयार हैं लेकिन आप घर के मालिक तो बने रहें पर रुपया हमारे बताये तरीकों से प्राप्त करें। हम एक-एक कतरा खून देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि हमको यह इत्मीनान हो जाय कि वह हमारी भलाई के लिये लगाया जायगा। आज स्थिति प्रदेश की इतनी भयंकर है कि उसको देखकर कलेजा कांप जाता है कि एक-एक पाई जो हम दे रहे हैं उसका सदुपयोग होगा भी या नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें करप्शन बहुत है और उससे यह सरकार इनकार भी नहीं कर सकती। जो रुपया हम आपको विकास कार्य के लिये देते हैं उसकी किस तरह से लूट होती है उसके उदाहरण अभी एक माननीय सदस्य ने बहुत से दिये हैं। आज पुलों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में, नहरों के निर्माण में तथा अन्य विकास के कामों में रुपया किस तरह से खर्च होता है और किस तरह से कितने कर्मचारियों की पाकेट में जाता है जो उस काम को कराते हैं, उसको देखने की जरूरत है। आज एक तरफ अधिकारी अपने अधिकारों में चूर हैं, अगर कोई आदमी सच्चा काम लेकर भी जाता है तो उनसे भी रुपये की डिमांड होती है। अभी चन्द दिन पहले दुबोलिया बांध की बात सदन के सामने आयी थी। वहां ७०० रुपये का नाटक हुआ था। ७०० रुपये के लिये चन्द्र आदमियों की हत्या करदी गयी। एक नहीं आपका रजिस्ट्रार कानूनगो, सब-इन्सपेक्टर, ओवरसियर, इन्जीनियर हम से मांग करें और १० फीसदी ठेकेदार को देना पड़े। तो १० फीसदी तो वह दे और फिर यह रकम आप हमसे मांगें टैक्स के रूप में। तो यह अलीबाबा और चालीस चोर वाली बात हम नहीं चाहते। आप मांग कीजिये कि प्रान्त की उन्नति के लिये हमें इतनी रकम चाहिये और उससे दुगनी रकम हम आपको देंगे। उसके वसूल करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिये, और हमें बदनामी सहने दीजिये लेकिन उसके बाद आप यह फिक्र न करें कि हमारे लाड़लों को आप क्यों छूते हैं। लेकिन वह आप मानेंगे नहीं। इसलिये परिस्थिति ऐसी भयंकर हो गयी है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल मालूम होता है।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट के मन में जब तक यह भावना रहेगी कि हम अपनी मेजारिटी के बल पर, जो मन में आयेगा करेंगे, तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कितने ही सब्ज बाग हमें दिखाते रहें लेकिन हम बच्चे नहीं हैं जो हमेशा ही आपके धोखे में आते रहेंगे। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें बीत गयीं और तीसरी योजना चालू है लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हम पर--फैंपिटा इनकम बढ़ा नहीं सके हैं। कितने दिन तक आप पर विश्वास किया जा सकता है। आप कहते हैं कि राज्य हमी करेंगे, मरीज का आपरेशन हमीं करेंगे लेकिन हम जानते हैं कि मरीज आपरेशन टेबिल से लौट कर आने वाला नहीं है। आप वायदा कीजिये कि हम रहें या न रहें लेकिन हमारा प्रान्त रहे। पहले कांग्रेसी नेता यही कहा करते थे। लेकिन आज तो आप कहते हैं कि मुल्क रहे या न रहे, हमारी गद्दी बरकरार रहे। इसी से यह सब हो रहा है।

हमने एक सवाल पूछा था, उसका मुफ्ता जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने ५-५ ७-७ पोर्टफोलियो ले रखी हैं और बाकी मिनिस्टरों को एक या आधी ही दे रखी है और मोटर वही, बंगला वही, तनख्वाह भी आप उनको पूरी देते हैं फिर क्या वजह है कि उनको आप एक घंटे का काम देते हैं और तनख्वाह पूरी देते हैं। इस पर आप ऐलान करते हैं कि हम किफायतशारी करते हैं। आप टालमटोल उत्तर देते हैं। कहते हैं कि हिन्दोस्तान के और प्रान्तों के मुकाबले में हमारा मन्त्रिमंडल अभी छोटा है। लेकिन क्या अगर दूसरे स्थानों पर डकैती होती है तो हम अपने यहां चोरी करने की इजाजत दे सकते हैं, इस में मानने को तैयार नहीं हूं। आप कहते हैं प्रान्त का कल्याण हमी करेंगे लेकिन आप करते हैं नहीं और न करने देते हैं तथा गद्दी छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते। जब तक आपमें यह भावना रहेगी तब तक प्रान्त का कल्याण नहीं हो सकता। अपोजीशन की साइड आपको

[श्री सत्यदेव]

हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है लेकिन आप सब लोगों के बच्चों को पढ़ने का प्रबन्ध करें, उनके इलाज का प्रबन्ध करें, सड़कें बनवायें, नहरें बनवायें। जब आप ऐसा करें और फिर भी हम आपको कोसें तो ऐसे बेवकूफ हम नहीं हैं। हमारा एम कोई दूसरा नहीं है लेकिन सद्भावना के साथ जो हम भोग रहे हैं, उसी का अवलोकन आपको कराने का प्रयत्न करते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस वक्त मुख्य मन्त्री जी फाइल देख रहे हैं। इस सम्बन्ध में कई बार सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठा है और आप व्यवस्था दे चुके हैं कि मुख्य मन्त्री महोदय सदन में जब तक बैठे रहेंगे और सदन की कार्यवाही चलती रहेगी वे या कोई भी सदस्य फाइल नहीं देख सकते हैं। तो मैं इसपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या वे इस आदरणीय सदन में फाइल देख सकते हैं?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जो फाइल मैं देख रहा हूं वह इसी प्रस्ताव पर कटौती आदि से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष---इस पर मैं व्यवस्था दे रहा हूं, इसे आप स्पष्ट समझ लीजिये। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मन्त्री जी अगर जो विषय प्रस्तुत है, उसके सम्बन्ध में कोई फाइल देख रहे हैं तो देख सकते हैं। यह प्रथा सन् ३७ से आज तक रही हैं। इसके अतिरिक्त कोई पत्रावली देख रहे हों तो गलत है लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी नियम का उलंघन नहीं कर रहे हैं बल्कि सम्बन्धित फाइल ही देख रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी अपना भाषण देख रहे हैं जो वे अभी इस प्रस्ताव पर देने वाले हैं?

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं।

श्री सत्यदेव---अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा था उसी के सम्बन्ध में यह भी कहूंगा कि आज कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से परिवार नियोजन पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि हम किस तरह से अपनी फैमिली को कम करें, लेकिन उसी सिद्धान्त को अगर मन्त्रिमंडल के सम्बन्ध में थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया गया होता तो हम समझते कि मुल्क का बहुत ज्यादा कल्याण होने वाला है। इसी कांग्रेस पार्टी के आधार स्तम्भ राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो पहले उसी गद्दी पर थे जिस पर कि आज आप विराजमान हैं। एक बार उनके पोते ने उनकी गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहा। इस पर टंडन जी ने कहा---बेटा तुम्हारे बाबा के पास तो कोई गाड़ी नहीं है, यह स्पीकर टंडन की गाड़ी है, जिसको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुमको जहां जाना हो वहां तांगे, रिक्शे से या जैसे भी जाना हो, चले जाना। (मेजों का थपथपाना) तो यह एक आदर्श था, महात्मा जी का एक आदर्श था। लेकिन आज यहां का आदर्श यह है कि आये दिन एक हफ्ते बाद, १० रोज बाद, ५ रोज बाद मुख्य मन्त्री व अन्य मन्त्री लोग दिल्ली जाते रहते हैं। अभी कल ही पता लगा है कि माननीय अलगूराय शास्त्री जी फिर दिल्ली गये हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चार पांच मन्त्री प्लानिंग कमीशन से बातचीत करने के लिये दिल्ली गये थे तो माननीय शास्त्री जी भी पहुंचे थे। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस तरह से जनता का पैसा न खर्च करे, क्योंकि यह देखने में आया है कि व्यर्थ के कामों पर जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मैं तो कहूंगा और माननीय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वह जवाहर लाल जी से प्रार्थना करें कि वे श्री शास्त्री जी को सेंट्रल गवर्नमेंट में ले लें ताकि वे वहीं आबाद हो जायं और इस तरह से जनता का पैसा उनके आये दिन दिल्ली के सफर पर खर्च न हो। मैं जानता हूं

कि इसका जवाब दे दिया जायगा और हमें समझाने की कोशिश की जायगी कि वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं जानता हूं कि कितना जरूरी है। अगर ये न जायं तो बहुत कल्याण हो सकता है।

ऐसे ही आपकी स्कीमें चल रही हैं। मैं तो देहात में रहा हूं और अपने यहां ब्लाक प्रमुख भी रहा हूं। आपके जितने कार्य ब्लाक्स में आज हो रहे हैं उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है और जानता हूं कि वहां के काम कैसे हैं, वहां की नालियां कैसी हैं। आज वहां विकास के नाम पर जो कुछ खर्च हो रहा है वह ब्लाक के बी० डी० ओ०, पचासों ए० डी० ओज०, सैकड़ों पंचायत सेक्रेटरीज और हजारों ग्राम सेवकों की तनख्वाह व भत्ते में ही चला जाता है। दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं, तीसरी चल रही है, लेकिन वास्तव में कोई विकास का काम नहीं किया गया है। यह बात दूसरी है कि कहीं कुछ खड़ंजे लगा दिये गये, कुछ नालियां पक्की हो गयीं, लेकिन न तो मुल्क का उत्पादन बढ़ा, न हाइजेनिक कोई काम हुआ जिससे हम बीमारियों से बच सकें और न सिंचाई के साधनों में कोई वृद्धि देखने में आ रही है। इस तरह से सारा का सारा रुपया इन ए० डी० ओज०, पंचायत सेक्रेटरीज और ग्राम सेवकों की तनख्वाह व भत्ते में ही चला जाता है। इसी रुपये को अगर हाकिम परगना, तहसीलदार के जिम्मे कर दिया जाय तो वह रुपया डाइरेक्ट किसानों के पास पहुंच जाय और उससे मुल्क की हालत बेहतर हो जाय। आपने मन्त्रियों का एक लम्बा जाल बिछा रखा है और रोज खर्च के लिये कभी १४ करोड़ तो कभी ४० करोड़ रुपया मांगा जाता है। अगर इसी तरह से मांग होती रही तो मैं समझता हूं कि सारे भारतवर्ष क्या अगर अमेरिका भी अपना सारा रुपया देदे तो भी इन भुक्खड़ों के पेट में ही सब चला जायगा और फिर भी उनको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। अगर आप ईमानदारी चाहते हैं कि इस धन का सदुपयोग हो तो आपको चाहिये यह कि सजेशन्स तो हम से लें और खर्च अपने मन से करें। इतना ही मुझे कहना है और कुछ नहीं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य---अध्यक्ष महोदय, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के संकल्प पर अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस संकल्प में उन्होंने करों का विरोध किया है कि किसी भी प्रकार के कर न लगाये जायं और जो राज्य की धन की आवश्यकता है उसको मितव्ययिता द्वारा पूरा किया जाय। उस पर हमारे २ भाई बोले और दोनों ने यह समझकर कहा जैसे कि वह हमारी पुरानी सब बातें भल गये। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि 'हमको दुआयें दो कि तुम्हें कातिल बना दिया'। हम ही ने तो उन्हें सिखाया है और उन लोगों को सिखाया है कि जो हमारे किसानों को कोड़ों से पिटवाते थे और डाली पर टंगवाते थे, हर साल उनसे अपने खेत छुटवाते थे और उनको हर तरह से तबाह करते थे और आज वही लोग सदन में बैठकर जनता की दुहाई देते हैं। हमने तो एक संकल्प किया है और कुछ सिद्धान्तों को माना है और भारतवर्ष में समाजवादी ढंग के समाज की रचना के लिये हमने एक व्यवस्था बनाई है और उसी की पूर्ति के लिये हमने यह योजनायें बनाई हैं। उस समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक विषमता न रहेगी, ऊंच-नीच का भेदभाव न रहेगा और जाति बिरादरी की संकीर्णता समाप्त हो जायगी। इस बड़े संकल्प को पूरा करने के लिये हम को बड़े-बड़े काम पूरे करने हैं और उसको मजबूती के साथ पूरा करने के लिये हमने यह योजना बनाई है। जिस तरह से एक इंसान मकान बनाता है तो खड़ंजे तक पहुंचने से पहले ही उसकी नींव में इतनी ईंटें लग जाती हैं जितनी कि ऊपर सारी इमारत के बनाने में लगती हैं या कुछ उससे थोड़ी अधिक लगती हैं। हमारी पहली योजना ही १५७ करोड़ की थी और यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी बुनियाद कमजोर थी, हमने एक मजबूत बुनियाद बनाई। हमने और किसी बात की परवाह न करके यह चीज ध्यान में रखी कि जो संकल्प हमने किया है वह पूरा हो। हम उन्हीं सिद्धान्तों से ओत-प्रोत हैं कि जिनके अन्तर्गत चलकर हम अपने प्रदेश की प्रगति कर सकते हैं। आप हमें लाख धमकियां देते हैं कि अगर कर लगायेंगे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

तो यह कुर्सियां छूट जायंगी लेकिन हमारे देश के बहादुरों ने, कांग्रेस के लोगों ने वह सिद्धान्त बनाये हैं ।

"वतन हमेशा रहे शाद, काम 'आजाद' हमारा क्या है, यहां हम रहें रहें न रहें ।" आज हम इन कुर्सियों पर बैठकर भाइयों .....(व्यवधान) वह श्रीमान् मैं कह गया, मैं कह रहा था कि यह उनके दिमाग में गलतफहमी है और उसे उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिये। इस कुर्सी पर बैठकर यह बात सही नहीं है कि सरकार कमजोर हो जायगी । हमने यह योजना बनाई है और हम उसकी पूर्ति में लगे हैं । हमारी पहली योजना १५७ करोड़ की थी, दूसरी योजना २५७ करोड़ की थी और तीसरी योजना ४९७ करोड़ की है और उसकी पूर्ति के लिये ही हम टटोल रहे हैं कि कहां से रुपया आये और उसको सफल बनाने के लिये कैसे पैसे की कमी को पूरा किया जाय ।

बातें कुछ कहने की होती हैं और वह कही जाती हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो नहीं कहना चाहिये लेकिन कह दी जाती हैं । मैं आपके द्वारा दोस्तों को यकीन दिलाना चाहता हूं और अगर उनको यह ख्याल है कि सरकार का विरोध करके जनता में हम बड़ी ख्याति प्राप्त कर लेंगे और सरकार कमजोर हो जायगी तो मैं कहूंगा यह गलतफहमी उनको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिये । अगर हम उनसे रुपया लेकर उनके काम में ठीक तरह से खर्च करते हैं, उनकी गरीबी, बेकारी को दूर करते हैं, जमीन पर से उद्योग धंधे लगा कर बोझ को हल्का करना चाहते हैं, बेकार नौजवानों को रोजगार देते हैं और पांच साल बाद हम उनको अपना हिसाब देने जायेंगे तब विरोधियों को यह ख्याल रखना चाहिये कि उनका यह निशाना चूक जायगा। प्रदेश में जो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, जिस भावना को लेकर हम काम करना चाहते हैं उस पर परदा डाल कर गलत दिशा में हमारे प्रदेश को ले जाना चाहते हैं तो जनता उनसे अवश्य पूछेगी कि कांग्रेस के नेताओं ने जो कुछ भी हमारे लिये काम किया है, हमारे फायदे के लिये किया है, उसी की वजह से हमारी यह हालत है । मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा आंख उठाकर देखें, इस खयाल से नहीं कि आप विरोधी कुर्सियों पर बैठे हैं, बल्कि इस प्रदेश के नुमाइन्दे होने के नाते, थोड़ा स्वतंत्र हो कर देखें तो क्या आप इनकार कर सकते हैं कि १५ सालों में किसानों और मजदूरों की हालत तथा पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे लोगों की हालत में कोई फर्क नहीं हुआ । अगर आप एक नागरिक की हैसियत से सोचेंगे तो अवश्य कहेंगे कि फर्क हुआ है और फर्क ही नहीं बल्कि महान् फर्क हुआ है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके दिमाग में एक धारणा जाग्रत हुई है कि अब हमें गरीब नहीं रहना है । हमारी गरीबी अभी दूर नहीं हुई, लेकिन उसको दूर करने की जो मनोवृत्ति किसान में पैदा हुई है यह कोई छोटी बात नहीं है । यदि उनके दिमाग में इसका असर है कि कांग्रेस सरकार की मदद से आगे बढ़ रहे हैं तो अवश्य थोड़े दिनों में गरीबी दूर हो जायगी । यह कोई मामूली बात नहीं होती । जो खर्चा हमने किया है उसके हिसाब से जो तरक्की हमको मिली है वह कम नहीं है । बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है गांवों में जिसको खड़ंजा कह कर छोड़ दिया जाता है या यह कह दिया जाता है कि थोड़ी-सी नालियां बन गईं या कारबार मामूली-सा हो गया तो आप यह नहीं सोचते कि जब हमने शासन अपने हाथ में लिया उस समय कैसी विचारधारा थी । गांव वालों के अन्दर निश्चित रूप से जागृति हुई और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ।

रोज़ यह धमकी दी जाती है कि सरकार बड़ी गैरजिम्मेदारी से काम करती है । मंत्रि-मंडल के सदस्य बहुत बड़ी तादाद में हो गये हैं इसकी आवश्यकता नहीं थी कि इतना बड़ा मंत्रि-मंडल होता । मैं कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा काम होता है उतनी ही आवश्यकतायें होती हैं काम करने वालों की । मैं देखता हूं कि सुबह से शाम तक मंत्रि-मंडल के सदस्य कागजों में व्यस्त रहते हैं फिर भी रोज का रोज काम नहीं कर पाते । सदा तीन-चार दिन पहले के कागज उनके यहां बने ही रहते हैं । तो क्या आप सोचते हैं कि जिस काम के लिये मंत्रि-मंडल का विस्तार हुआ है अगर इसमें कुछ कमी हो जाती तो हमारा और आपका लाभ होता ? मैं तो यह समझता हूं

कि इसमें हमारा लाभ हुआ है । हमारी कार्यक्षमता बढ़ी है, हमारा काम आगे बढ़ता जा रहा है और जनता की जो सेवा गांवों के द्वारा होनी चाहिये वह हो रही है ।

मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं । सरकार से यह शिकायत है कि १० वर्ष में जितना रुपया खर्च किया गया वह बिलकुल कूड़ेखाने में चला गया, किसान पर कोई असर नहीं पड़ा । यह ज्यादती और जबरदस्ती की बात है । यह केवल प्रचार की बात है और इलेक्शन के दिनों में गांव के किसानों में यह प्रचार अच्छा लगता है लेकिन यहां इस तरह का प्रचार करना मुनासिब नहीं है । दस वर्ष में जो काम हुआ है वह तो आपके सामने है । आप यह क्यों भूल जाते हैं कि हमारी आबादी दस वर्षों में १ करोड़ ३७ लाख और बढ़ गयी है और जमीन उतनी ही है । जमीन पर पैदावार तो बढ़ी लेकिन जनसंख्या उससे भी अधिक बढ़ी । मान लीजिये आपके कहने से हमारी सरकार खामोश रहे और यह सोचे कि जनता हमसे नाराज न हो जाय कर और लगान वसूल करने से और पांच साल के बाद शायद हमको न चुने और सरकार के ऊपर इस भ्रमात्मक प्रचार से मान लो असर पड़ा तो क्या इस प्रदेश को बंगाल बनाना चाहते हैं ? दस वर्ष तक सरकार चुप रहे और आपके प्रदेश की आबादी बढ़ कर १० करोड़ हो गयी तो क्या आप यह नहीं सोचते कि बंगाल की हालत नहीं हो जायगी, जहां कि प्रदेश और केन्द्र की सरकार देखती रह गयी और ४० लाख आदमी भूख से मर गये । वह ऐसा भयानक नक्शा हमारे सामने है जिसको देख कर चुप नहीं बैठा रहा जा सकता । लेकिन सरकार को बदनाम करें, जनता में भ्रामक प्रचार करें, चीप पापुलरिटी को हासिल कर और हमको कमजोर बना कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं । आप कहते हैं कि हमें लालच है, तो आपके दिमाग में कौन-सी सेवा की भावना पैदा हो गयी है ? आपको भी यही लालच है । हमारे प्रदेश का किसान सीधा-सादा किसान है, पढ़ा-लिखा नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, बहक जाता है और बहकते-बहकते इतनी बड़ी तादाद आज सामने मौजूद है और आप चाहते हैं कि इसी तरह से बहका कर आप कुर्सी पर बैठ जायं और सरकार बना लें ।

केरल की तरह सरकार आपने इस प्रदेश में भी बना ली और किसी तरह से दो-चार की संख्या में अधिक आ गये तो इसको अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिन भी वह सरकार चल नहीं सकती । जिनके सिद्धान्त छः-सात तरफ को जा रहे हैं वह हमारे विरोध में भले ही वाक आउट कर लें, हमारे विरोध में मामूली-सी मामूली बातों पर एक हो जायं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ के साथ नहीं जा सकती, सोशलिस्ट स्वतंत्र पार्टी के साथ नहीं जा सकते, प्रजा सोशलिस्ट सोशलिस्ट के साथ नहीं जा सकते क्योंकि सिद्धान्त का हनन होता है । सिद्धान्त का हनन होता है तो पार्टी हमारे साथ आगे चल नहीं सकती । तो कायदे से काम कीजिये । जहां-जहां हमसे गलती हो हमें याद दिलायें । हम और आप दोनों मिल कर काम करें और प्रदेश की हालत को अच्छा बनायें ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी गम्भीरता के वातावरण में इस मसले पर हमें विचार करना चाहिये । मुश्किल इस बात की है कि जब इधर से कोई बात कही जाती है तो उसका प्रत्युत्तर उधर से दिया जाता है और जब कोई उधर से कही जाती है तो इधर से प्रत्युत्तर दिया जाता है । हमें कुछ ऊपर उठ कर सोचना चाहिये, क्योंकि आज प्रदेश की जनता के सामने बड़ा सवाल है । दोनों ओर के तर्क प्रदेश के समाचार-पत्र जनता को सुनाते हैं और सरकारी पक्ष का तर्क यह है कि हम जनता की भलाई करने के लिये योजना के नाम पर कर लगा कर प्रदेश की गरीबी मिटाना चाहते हैं । विपक्ष का कहना यह है कि आपकी योजनाएं सुनियन्त्रित ढंग से नहीं चल पा रही हैं इसलिये आप सही योजना बना कर भी प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते । यह दो प्रश्न आज तर्क का विषय बने हुए हैं जनता के सामने । यह तो मानना पड़ेगा इस सरकार को कि यह हो सकता है कि उपर के बैठने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

वाले लोग आज इस सदन में तर्क के लिये न मानें परन्तु दुनिया और हिन्दुस्तान के अर्थ-शास्त्री सब इस बात को मान रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का लाभान्वित ढंग से विश्लेषण हुआ है वहां यह माना गया है कि ये योजनाएं जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिये बनायी गयी थीं उसमें वह फेल हुई हैं। जब इतना मान कर आप चलते हैं तो उसका बुनियादी दृष्टिकोण भी आपको सोचना चाहिये। प्रदेश की प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में एक-चौथाई तो निश्चित रूप से सरकार के अफसरों ने फिजूलखर्ची में बहिर्गमन किया है और उसका दुरुपयोग हुआ है और इसलिये आपकी योजनाएं फेल हुईं।

(इस समय १२ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए।)

जहां पर फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार की बात चलती हो वहां पूज्य बापू की एक बात याद आती है। गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार के संबंध में कहा है। महात्मा गांधी अपने भोजन के बाद हमेशा लौंग खाया करते थे। एक दिन जब उन्होंने लौंग खाई तो आधी लौंग खा कर दूसरा टुकड़ा कस्तूरबा को दे दिया। दूसरे दिन जब उन्होंने दूसरी लौंग गांधी जी को दी तो उन्होंने कहा कि कल वाला टुकड़ा कहां गया। तो बा ने कहा कि वह न जाने कहां खो गया। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि जब एक लौंग के टुकड़े का दुरुपयोग हुआ तो जो इस आश्रम में लाखों रुपये का सार्वजनिक चन्दा मेरे द्वारा आयेगा उसका हिसाब-किताब किस तरह से ठीक रख पाओगी। श्रीमन्, जनतंत्र की सरकारों को हिसाब-किताब बड़े ढंग से रखना चाहिये। इस देश की आडिट रिपोर्ट अगर जनतांत्रिक विदेशों में भेज दी जाय तो उत्तर प्रदेश के सारे निवासियों और उसके राज्य संचालन का बड़ा अपमान होगा। यही बात विरोधी पक्ष कहता है कि आपका हिसाब-किताब ठीक नहीं रहता और आपको इसे मान लेना चाहिये।

अब आप कहते हैं कि योजना हमने बनायी है, उसके लिये टैक्स लगायेंगे। श्रीमन्, अंग्रेजी राज्य से साढ़ तीन गुना ज्यादा कर राजस्व और अन्य प्रकार के टैक्सों को मिला कर अब वसूल किया जाता है। तो फिर अंग्रेजों के मुकाबले में साढ़े-तीन गुना ज्यादा काम होना चाहिये। पर आज वह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिये नहीं होता है कि हमारा कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं। दुनिया के जिन देशों ने नियोजन कर के अपनी प्रगति की है उन सब का एक राष्ट्रीय चरित्र है। हमारे यहां इसकी बड़ी कमी है। हम फिजूलखर्ची और गलत काम करने में कभी चूकते नहीं हैं। इसीलिये हमारे सामने रोज-रोज समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। गांधी जी ने कहा था कि जनता की सरकार का चरित्र होगा, उसका एक माप-दंड होगा। गांधी जी ने पांच सौ रुपये कहे थे लेकिन क्या आज कोई मंत्रिमंडल का सदस्य पांच सौ रुपये खर्च करता है? पाकिस्तान में विनोबाजी जब गये तो वहां की जनता ने कहा कि इनसे सस्ता मेहमान आज तक हमारे यहां नहीं आया और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को अगर भेज दिया जाय तब? मैं उनका भी कसूर नहीं बताता हूं परन्तु यह देश के राष्ट्रीय चरित्र का कसूर है। हमारे भावे जी ८/१० गुना अधिक काम मुख्य मंत्री से कर सकते हैं और खर्चा भी बहुत कम होता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस मंत्रि-मंडल के सदस्य और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य अपने खर्चे में कमी कर दें तो २० लाख रुपया प्रति वर्ष हमारा बच सकता। यह बात मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय बनारसीदास जी को बताना चाहता हूं। आज एक मंत्री पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मैं अपने जिले की बात बताता हूं कि हमारे ब्रज में जहां एक मंत्री की जरूरत है वहां पर पांच-पांच मंत्री दौरा करते हैं। कलक्टर, डिप्टी कलक्टर और तहसीलदार परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे इस चीज को रोकें। यह फिजूलखर्ची होती है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार से एक साल में २० लाख रुपया बच सकता है। इसके अलावा एक मापदंड यह होना चाहिये कि ५०० रुपये से ज्यादा कोई तनख्वाह नहीं लेगा और सरकारी

दौरे में इससे ज्यादा खर्च नहीं करेगें । यदि यह हो जाय तो प्रतिवर्ष २० लाख रुपये की बचत हो सकती है ।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि जनतांत्रिक देशों में जहां कहीं भी नियोजन हुआ है वहां पर जो राष्ट्र के कर्णधार हैं उनको ही तकलीफ गवारा करनी पड़ी है । लेकिन हमारे यहां नियोजन की तकलीफ वह बरदाश्त करेंगे जो भूखों मर रहे हैं, जिनका पेट कस रहा है और नियोजन का लाभ कौन उठायेंगे ? वही जो इस देश के कर्णधार हैं। आप ही देखिये कि नियोजन के समय में मंत्रि-मण्डल के किसी सदस्य को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है। सिवाय भाषणों के और उद्घाटनों के उनको और तकलीफ नहीं होती है। वहां तो उन्हें जाना पड़ता है । लेकिन क्या उनको कोई आर्थिक कष्ट हो रहा है, उनके खाने में किसी प्रकार की कमी पड़ रही है, उनके रहन-सहन में किसी तरह की कमी पड़ रही है या उनके ठाट-बाट में किसी प्रकार की कमी हो रही है ? नहीं, तो फिर श्रीमन्, इस देश के कर्णधार को कमी नहीं है तो देश की जनता जो स्वयं भूखी मर रही है उसके ऊपर आप टैक्स लगाकर स्वर्ग बनाने की बात कहें तो श्रीमन्, आज भी वे स्वर्ग में नहीं रह पा रहे हैं और जब स्वर्ग बन जायगा तब भी नहीं रह पायेंगे । आज भी आप स्वर्ग में रह रहे हैं और इसके बनने के बाद भी रहेंगे । यह आपके ऊपर दोषारोपण है इसको आपको मान लेना चाहिये ।

श्रीमन्, हम इस राय के हैं कि जब तक जनमत के चुने गये प्रतिनिधि नियोजन के काम में अपने ऊपर तकलीफ गवारा नहीं करते उस समय तक जनता के ऊपर कर लगाने का अधिकार नहीं है । यह तो जनतंत्र का प्रायमरी उद्देश्य होना चाहिये ।

हम कहते हैं कि सदन के सदस्यों को २०० रुपये तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, ७५ रुपये मकान किराये के देने की जरूरत नहीं है और फर्स्ट क्लास का डबल किराया भी देने की जरूरत नहीं है । क्योंकि लोग बेईमानी करते हैं । हम लोग थर्ड क्लास में चलते हैं । यह राष्ट्र का चरित्र नहीं होना चाहिये । जब एक तरफ से बेईमानी शुरू होती है तो छोटी से लेकर बड़ी बेईमानी हो जाती है । समाजवादी पार्टी इसको मान लेगी । लेकिन आप कहें कि अकेले मान लें तो यह तर्क की कोई बात नहीं हुई । इस समय गुप्ता जी १०० रुपये से ज्यादा सदस्यों को तनख्वाह न दें क्योंकि नियोजन कर रहे हैं। बाद को खूब दें । आप रेल के पास बनवा दें और फर्स्ट क्लास के किराये देने की जरूरत नहीं है और भत्ता भी १० रुपये के बजाय ५ रुपये कर दें । समाजवादी पार्टी तैयार है यदि वे अपनी फौज को संभाल लें । जो मैंने सुझाव दिये हैं इनसे २० लाख रुपया बच सकता है । इसके अलावा मेम्बरों की तनख्वाह, भत्ता कम करें और रेल का पास बनवा दें तो श्रीमन्, कम से कम ७ लाख रुपये की बचत बड़ी आसानी से हो सकती है ।

मैं यह नहीं कहता कि इस पैसे से आपका नियोजन सफल हो जायगा। इस पैसे से नियोजन को कुछ बल मिलेगा प्रदेश की जनता यह समझेगी कि हमारे जन प्रतिनिधि आज कुर्बानी कर रहे हैं। जनता फिर हंस कर टैक्स देने लग जायगी। वह कहेगी कि नियोजन के काम में जब मन्त्री लोग थर्ड क्लास में दौरा कर रहे हैं, वायुवान से रोज-रोज यात्रा नहीं कर रहे हैं, नियोजन के लिये मंत्री बड़ी भाग-दौड़ कर रहे हैं, विधान सभा के सदस्य भी कुर्बानी कर रहे हैं, तो हमें भी त्याग करना चाहिये। आज जब हम जनता के सामने जाते हैं तो जनता एक ही बात कहती है कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, इस नियोजन के नाम पर हम को तकलीफ दी जा रही है। इसका कोई ठोस जवाब हमारे पास नहीं है। आपको फिजूलखर्ची रोकनी चाहिये । जबतक आप प्रदेश की जनता में एक विश्वास नहीं पैदा करेंगे कि हमारे जन प्रतिनिधि बिलकुल ईमानदार और मितव्ययी हैं तब तक आपको जनता से टैक्स माँगने का कोई अधिकार नहीं है। यह हो सकता है कि आप जबरदस्ती टैक्स वसूल कर लें। लेकिन दुनिया के जनतांत्रिक देशों का इतिहास देखिये। जबरिया टैक्स वसूल करके कोई भी नियोजन सफल नहीं हुआ है। जिनके लिये नियोजन होता है, उनकी भावनाओं को बदलने की जरूरत होती है। माननीय मुख्य मन्त्री टैक्स वसूल करके स्वर्ग बनाना चाहते हैं। लेकिन जब वह टैक्स वसूल करने जा रहे हैं तो जिस

[श्री राधेश्याम शर्मा]

जनता के लिये वह स्वर्ग बनाते हैं वह जनता उनके लिये काले झंडे ले कर खड़ी हुई है। तो आप पहले जनता में यह भावना पैदा करें, तब आप का नियोजन सफल हो सकता है वरना नहीं।

जब फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार की बात कही जाती है तो उधर से कहा जाता है कि यह पिटी पिटाई, घिसी घिसाई बात है। लेकिन वह तो अपनी जगह पर है। उनको कहां ले जायं? श्रीमन्, आडिट रिपोर्ट में २ करोड़ ३३ लाख की फिजूलखर्ची और दूसरे तरह के अपव्यय की बात है। परसों नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न पेश किया गया था। ६९ हजार रुपये का गबन हुआ है। मैं नहीं कहता कि आप उन आदमियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। मैं मानता हूं कि जनतंत्र में जन प्रतिनिधियों द्वारा ज्यादा कड़ाई के साथ सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन यह तो कर सकते हैं कि चाहे कोई फिजूलखर्ची करने वाला हो या भ्रष्टाचार करने वाला हो, आप सिर्फ एक काम करें तो फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार बहुत हद तक रुक जायगा। जिस अफसर के खिलाफ अभियोग साबित हो जाय, जो विभागीय दंड है वह तो देते रहेंगे, हर जिले में एक सार्वजनिक जगह हो, और यह ऐलान करवा दिया जाय कि फलां तारीख को जिस अफसर ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उसको देखने के लिये वह आ जाय। सिर्फ इतने ही काम से, जो जन प्रतिधियों द्वारा बड़ी आसानी से हो सकता है, फिजूलखर्ची दूर हो जायगी। उस आदमी की रक्षा का पूरा बन्दोबस्त कर दिया जाय। अगर आपने इस प्रदेश के अन्दर पिछले पन्द्रह सालों में पन्द्रह बार भी इस प्रकार का कार्य करके दिखा दिया होता तो बहुत बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार रुक गया होता।

ऐसा कोई निरीह व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता हो कि प्रदेश का उत्थान न हो। परन्तु उस उत्थान के कोई तरीके होते हैं। उसके लिये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस सदन के सदस्यों की है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करूंगा और फिर यह बात कहूंगा कि कम से कम हमारी इन बातों पर सरकार ध्यान दे और नियोजन को सफल करने के लिये उचित कदम उठाये।

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि जो बातें उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों की ओर से आती हैं वे सर्वथा सिद्धान्तविहीन और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर की जाती हैं। उस तरफ से जनता को बरगलाने और उसके मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उस तरफ के हमारे साथी तरह-तरह की ऐसी बातें कहते हैं जिनमें सिवाय इसके कि वास्तविकता तो होती नहीं, जनता को बरगलाने का उनका सिद्धान्त सुलभ हो जाता है, क्योंकि न देने की बात कहने में अच्छी लगती है, जिनको आवश्यकता है, जो तंग हैं, तबाह हैं, बरबाद किये गये हैं और जिन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी उस परेशानी और बरबादी से छुटकारा दिलाने के लिये हम नियोजन करना चाहते हैं और उसके करने के लिये हम उनसे भी चाहते हैं कि उस महायज्ञ में अपना भी योग दें तो इसमें कौन-सा बड़ा अनाचार और अत्याचार हो जाता है जिसके लिये हमारे उस तरफ के बैठने वाले सदस्य बड़ी शिकायतें करते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों के मन में भी इस तरह की भावना का उद्रेक हुआ है और उनमें से बहुत से लोग, जो हमेशा से किसानों को दबाते चले आ रहे थे, जो हमेशा किसानों के खून से फाग खेला करते थे आज उनके भी दिल में न जाने क्यों उनसे हमदर्दी हो रही है, न जाने इस हमदर्दी में उनका क्या उद्देश्य है। जो यह देखना भी नहीं चाहते कि किसान उनके साथ बराबरी के दर्जे पर हिम्मत के साथ और हौसले के साथ खड़ा हो सके उसके लिये आज वह ऐसी बातें कह रहे हैं। वे ही आज किसानों को बरगलाते हैं, धोखा देते हैं और उनको बरगला करके उनमें तरह-तरह की भावना पैदा करके इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश को एक ऐसी ओर ले जाना चाहते हैं जिससे वह बरबाद हो जाय और उन तत्वों को भी वे बढ़ावा देना चाहते हैं जो विघटनकारी तत्व हैं और जो देश और प्रदेश के लिये खतरनाक हो सकते हैं। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो आज यह कहा जाता है कि योजनायें असफल हुई हैं यह बिलकुल युक्तिसंगत नहीं है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। वह हमको डर दिखाते हैं कि तुम्हारी कुर्सियां छिन जायेंगी, तुम्हारी गद्दियाँ छिन जायेंगी, लेकिन हमने उसकी भी कोई परवाह नहीं की, इसलिये नहीं परवाह की क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें जनता की भलाई की भावना छिपी हुई है, जिन्हें दवा की आवश्यकता है, जिनको हम अच्छा करना चाहते हैं, जिन्हें हम इंजेक्शन लगाना चाहते हैं और यह हो सकता है कि इंजेक्शन से तकलीफ हो, दवा में कड़वाहट हो लेकिन जनता एक दिन वास्तविकता को समझेगी और सच्चाई को समझेगी और वह दाद देगी उस दिन हमारे कामों की कि हाँ वे लोग जो हुकूमत की कुर्सियों पर थे उन्होंने ईमानदारी के साथ इस प्रदेश की भलाई की बात सोची है।

अभी हमारे जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, जिस पार्टी की तरफ से कह रहे थे उनका कहना है कि भ्रष्टाचार है, पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपके द्वारा उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनकी कुछ बातें ठीक हो सकती हैं और यह ठीक है कि पैसे का सदुपयोग होना चाहिये और एक-एक पैसे का हिसाब रखा जाना चाहिये और यह सही है कि जो पैसा हम उनसे लेते हैं उन पैसों को हम ठीक खर्च करें।

श्री अधिष्ठाता—आप आहिस्ता बोलें, लिखने में दिक्कत पड़ रही है।

श्री नित्यानन्द पांडेय—इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसे का सदुपयोग होना चाहिये और इसका प्रबन्ध सरकार पूरी मुस्तैदी और पूरे जोरों से कर रही है। हम तो मन्त्रि-मण्डल की प्रशंसा करते हैं कि आज उसने हिम्मत करके योजना को सफल करने के लिये इतना साहसपूर्ण कदम उठाया है। आज जो यह कहा जाता है कि योजनायें असफल हुई हैं, यह गलत है। यह भी कहा जाता है कि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है, यह भी गलत है। कोई भी सरकार ठहर नहीं सकती जो जनता के विश्वासों को पूरा न कर सकती हो चाहे वह हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। मैं यह फिर बड़े जोर से कहता हूं कि जो यह कहा जा रहा है कि योजना सफल नहीं हुई इसमें तथ्य नहीं है। प्रदेश काफी आगे बढ़ा है और यह कहना कि योजनायें सफल नहीं रहीं, इसमें कोई संगति नहीं है और इसलिये संगति नहीं है कि गावों की ओर चलकर देखिये, आज गाँवों का नक्शा बदलता हुआ नजर आयेगा। आज गाँवों में भी जहाँ कुछ दिन पहले किसानों के यहाँ कच्चे झोपड़े थे, वहाँ आज कुछ लाल-लाल ईंटें भी दिखलाई देती हैं। जहाँ रहने के लिये पहले उनको अनेकों असुविधायें थीं वहाँ आज कुछ सुविधायें भी दिखलाई देती हैं, आज खड़ंजे भी लगे दिखलाई पड़ते हैं, तो तरह-तरह के साधन जुटाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ऐसी दशा में यह कहना कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और यह कि जब हम जानते हैं ....

श्री अधिष्ठाता—अभी आप और बोलेंगे?

श्री नित्यानन्द पांडेय—जी हाँ, बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता—अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नित्यानन्द पांडेय—मैं यह कह रहा था कि यह लोग जो उधर बैठते हैं माननीय सदस्यों को यह कहते हैं कि इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में उनको कोई सफलता दिखाई नहीं पड़ती है। आज सारा विश्व जानता है और सारे विश्व के कोने-कोने से जब कभी लोग इस देश में भ्रमण करने के लिये आते हैं तो वहाँ की उन्नति देखकर वह बड़ी प्रशंसा करते हैं। ऐसी

[श्री नित्यानन्द पांडेय]

भी बात नहीं है कि इन योजनाओं के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य उधर बैठते हैं वह यह न जानते हों कि उन योजनाओं में सफलता नहीं मिली है लेकिन आज न जाने कौन-सा उद्देश्य, कौन-सी भावना है जिससे प्रेरित होकर वह यह बात कहते हैं क्योंकि उस तरफ जो माननीय सदस्य बैठते हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सदैव किसानों के हित को रौंदा है, कुचला है और उनको परेशान, तबाह और पामाल किया है और आज उनके मन में एकाएक किस तरह से यह भावना उनके प्रति जाग्रत हो गई जो सदैव से उनको दबाने में अपनी शान और गौरव मानते रहे हैं। इसके अन्दर एक बड़ा षड़यन्त्र हो सकता है उन लोगों के खिलाफ जो गरीब हैं और परेशान हैं। इसलिये उनको आज ये गुमराह करके, परेशान करके पामाल करना चाहते हैं।

इसके साथ ही अभी राधेश्याम जी ने यह कहा कि सरकार जनता के सामने एक आदर्श उपस्थित करे। उस तरफ बैठने वाले लोगों से मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि अगर वह या उनकी पार्टी आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं तो उसमें बाधा कौन-सी है उनको कौन मजबूर करता है कि वह वेतन लें और भत्ता लें। वे क्यों नहीं वेतन और भत्ता छोड़कर आदर्श उपस्थित करते हैं? मैं श्रीमन्, बड़े अदब के साथ उनसे आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनके बड़े नेता हैं, जिनसे आप सब परिचित हैं, वह एक बकरे का भोजन करते हैं और दो सेर के करीब गोश्त का वह भोजन करते हैं। एक पूरा बकरा उनके भोजन के लिये रोजाना चाहिये ....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस आदरणीय सदन में कोई यह कह सकता है किसी सम्मानित सदस्य के प्रति या किसी पार्टी के नेता या प्रेसीडेंट के प्रति कि एक बकरे का वह भोजन करते हैं? क्या यह संसदीय है और अगर है तो आप अपनी व्यवस्था दें?

***श्री अधिष्ठाता**—ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

***श्री नित्यानन्द पांडेय**—मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं और न मेरा कोई आक्षेप करने का इरादा है किसी सदस्य के प्रति लेकिन जो वास्तविकता है वह मैं बतला रहा हूं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आपकी पार्टी के बड़े नेता आज भी एयरोप्लेन में चलते हैं, फर्स्ट क्लास में चलते हैं और हवाई जहाज में चलते हैं? अगर आज वह इस देश के प्रधान मन्त्री हो जायं, प्राइम मिनिस्टर हो जायं तो न मालूम यह देश कहाँ चला जायगा।

एक बात मैं और अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं और वह यह है कि उधर बैठने वाले बहुत से सदस्य पिछले सदन में भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना वेतन नहीं लिया है। अपना वेतन छोड़ा है। हमारे यहाँ केशव गुप्त की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने बहुत-सा अपना वेतन छोड़ दिया है। आप नहीं चाहते हैं कि आदर्श उपस्थित करें। आपको कोई मना नहीं करता है। आप भी अपना आदर्श उपस्थित करें और जनता के सामने अपने आदर्श का नमूना उपस्थित करें। यदि आप लोगों को प्रजातंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस तरह की भावना पैदा करें और इस तरह का उदाहरण उपस्थित करें। जिन योजनाओं के बारे में आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार है तो जहाँ तक इस भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है उसका कोई समर्थन नहीं करता है। जहाँ तक इस भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है सरकार को जब मालूम होता है, जब-जब सरकार को पता चलता है तब-तब सरकार उसमें कड़ाई का रुख अख्तयार करती है और उनको सजा देती है और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करती है लेकिन मौजूदा निजाम में जो कानून हैं, जिस तरह से कानून के शिकन्जे हैं और उनके जरिये से जिस तरह से लोग छटते हैं वह माननीय सदस्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की बातें कहकर लोगों को भुलावा दिया जा रहा है और लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है इसमें कोई औचित्य नहीं है और जिनको आज यह नहीं दिखाई पड़ता है कि इस देश में १५ साल में कोई तरक्की हुई या नहीं और कोई तब्दीली हुई या नहीं, कुछ लोग आगे बढ़े हैं या नहीं, मुझे याद आता है, एक जगह किसी ने कहा है:

यस्यनास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्।
लोचनाभ्याँ विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति॥

अगर उसके बाद भी उनको दिखलायी नहीं पड़ता तो, श्रीमन्, हमारा या सरकार का उसमें क्या दोष है। सरकार तो दिखलाना चाहती है, उसकी तरफ से तमाम प्रकाशन निकलते हैं कि समय-समय पर क्या हो रहा है और उसकी सूचना सदस्यों को मिलती है और वे उनको पढ़ते और अनुभव करते हैं और यह भी जानते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक योजना का सम्बन्ध है, हमारे सामने उसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। लोग परेशान हैं, उनमें अशिक्षा है, हमें उनको उठाना है। हमारा एक दर्शन है, हमारी एक परम्परा है और हम उसी पर उत्तरोत्तर चल रहे हैं और इसलिये सरकार उस योजना को पूरा करने के लिये कटिबद्ध है। जनसाधारण आज टैक्स देने से घबराता है। जनता का पैसा ठीक ढंग से खर्च किया जाय इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसके लिये उन अफसरों की लगाम करों की जाय जिन की लगाम ढीली कर दी गयी है। जो अफसर नियोजन में काम करते हैं उनकी नियोजन में पूरी निष्ठा नहीं है। जिलों में भी आपको बहुत से ऐसे अफसर मिलेंगे कि जो अनेक अनैतिक काम करने के जिम्मेदार हैं, लेकिन वह आज भी अपनी जगह पर कायम हैं। इनकी तरफ सरकार का कड़ा रुख होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जनता इस बात से परेशान नहीं है कि उसे टैक्स देना पड़ेगा, वह चाहती है कि उसे उसकी आवश्यकता की वस्तुयें सुलभ हों। आज किसान अपने यहाँ छप्पर की जगह टीन डालना चाहता है, वह टीन और सीमेंट के लिये परेशान रहता है, लेकिन वह उसे उपलब्ध नहीं होती। सरकार को इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। जनता टैक्स देने में परेशान नहीं होती बशर्ते कि उसे उसकी आवश्यकता की वस्तुयें मिलती रहें। वह केवल चाहती है कि उसके दिये पैसे का सदुपयोग हो। सरकार इसके लिये सावधान है और उसके पैसे का सदुपयोग करने का प्रयत्न कर रही है। आपका पैसा जन प्रतिनिधियों के हाथों में है और वह ब्लाकों को और अन्तरिम जिला परिषदों को दिया जायगा और इसलिये उसके दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता। मैं अनुभव करता हूं कि अगर जन-साधारण में एक वातावरण पैदा किया जाय और विरोधी दल के सदस्य भी यह भावना रखें कि हमें देश की प्रगति में सहयोग करना है तो यह कठिनाई हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सरकार को गरीबी दूर करने के लिये योजना बनानी पड़ती है और उस योजना को पूरा करने के लिये उसे धन की आवश्यकता होती है और धन के एकत्रीकरण के लिये उसे टैक्स लगाने पड़ते हैं, यह सरकार की आदर्शवादी नीति है और इसी आधार पर काँग्रेस सारा राज्य शासन चला रही है। मान्यवर, काँग्रेस की इस आधुनिक विचारधारा में अब बिलकुल जान नहीं रही है क्योंकि देहात का किसान, जो देश की जनता का ८० फीसदी है, आज परेशान है, बेहाल है और उसकी इतनी क्षमता नहीं रही है कि वह और अधिक कर दे सके क्योंकि पहले ही उस पर काफी अधिक करों का बोझ लदा हुआ है। मान्यवर, यह देखा जाय कि इसी आधार पर सरकार ने क्या कार्य किये और इसी दृष्टि कोण से आज प्लानिंग तथा उसके लिये लगाये जाने वाले taxes पर विचार करना है।

मान्यवर, पिछली दो योजनायें बीत गईं। क्या उससे देश की गरीबी दूर हुई और जो धन योजनाओं के नाम पर सरकार ने एकत्रित किया उस धन का सही उपयोग क्या इस सरकार ने किया है? क्या जनता की गाढ़ी कमाई का समुचित उपयोग

[श्री विजयसिंह]

आज इस शासन में हो रहा है ? परन्तु आज हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है । आज जो नीति आपकी है उससे राष्ट्रीय आय कदापि नहीं बढ़ सकती है । जो धन आपने उद्योग धन्धों में जनता का लगाया है उससे आज हम सही लाभ नहीं उठा रहे हैं । आज हम सब लोग अपनी पिछली योजनाओं की सफलताओं को देख चुके हैं । उससे ग्रामीण जनता की आय नहीं बढ़ी है जो आय ग्रामीण जनता की १९४९–५० में १९६.३७ नये पैसे थी वही आगे चल कर १९५९–६० में १९२.०५ नये पैसे हो गई । तो इस तरह से आप देखें कि हम पीछे की ओर ही गये हैं, आगे नहीं बढ़े । इस प्रकार हम उन्नति की ओर नहीं अग्रसर हुये हैं बल्कि अवनति की ओर ही अग्रसर हुये हैं । आप देखें कि कर का भार अब पहले से तिगुना हो गया है । आज प्रान्त की जनता के अन्दर और अधिक टैक्स देने की क्षमता नहीं रह गई है । उसके पास कोई आधार नहीं है कि वह आगे करों का भार वहन कर सके । टैक्सों का ओवर Saturation हो गया है, परन्तु राज्य सरकार की ओर से करों की बराबर वृद्धि होती चली जा रही है । नगरों और देहातों की गरीब जनता परेशान है । सरकार का व्यय दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है । परन्तु इसके बाद भी सरकार अभी सचेत नहीं है । सरकार यह नहीं देखती है कि यह खर्च रेकरिंग है अथवा नान-रेकरिंग है । सरकारी मशीनरी का बोझ बराबर जनता के कमजोर कंधों पर पड़ता चला जा रहा है । हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना की पुस्तक में भी लिखा है कि जनता से त्याग की आशा उसी समय करनी चाहिये जब कि सरकारी व्यय पर भी कड़ा नियंत्रण रखा गया हो । आप देखिये कि सरकार का बजट गुब्बारे की तरह से फूलता चला जा रहा है और यदि यही दशा रही तो एक दिन वह फूट भी सकता है । आप ऐसा करके आगे आने वाली पीढ़ी पर भी खर्चे का बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं । यह कहा जाता है कि प्रदेश के अन्दर खर्चा १० वर्ष में ढाई गुना हो गया है । क्या यह कहना कि पहले से साइकिलें बढ़ गई हैं देहातों के अन्दर, यही उन्नति का द्योतक है । शहरों के अन्दर मोटरों का बढ़ना, एयरकन्डीशनर्स और रेफरीजरेटर्स का बढ़ना ही क्या उन्नति का द्योतक है ? गाँवों में आप कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उनके खाने, पहनने और रहने का स्तर ऊंचा उठा है । पर यह बातें नितान्त भ्रामक हैं । आपके आँकड़े प्लानिंग के फेल होने के प्रमाण हैं । गाँवों के अन्दर आज वह खुशहाली का वातावरण नहीं है जो आप यहाँ बताते हैं । वहाँ आज भी किसानों के पास खाने और पहनने को नहीं है । वहाँ की अवस्था आज भी शोचनीय है । यह मैं अपनी बात आँकड़े देकर सिद्ध कर सकता हूं । आप देखें कि जहाँ पहले १९५४ में ७·८७ छंटाँक अन्न खाने को मिलता था वहाँ १९५७ में केवल ७ छटाँक ही रह गया है और १९५८ में तो और भी घटकर केवल ६ छटाँक ही रह गया है । तो यह है आपकी उन्नति का नमूना ।

मैं तो यही कहूंगा कि योजना के नाम पर आप सही खर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि विभिन्न मदों में जनता का धन खर्च हो रहा है । आज केवल लग्जरी के सामान पर ही आप खर्च कर रहे हैं और प्रदेश के अमीरों को और अमीर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और गरीब इसके कारण और गरीब होता चला जा रहा है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज सभी लोग अमीरों की या गरीबों की ही बात करते हैं । परन्तु कोई भी मध्यम श्रेणी वालों की दशा की बात नहीं करता है । पर आपको मध्यम श्रेणी वालों की दशा पर भी कुछ गौर करना चाहिये जिनकी आमदनी केवल ढाई सौ या साढ़े तीन सौ के बीच में है । सभी गरीब अथवा अमीर की ही बात करते हैं परन्तु कोई भी इस वर्ग की हीन दशा को नहीं देखता है और न उनकी तकलीफों को दूर करने के उपायों पर ही विचार करता है पर कर का भार वह बराबर से वहन कर रहे हैं ।

मान्यवर, आप देखें कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की पुस्तक में लिखा है कि मित-व्ययिता होनी चाहिये पर ऐसा नहीं कहीं दिखलाई पड़ता है । यह सरकार अपनी फिजूल खर्ची को छिपाने के लिये योजनाओं की दुहाई देती रहती है । आप देखें कि हर जगह प्रशासन में

आज भ्रष्टाचार है और विभागीय प्रशासन पर तमाम धन व्यर्थ में खर्च हो रहा है। परन्तु इतने बड़े administrative staff होने के बावजूद भी उसके अन्दर कोई एफिशिएन्सी हम को नहीं दिखलाई पड़ती है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। प्रथम इर्रीगेशन का और आगे कोआपरेटिव का। Irrigation विभाग में दो बोर्ड बने और जिसमें ५ सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स, २० एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, और ७५ असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स तथा सैकड़ों की तादाद में ड्राफ्ट्स मैन सर्वेयर्स ओवरसियर्स, और लिपिक रखे गये हैं। मान्यवर, इन सब का काम प्रोजेक्ट तैयार करना है। बोर्ड द्वारा बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तैयार किये गये पर साइट पर न पहुंचने के कारण ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट खराब होगये जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। नये डिपार्टमेंट की ओर से जो भी प्रोजेक्ट तैयार किये गये वे गलत हैं और उन्होंने कोई भी एफीसियेन्सी का काम नहीं करके दिखलाया केवल रेकरिंग खर्चे ही को बढ़ाया है।

मान्यवर, दूसरी ओर कोआपरेटिव यूनियन व फेडरेशन को देखिये। उसके अन्तर्गत Fertilizers में १ करोड़ २३ लाख के करीब का गड़बड़घोटाला है। लेखा देखने व जाँचने को उसमें १५ एकाउन्टेंट्स, एकाउन्ट्स आफिसर और तमाम बड़े बड़े आफिसर्स हैं। लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है कि वह रुपया कहाँ गया। क्या यही रुपये का सदुपयोग है और यही अच्छे काम का नमूना है? यह सरकार की ढिलाई है। अगर सब विभागों के गबनों की रकम को जोड़ा जाय तो वह कई करोड़ रुपये में हो सकती है। क्या यह है आपके प्रशासन की कार्य कुशलता? अगर इस रुपये को बचाये, तो आपको और कर लगान की जरूरत ही न पड़े। पिछली बार महामान्य गवर्नर महोदय ने अपने (अभिभाषण) एड्रेस में कहा था कि आबकारी आय को हम प्लानिंग में लगायेंगे। सरकार ने कानपुर को ड्राई एरिया घोषित कर रखा है। उसी से ४७ मील दूर लखनऊ है, जो ड्राई एरिया नहीं है। अगर सरकार को उसे बन्द करना है तो सब जगह कर दे, वरना इस तरह से मारेल डिग्रेडेशन होने के बहाने ड्राई एरिया करने से स्मगलिंग और बढ़ता जायगा। जहाँ शराबबन्दी होती है वहाँ शराब का स्मगलिंग और जोरों पर होता है। अगर सरकार कानपुर को ड्राई एरिया न बनाये तो उससे ५ करोड़ रुपये की आय हो सकती है। कानपुर में शराब-बन्दी होने के कारण वहाँ करोड़ों रुपये की शराब का स्मगलिंग होती है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो काफी आय सरकार को हो सकती है।

मान्यवर, आज बड़े-बड़े व्यापारियों पर सेल टैक्स की बहुत बड़ी रकम बकाया पड़ी है। सरकार जिस तरह से किसानों से डंडा मार कर मालगुजारी वसूल करती है उसी तरह से इनसे भी यह रुपया वसूल करना चाहिये। श्रीमन्, करीब ५४ करोड़ रुपया आज सेल्स टैक्स का बड़े-बड़े व्यापारियों पर बकाया है। इसे वसूल किया जाय तो फिर कर लगाने की आवश्यकता ही न पड़े।

श्रीमन्, जन साधारण को इस प्लानिंग से अभी तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है, कागज के अन्दर भले ही तरक्की दिखायी दे रही हो। टैक्स आज बढ़ रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति उससे परेशान हो रहा है। अमीर-अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। अब मैं थोड़े से आँकड़े भी पेश करना चाहता हूं। सेन्ट्रल न्याय प्रशासन पर सन् १९५१–५२ में १० करोड़ रुपये खर्च हुये, आडिट पर ४ करोड़, सेन्ट्रल पुलिस पर ३ ·८ करोड़, परराष्ट्र विभाग पर ४ करोड़। यही बढ़ कर सन् १९६०–६१ में १९ करोड़, ८ ·५ करोड़, १९ करोड़ तथा ११ करोड़ हो गये।

इसी तरह से अब यू० पी० में देखिये। सन् १९५१-५२ में सामान्य प्रशासन पर व्यय हुआ ७·४ करोड़, पुलिस पर ४ ·८३ करोड़, जेल पर १ ·१६ करोड़, न्याय प्रशासन पर १ ·३० करोड़ और वही बढ़कर १९६२–६३ में, यानी इस वर्ष के बजट में १२ ·५६ करोड़, ११ ·६७ करोड़, १ ·५७ करोड़, तथा २ ·०२ करोड़ हो गया। इससे स्पष्ट है कि खर्चा आपका बढ़ता ही गया है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। सरकार का काम एक पुलिस के उस चौराहे के संतरी के समान है जो चौराहे पर खड़ा होकर सारे ट्राफिक को कन्ट्रोल करता है। इसी तरह से सरकार का काम है, देश की सुरक्षा, शान्ति, शिक्षा, रेल, डाक, तार आदि का प्रबन्ध होना चाहिये, यह नहीं कि

[श्री विजयसिंह]

सारा व्यापार हाथ में लेकर एक प्रत्यक्ष व्यापारी का रूप ले ले । जितने ज्यादा उद्योग धंधे, व्यापार, मिलें और फैक्टरीज सरकार अपने हाथ में लेती चली जायगी उतना ही इसका खर्चा और बढ़ता चला जायगा और इसका प्रतिफल गरीबों पर पड़ेगा जो टैक्सों को देने से मजबूर हैं । तब सरकार के लिये क्या चारा रह जायगा ? क्योंकि व्यापार को धन चाहिये और धन गरीब मजदूर किसान ही देगा जो अब परेशान होकर सरकार के टैक्सों का विरोध करेगा ।

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार ने बड़ी एफीशेंसी पैदा कर ली है वरना बंगाल की तरह से यहाँ भी क़हत पड़ जाता जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में हुआ था । वह समय दूसरा था जब कि बाहर से अन्न नहीं आ सकता था, लड़ाई का जमाना था । आज भी हिन्दुस्तान में १२५ और १५० करोड़ का गल्ला बाहर से आता है वरना अभी भी संकट का समय उत्पन्न हो सकता है ।

एक और माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने मलेरिया को जड़ से खो दिया है । इसमें इस सरकार का क्या श्रेय है ? यह तो वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की व्यवस्था का फल है, जहाँ से मोटरें मिलीं, दवाइयाँ मिलीं, और अन्य सामान मिले । केवल यहां सरकार को हो सकता है डाक्टरों का वेतन यहाँ से देना पड़ा हो । लेकिन हमें इसके लिये वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहिये ।

अन्त में मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सरकार को कोई कर न लगाना चाहिये । यहाँ कई बार जोतकर विधेयक कार्यक्रम में छपा, फिर विचार हेतु नहीं आ सका । सम्भवतः फिर आवेगा । इससे प्रकट है कि अवश्य सरकार के अन्दर भी मतभेद है । जब आपस में ही मतभेद है तो सरकार समझ ले कि जनता का क्या हाल है । सब विरोधी और आप भी जनता से चुनकर आये हैं । जनता के साथ सहानुभूति रखिये । जैसी आपने सेल्स टैक्स में उदारता दिखाई, हमारी आशा और प्रार्थना है कि लैन्ड टैक्स बिल में भी आप उदारता से काम लें और अगर उसे लायें ही नहीं तो बहुत अच्छा हो ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे मित्र टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं ।

आदरणीय विरोधी दलों के सदस्यों के भाषणों में कोई ऐसी बात नहीं मालूम दी जिससे जनता का या प्रदेश का हित हो सकता हो, या कोई ऐसा मार्ग उन्होंने दिखाया हो जिससे हमारे प्रदेश का उत्थान हो या हमारी तीसरी योजना में कोई नाममात्र के लिये भी सफलता का चिन्ह दिखाई देता हो । यहां भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें सुनने में आईं । एक सोशलिस्ट सदस्य ने कुछ वेतन कटौती के बारे में सदस्यों की बातें कहीं । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उनसे यह बता देना चाहता हूं कि कल्याणकारी सरकार, जैसी इस प्रदेश की है शायद ही किसी प्रदेश में हो । जबकि सबसे कम भत्ता और वेतन यहां के माननीय सदस्यों और मंत्रियों का है, क्या कोई भी विरोधी दल का नेता यह बता सकता है कि हमारे प्रदेश से कहीं भी कम भत्ता या वेतन है मंत्रियों का ?

श्री गेंदासिंह---मद्रास में है ।

श्री हरीसिंह---मैं माननीय गेंदासिंह जी को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां का बिल नहीं पढ़ा है । अगर वह पढ़ते तो उन्हें मालूम होता कि सबसे कम उत्तर प्रदेश में है । वहां माननीय सदस्यों का २५० रुपये है और सबसे ज्यादा सुविधायें हैं । हमारे यहां वहां के बिल्स आये रखे हैं, वह पढ़ लें । सभी प्रदेशों के बिल मौजूद हैं । यहीं तक नहीं, उन्होंने कहा कि १०० रुपये वेतन एम० एल० ए० का कर दिया जाय । बड़ी खुशी की बात है । हमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और सदस्यों ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया सन् १९५२, १९५७ और १९४८ में। श्री श्रीचन्दजी ने एक पाई भी तनख्वाह नहीं ली। श्री केशव गुप्त जी ने ५ साल तक और स्वामी तुलसीरामजी ने ७५ रुपये लिये, जबकि आपने २०० रुपये लिये। उन्होंने ५ रुपया दैनिक भत्ता लिया जबकि आपने १० रुपये लिये। एक व्यक्ति का तो सुनने में आया है और मैं नहीं कह सकता कि वह ठीक है या गलत, लेकिन सुना है कि गेंदासिंह जी अगर फर्स्ट क्लास में चलते हैं तो फर्स्ट का किराया लेते हैं और अगर थर्ड में चलते हैं तो थर्ड का लेते हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या भत्ता बढ़ाने के लिये हरीसिंह जी ने सिगनेचर कम्पेन शुरू किया था कि १० रुपये से १५ रुपये कर दिया जाय ?

श्री हरीसिंह—आज भी हमारी तनख्वाह बढ़ाने की मांग है। आप उससे वंचित नहीं हैं। आप भी हमारे विचारों से सहमत हैं और रोज आप हमसे कहते हैं। सारे नेताओं ने लिखकर दिया। श्री गेंदासिंह जी और सोशलिस्ट पार्टी के उग्रसेन जी ऐसे हैं जिनके विचारों में और हमारे में मत भेद हो, नहीं तो सब हमसे रोज कहते हैं। यह भी कहा गया कि २० लाख रुपया यहां के मंत्रियों और सदस्यों पर खर्च होता है। वह इस हाउस की फीगर्स को देखें कि कुल १० लाख के करीब है, लेकिन वह २० लाख बता रहे हैं। सभी चाहते हैं कि हमारा प्रदेश ऊंचा उठे, उसकी तरक्की हो, हमारे यहां की बेकारी और भुखमरी दूर हो, और सब सुख-सम्पन्न बनें परन्तु इसका तरीका क्या है ? यह केवल योजनाओं से ही हो सकता है। योजनाओं की सफलता के लिये धन की आवश्यकता है। धन करों से आ सकता है। जब नये टैक्स नहीं लगेंगे, पुराने नहीं बढ़ाये जायेंगे, तो समझ में नहीं आता कि कौन सी विधि है जिससे यह योजना सफल होगी। या तो आप साफ कह दीजिये कि कोई योजना नहीं चलेगी और अगर ये योजनायें चलानी हैं तो कर भी अवश्य लगाना है और बगैर कर के किसी सरकार ने सफलता प्राप्त नहीं की। भ्रष्टाचार की बातें भी कही गयीं। मैं इसको मानता हूं कि भ्रष्टाचार है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने उसको दूर करने की इतनी कोशिश की जितनी कोशिश इस सरकार ने और इधर के नेताओं ने की ? उन्होंने उसको खत्म करनेमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। आप लोग भी कटिबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल सरकार पर दोषारोपण करते रहें। हमारा सब का कर्त्तव्य है कि हम सब मिल कर इस जहर को खत्म करें नहीं तो यह जहर और भी आगे फैलेगा। दोषारोपण करने से वह मिटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के दोषी हम ही नहीं हैं सभी लोग हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, बड़ा से बड़ा नेता ही क्यों न हो। अतः प्रत्येक माननीय सदस्य और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह इस दोष को समाप्त करे जिससे हमारी जनता सुखी रहे। लेकिन विरोधीदल के नेताओं के पास सिवाय सरकार के मंत्रियों का विरोध करने के और कुछ तो है नहीं जो कहें, क्योंकि उन्होंने अभी सरकार तो बनायी नहीं, जिम्मेदारी उनके ऊपर आयी नहीं। बस उनके पास एक ही काम है कि गांवों में जाकर गांव वालों को बहका दिया और यहां आये तो सरकार को बुरा भला कह दिया। अगर उन्होंने किसी जिम्मेदारी को वहन किया होता तो उन्हें मालूम होता कि मुल्क को ऊंचा उठाने में कौन-कौन सी कठिनाइयां आती हैं। एक ओर तो जनतंत्र की दुहाई दी जाती है और दूसरी ओर से इस प्रकार सदन में हुल्लड़ मचाया जाता है। क्या इसी प्रकार से जनतंत्र कायम किया जायगा ? क्या आपकी पार्टी की सरकार होती तो यह चीज आपको अच्छी लगती। इससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, जनतंत्र की पद्धति को ठेस पहुंचती है। हम सब लोगों को इस पर ध्यान देना है।

एक माननीय सदस्य ने अभी मध्यम वर्ग की बड़ी दुहाई दी। लेकिन जब से यह सरकार इस प्रदेश और देश में कायम हुई उसने हर एक वर्ग को समानता की दृष्टि से देखा है और सबके उत्थान और भलाई का ही काम किया है। चाहे वह मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सरकार ने सभी की भलाई का बीड़ा उठाया है। जो जिस वर्ग का है वह उसी की बात करता है। सबसे छोटा वर्ग हरिजनों का वर्ग है। उसके लिये १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये, हालांकि अभी

[श्री हरीसिंह]

तक उतनी संख्या में नहीं लिये गये हैं लेकिन फिर भी मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि उनका नैतिक स्तर ऊंचा उठा है। आज से पहले जिसे लोग पास तक नहीं बैठने देते थे, कुत्ते की सी भी उसकी इज्जत नहीं थी, उसका स्तर ऊंचा उठा है। आज इतना तो अवश्य है। यह सरकार आप सब लोगों के सहयोग से उनके निम्न स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहती है और उठाया भी है। यह ठीक है कि जितना करना था उतना नहीं किया गया लेकिन उनका निम्न स्तर पहले से कुछ ऊपर उठा है और यदि वह उठा है तो इसी सरकार की बदौलत।

जहां तक मध्यम वर्ग की बात कही जाती है उस मध्यम वर्ग में वे सब लोग हैं जो पहले अपने को रईस कहते थे। समझ में नहीं आता कि टाटा, बिड़ला, डालमिया, सिंहानिया, जैन, मोदी जैसे १०-५ व्यक्ति जो पैसे वाले हैं और जिनको धनाढ्य कहा जाता है या सरमायेदार कहा जाता है, उनकी सरमायेदारी खतम कर देने से समाज का भला कैसे हो सकेगा और देश व प्रदेश की उन्नति कैसे हो सकेगी। आज यदि मोदी मिल को खत्म कर दिया जाय तो क्या सरकार उस मिल में काम करने वाले मजदूरों को रोजी दे सकेगी या मिल को सुचारू रूप से चला सकेगी? जब हम कार्य रूप में परिणत करके किसी चीज को देखते हैं तब महसूस करते हैं कि हमारा देश अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है, यहां इतनी उन्नति नहीं हुई है कि हम अपने आप किसी कार्य को सुचारू रूप से चला सकें। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जब इसी हाउस की मीटिंग को हम सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं, कभी तीन चार आदमी इधर से खड़े हो जाते हैं, कभी तीन चार आदमी उधर से खड़े हो जाते हैं, और जब प्रजा के चुने हुये नुमाइन्दों की यह दशा है तो आपकी प्रजा की क्या दशा होगी, आपके देश वासियों की क्या दशा होगी, आपके पार्टी लीडरों की क्या दशा होगी और आपके कार्यकर्त्ताओं की क्या दशा होगी?

यहीं तक नहीं, जहां तक योजना का सम्बन्ध है, अगर हमें योजना को चलाना है तो उसके लिये टैक्स लगाना होगा। अगर टैक्स न लगे तो उसके लिये धन कहां से आवे। इस सम्बन्ध में एक विधि है, जिसके ऊपर मैं आपके द्वारा अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि सदन के प्रत्येक सदस्य एक एक महीने की तनख्वाह दे दें, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने सरकारी कर्मचारी हैं सभी एक एक महीने की तनख्वाह दे दें, सब फैक्टरी मजदूर अपनी एक एक महीने की तनख्वाह दे दें, भीखमंगे भी एक दिन की अपनी भीख दे दें, और यहां तक कि खेतिहर मजदूर भी एक दिन की अपनी रोजी दे दें। यदि आप लोग और इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति योजना के लिये चन्दे के रूप में धन दे दें तो टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी योजना सफल हो जायगी। लेकिन क्या जितनी पार्टीज हैं वे सब इसमें सहयोग देंगी? यदि सारी पार्टीज इस बात के लिये बीड़ा उठावें और सारे देश के निवासी चन्दा के रूप में कुछ धन दें तो सरकार को कोई आवश्यकता नहीं है कि वह कर लगावे। श्रीमन्, मैं स्वयं इस बात को मानने वाला हूं कि गरीबों पर कोई टैक्स न लगे लेकिन वे चन्दा दें और इस योजना को सफल बनावें जिससे कि प्रदेश के लोग लाभ उठावें। लेकिन क्या प्रत्येक पार्टी के लोग या देश का प्रत्येक निवासी इसमें सहयोग देगा? श्रीमन्, हर एक का यह कर्त्तव्य है कि वह इस काम में सहयोग दे और मेरा खयाल है कि हमें अधिक पैसे भी मिलें और उनका अपव्यय भी न हो जिससे हमारी तीसरी योजना सफल हो जाय। जब तक यह नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार आवे योजना सफल नहीं हो सकेगी। इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक किसानों, मजदूरों का सम्बन्ध है, उन पर खूब सोच समझ कर टैक्स लगे और यदि उचित न हो तो वह टैक्स न लगाया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव पेश है, इसमें जो माननीय चन्द्रजीत यादव जी का संशोधन पेश है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, योजना के नाम पर आज टैक्सों की भरमार हो गई है और सरकार पक्ष की तरफ से इस बात को सिद्ध किया जाता है कि हम प्रदेश के विकास के लिये और योजना को पूरा करने के लिये टैक्स लगाना चाहते हैं। श्रीमन्, हमारी पार्टी

और हम सभी लोग योजना का समर्थन करते हैं लेकिन एक बुनियादी सवाल यह पैदा होता है कि आखिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने प्रदेश की जनता को इन योजनाओं के माध्यम से क्या कुछ दिया भी या कुछ नहीं दिया । इस पर विचार करने की अति आवश्यकता है । आप देखें कि हालत यह है कि दूसरी योजना के बीतने के बाद हमारे सूबे की आय देश की आय के मुकाबले में जहां कि वह ५ प्रतिशत ज्यादा थी आज वह १२ प्रतिशत तक कम हो गई है और कुछ लोगों का अनुमान है कि तीसरी योजना समाप्त होते होते हमारी राष्ट्रीय आय में १६ प्रतिशत तक कमी हो जायगी । इस तरह से पर कैपिटा इन्कम सब जगह गिर चुकी है तो हमें इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि हमने देहात और शहरों की जनता को कुछ दिया या नहीं दिया । यहां २ योजनायें पूरी हो गईं उनसे क्या हमारी तरक्की हुई, क्या सफलता मिली या क्या हमारी खामियां हैं क्या हमें आगे करना चाहिये, इन सब बातों पर हमें विचार करना आवश्यक है ।

माननीय हरी सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहती है । मैं उनसे पूछूंगा कि किसान से इस सरकार ने ९५ प्रतिशत लगान वसूल किया है, वित्त मंत्री जी बैठे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यहां जो व्यवहार किसानों के साथ हुआ है क्या वही व्यवहार सूबे के पूंजीपतियों के साथ भी हुआ है ? मैं आपको बताऊं कि अकेले कानपुर शहर में जहां पिछले साल ७८ प्रतिशत आयकर और ६४ प्रतिशत बिक्रीकर वसूल नहीं हुआ वहां सन् १९६१-६२ में १ करोड़ ७५ लाख में से केवल ६२ लाख रुपया ही वसूल हुआ है । १९६२-६३ में १५ अगस्त तक १ करोड़ ७१ लाख आयकर वसूल होना था वहां सिर्फ २३ लाख रुपया वसूल हुआ है । और १९६२-६३ को १५ अगस्त तक बिक्री कर से १ करोड़ ७० लाख में १० लाख वसूल हुआ है । इस तरह से आप देखें कि सवाल यह पैदा होता है कि किसानों से तो जोर जब्र के साथ ९५ प्रतिशत कुर्की तक कर के वसूल किया जाता है और हर संभव तरीका उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इन मिल मालिकों पर जो बिक्रीकर और आयकर का बकाया है वह उनसे वसूल नहीं किया गया । तो यह कैसे मान लिया जाय कि सरकार सब के साथ एकसा व्यवहार करती है ? इतना ही नहीं कानपुर और आगरा की १८ फर्मों पर इस साल ५ हजार से ऊपर सेल्स टैक्स देने वालों के ऊपर कुल १ करोड़ १२ लाख रुपया बकाया है । इसके अलावा आप देखें कि मेरठ क्षेत्र में जो बकाया है वह रजा टेक्सटाइल्स कम्पनी पर १ लाख १० हजार तीन सौ छानवे, वनास्पति उद्योग पर भी १ लाख ९९ हजार ५६७ रुपया बकाया है, भवानी प्रसाद सीताराम फर्म पर १ लाख ४ हजार है, जय नरायन टीकाराम, बुलन्दशहर पर ७ लाख २६ हजार बकाया है । इस तरह से करोड़ों रुपया बकाया है तो हम कैसे मान लें कि सरकार सब के साथ एक सा व्यवहार करती है ?

इतना ही नहीं, इसके अलावा आप बिजली को देखें, बिजली कम्पनियों पर लाखों रुपया सरकार का बकाया पड़ा हुआ है, कानपुर में करोड़ों रुपया बाकी है, मार्टिन कम्पनी जिसके संबंध में सवाल भी उठा था, मार्टिन कम्पनी पर झांसी बिजली कम्पनी तथा और कम्पनियों पर करोड़ों रुपया कर्जे का है जो समय के अन्दर वसूल नहीं हुआ । तो सरकार इस औचित्य को सिद्ध करे कि क्यों टैक्स लगाया जाय जब कि बकाया रुपया वसूल नहीं किया जा रहा है । किसानों के साथ दूसरी तरह की नीति और पूंजीपतियों के साथ दूसरी तरह की नीति बरती जाती है, फिर हम कैसे मान लें यह सरकार सबके साथ समान बरताव करती है । इतना ही नहीं, कहा जाता है हम योजना को सफल करने के लिये काम कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं चीनी मिलों के ऊपर सेल्स टैक्स का, केन सेस का, किसानों के गन्ने का दाम, उत्पादन शुल्क, यह सब मिला कर करोड़ों रुपया बाकी है जो करीब करीब १२, १३ करोड़ के होगा, इसको क्यों नहीं वसूल किया गया ? मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी से आप इस बात को साबित कीजिये कि जब किसानों से तो ९५ फीसदी मालगुजारी वसूल कर ली जाती है, इन बड़े बड़े आदमियों से क्यों नहीं बकाया वसूल किया जाता है ? कानपुर में पूंजीपतियों पर ३, ४ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का बकाया नहीं वसूल किया गया । जब तक आप इसको साफ नहीं करते तब तक दूसरे नये कर जनता पर लगाना न्याय संगत नहीं है ।

[श्री ऊदल]

आप कहते हैं प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। कृषि फार्मों को ले लें जो सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं, १५ फार्म हैं, भरारी, सैदपुर, हस्तिनापुर, बाबूगढ़, मंझरा, अंदेशनगर, आराजी लाइन, नीलगांव, माधुरी कुंड, रेहमान खेड़ा, म्यूलेट, ढकौनी, रहीमाबाद, अलीगढ़ सेन्ट्रल डेरी फार्म, हेमपुर, कटिहार, क्या आप बता सकते हैं इनमें कोई फार्म मुनाफे पर चल रहा है? जबसे चल रहे हैं तब से २, ३ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। तो फिर जनता का पैसा क्या इसीलिये सरकार को दिया जाता है। एक तरफ लोग भीख मांग कर जिन्दा रहते हैं और दूसरी तरफ आप उन पर इस प्रकार अपव्यय के लिये टैक्स लगाना चाहते हैं यह कहां तक औचित्यपूर्ण है? आपको इसके औचित्य को सिद्ध करना होगा।

इतना ही नहीं, कहा जाता है दुरुपयोग नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से। दो कारखाने आपने सार्वजनिक क्षेत्र में लगाये, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और लखनऊ की प्रीसीजन फैक्ट्री। चुर्क का पहले २ करोड़ का ऐस्टीमेंट था, क्या वह अब ५ करोड़ से ऊपर नहीं हो गया? इतने लगने पर भी २,००० रुपये का मुनाफा जहां हो रहा था अब घाटा हो रहा है। तो फिर क्यों रुपया दिया जाय? क्या औचित्य है आपके पास? आप नाराज होते हैं कि हम लोग अफसरों की निन्दा करते हैं। जब चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के लिये कलकत्ता बंदरगाह पर दो मशीन बाहर से मंगायी गयीं उनको बंदरगाह की जमीन से ४ दिन में हटा लेना चाहिये था जो १५ दिन तक नहीं उठायी गई जिसके लिये ५ लाख रुपया जुर्माने का देना पड़ा। यह अधिकारियों की लापरवाही नहीं तो और क्या है? इसी तरह से राबर्ट्सगंज में तथा रेहन्द बांध पर डेढ़ लाख रुपये की क्रेन खरीद कर रखी हुई है किस काम के लिये? इस प्रकार जनता के रुपये का दुरुपयोग हो और फिर आप यह कहें कि विरोधीदल के लोग टैक्सों का विरोध करते हैं, यह न्याय संगत नहीं है। इन सब बातों पर आप गौर करें।

आप कहते हैं आबादी बढ़ गई। जब पूरे देश की आबादी ४ फीसदी बढ़ रही है तो हमारे यहां की आबादी ३ फीसदी भी नहीं बढ़ी है, हर प्रान्त की आबादी जितनी बढ़ी है उससे हमारे यहां कम बढ़ी है। तो आप किसी बात को सिद्ध न करें और अपोजीशन के लोगों को ताना मारें और उनसे नाराज हों कि वह प्रदेश का विकास नहीं चाहते, रोड़ा अटकाते हैं, इस प्रकार की बात कहना अनुचित है। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं। आप जब तक बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रदेश का उत्थान नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है। मैं जान सकता हूं कि कानपुर की बिजली कम्पनी का राष्ट्रीयकरण क्यों और कैसे किया गया? उसका नतीजा आज यह है कि ५० लाख रुपये का मुनाफा कानपुर की कम्पनी से हो रहा है। आप इस दलील से नहीं बच सकते कि यह हमारे हाथ में नहीं है, केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। वहां से आप पर्मीशन मंगा सकते हैं। वह स्थिति प्रदेश में आने वाली है कि ५ साल के अन्दर जितने चीनी मिल के मालिक हैं वह उठ कर दूसरी जगह चले जायेंगे क्योंकि कम्पिटीशन में नहीं आ रहे हैं तब आपको घाटे का सौदा करना होगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस बात पर विचार किया जाय कि चीनी मिलों को अगर ५ साल के बाद घाटे पर लेना है तो अभी क्यों न ले लिया जाय। २०, ४० साल के बांड्स के रूप मुआविजा क्यों न दे दिया जाय? आप चाहते हैं कि देश को गरीबी, बेकारी और दरिद्रता से निकालना है तो आपको इस काम को करना होगा। आप यदि देखना चाहें कि जनता का पैसा जिस तरह से बहाया जा रहा है तो पोथी की पोथी दिखाई जा सकती है। आप पहले इन चीजों को ठीक कीजिये। गरीब जनता पर टैक्स लगाने के बारे में मत सोचिये। बहुत टैक्स लगा दिया।

शर्मा जी ने कहा था कि आप काम के लिये तो कहते हैं लेकिन जब टैक्स देना पड़ता है तो उसकी मुखालिफत करते हैं। उस दिन दलील देते हुये इन्होंने कहा कि १५ फीसदी म्युनिसिपैलिटीज लेती हैं उसमें हमारा भी १० फीसदी हो जायगा। म्युनिसिपैलिटीज को २५ फीसदी तक कर लगाने का अधिकार है और १० फीसदी आपने जोड़ा है। मेरा कहना है कि म्युनिसिपैलिटीज,

नगर महापालिकाओं के साथ आपने अन्याय किया है । आपने उनके अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है । इससे आपको हटना होगा । प्रदेश तथा म्युनिसिपैलिटीज की जनता, जो बड़े पैमाने पर आज इसका विरोध कर रही है आपको पीछे हटायेगी अगर आपने अपनी नीति पर पुनः विचार नहीं किया । आपकी यह दलील जो है बहुत थोथी है और जो आपकी नीति बकाया टैक्स वसूल करने की नहीं है वह साफ-साफ ऐसी है कि आपका संबंध प्रदेश के पूंजीपतियों से हैं, टैक्स चोरों से है जो रातदिन गिरहकटी कर रहे हैं। इस आरोप से आप बरी नहीं हो सकते जब तक आप यह साबित न कर दें कि आप सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति पर पुनः विचार करें और थोथी दलीलों में न पड़ कर प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में विरोधी पार्टियों का सहयोग लें और तभी जा कर प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो सकता है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, आज टम्बेश्वरी प्रसाद जी का एक प्रस्ताव इस माननीय सदन के समक्ष विचारार्थ उपस्थित है । जिस समय इस पर वाद-विवाद शुरू हुआ तो एक बात सोचता था कि टम्बेश्वरी प्रसाद जी और उनकी पार्टी के लिये जो मेरा विचार है उसमें कुछ मजबूती आई कि उन्होंने सीधे नाक न पकड़ कर टेढ़े नाक पकड़ने का प्रयत्न किया है ।

अधिष्ठाता महोदय, अगर इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का नवीन टैक्स जनता पर न लगाया जाय और अगर बचत के जरिये से या जो टैक्स एरियर्स पड़े हुये हैं उनको वसूल करके हम उसकी पूर्ति करें । मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि आज जब पंचवर्षीय योजना चल रही है तो हम एक वर्ष को दूसरे वर्ष से अलेहदा नहीं कर सकते । अगर हम इस प्रस्ताव पर विचार करते हैं तो हमको सोचना होगा आया हम ५ वर्ष तक कोई टैक्स लगायेंगे अथवा नहीं ? हम कहें कि इस वर्ष न लगायें, दूसरे वर्ष लगा लेंगे और फिर तीसरे वर्ष न लगायें चौथे वर्ष लगा लेंगे, ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती । प्रस्ताव में दो बातें कही गयी हैं कि बचत के द्वारा या टैक्स एरियर्स को वसूल कर के हम अपना काम चलायें । मैं जानना चाहता हूं माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी से कि मान लीजिये आज तीसरी योजना के लिये १०९ करोड़ रुपया टैक्स के जरिये वसूल करने का हमने निश्चय किया । लेकिन अगर टैक्स एरियर्स और बचत से यह आवश्यकता पूरी न हुई तो क्या फिर टैक्स लगाने की आज्ञा हमको देंगे या नहीं ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । प्रस्ताव में लिखा है कि किसी पर टैक्स न लगाया जाय । इसके माने हैं कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, टैक्स किसी पर न लगाया जाय । माननीय चन्द्रजीत जी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं । उन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें संशोधन रखे हैं । उस रोज जो मैंने कहा था उसे बड़े साफ तरीके से आज फिर कह देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के जरिये वे गरीब की आड़ में अमीर की वकालत कर रहे हैं । मैंने उस रोज भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि उनके विचार से उस आदमी पर जो कि एक फियेट गाड़ी रखता हो या जो स्कूटर रखता हो उस पर टैक्स न बढ़ाया जाय । इसके माने बड़े साफ तरीके से यह हो जाते हैं कि वह चाहते हैं कि वे अमीर को और अमीर करना चाहते हैं और गरीब को और गरीब करना चाहते हैं । जिस समय शारदा भक्त जी शुरू-शुरू में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उनका विश्वास प्लानिंग में है लेकिन प्लान्ड एकोनामी में नहीं है । तो उनका विश्वास है अनप्लान्ड एकोनामी में है । उनका विश्वास कांग्रेस या समाजवाद, इन दोनों में से किसी पर नहीं है । किस तरह की एकोनामी में उनका विश्वास है यह वे जानें, लेकिन जो बहुत से मेरे दोस्त उनका मतलब समझे हैं वह मैंने आपके सामने संक्षेप में रख दिया । एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि टैक्स लगाने का एक मूलभूत सिद्धान्त होता है । टैक्स लगाते समय उस सिद्धान्त से हम इधर-उधर नहीं जा सकते और उसके अन्दर आ जाने पर अपने को बचा नहीं सकते । टैक्स किस के ऊपर हो और किस के ऊपर न हो यह

[श्री जगवीरसिंह]

विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन एक स्वीपिंग प्रस्ताव ले आना कि किसी के ऊपर टैक्स न लगाया जाय, मैं समझता हूं कि इससे उन्होंने इस सदन के साथ, इस प्रदेश के साथ और तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय किया है।

यहां पर कहा गया कि हमारी दो पंचवर्षीय योजनायें नाकामयाब हुईं। मैं सन् १९५८ की बातें याद दिलाना चाहता हूं। इधर से सुल्तान आलम साहब ने बोलते हुये कहा था कि जो विरोध में बोलते हैं उनको सरकार की बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। उस समय मैं विरोध में बैठता था और मैंने कहा था कि सरकार के पक्ष में जो बोलते हैं उनको सरकार की अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती हैं। उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि विरोध में बैठने वालों को अगर बुराइयां ही बुराइयां दिखायी देती रहीं और सरकारी पक्ष को अच्छाई ही अच्छाई दिखायी देती रहे तो कोई काम जिम्मेदारी के साथ चल नहीं सकता। हमें इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि पहली दो योजनाओं में इस प्रदेश को कोई लाभ नहीं हुआ ? क्या यह सही नहीं है कि हमारे प्रदेश में सड़कें बहुत काफी बनीं, अस्पताल बहुत काफी खुले और पढ़ाई की सुविधायें हमारे प्रदेश में बढ़ीं ? क्या यह सही नहीं है कि बहुत से पूरब के जिलों में गांवों को ऊंचा किया गया है जिसकी वजह से उन गांवों के व्यक्तियों की और जानवरों की जानें बच सकी हैं ?

अधिष्ठाता महोदय, यह हो सकता है और मैं मानता हूं कि जितनी कामयाबी इन योजनाओं में हमें होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। हमें क्लेम नहीं करना चाहिये कि हमारी कामयाबी पूर्ण है और हम ऐसी जगह पर पहुंच गये हैं कि जहां से अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक दोस्त कह रहे थे कि इन प्लानों से हमारी आमदनी नहीं बढ़ी है। प्लानों से २०.६ प्रतिशत हमारी आमदनी बढ़ी है। अब यह किसकी जेब में गई ? अधिष्ठाता महोदय, यह सवाल हो सकता है, मेरी जेब में गई या आपकी जेब में गई, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ी है। प्रति व्यक्ति भी हमारी आमदनी बढ़ी है। हां, यह सही है कि गांवों के रहने वालों की आमदनी नहीं बढ़ी है। मैं इस बात को मानता हूं।

इन प्लानों के बारे में कुछ दोस्तों का यह विचार हो सकता है कि इनको समाप्त कर दिया जाय और कुछ का विचार हो सकता है कि इनको चलाया जाय। मेरा अपना विश्वास है कि अगर हमें अपने प्रदेश की भलाई करना है, गरीबों को खाना मिल सके, पहनने को कपड़ा मिल सके और उनके लिये अनेक प्रकार की सुविधायें हो सकें तो हमें अपने यहां प्लान को चलाना होगा। किसी गरीब देश की हालत बिना प्लान के चलाये नहीं सुधर सकती है। इसलिये हर तरीके से हमें अपने प्लान को चलाना होगा और प्लान को चलाने के लिये पैसे की आवश्यकता होगी और टैक्सेज लगाने होंगे। लेकिन टैक्स लगाने के कुछ सिद्धान्त हैं। उनको हम नहीं भुला सकते हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि हमें किस से टैक्सेज लेना है। टैक्सेज उसी से लेना है जिसने इन दो पंचवर्षीय योजनाओं से फायदा उठाया है, जिसने इन योजनाओं से जो आमदनी हुई है, उसको अपनी जेब में रखा है। हमें टैक्स उससे लेना है जो देने के योग्य है, जिसके पास सरप्लस है और जो देने लायक है और उसको टैक्स देना भी चाहिये। अगर अमीर आदमियों से टैक्स लेने पर पूरा नहीं पड़ता है तो गरीब आदमी कुरबानी करना जानता है। जब हमारे टैक्सेज वसूल करने के तमाम सोर्सेज समाप्त हो जायं तब हम उससे टैक्स लें। जिन्होंने नफा उठाया है उनसे हम कह सकते हैं कि आप हमारी योजनाओं में योगदान दीजिये, भीख दीजिये या सहयोग दीजिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी तरह से दीजिये जिससे हमारी तीसरी योजना चल सके और उसके बाद हम अपने देश को और प्रदेश को हरा भरा देख सकें।

कुछ मित्र जो सोचते हैं कि हम प्लान न चलायें तो क्या वे स्टेगनेंट इकोनोमी देश में लाना चाहते हैं ? हमारा हर दोस्त और समाजवादी व्यक्ति चाहता है कि अमीर और गरीब

का अन्तर घटे। ऐसा कोई नहीं चाहता कि हमारे यहां गरीब और गरीब होता जाय और अमीर और अमीर होता जाय। हो सकता है कि माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का ऐसा विचार न हो। मैं चाहता था कि वे इस पर विचार करेंगे और इसको वापस ले लेंगे। विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने एक बात कही कि हमको जो २०० रुपये तनख्वाह मिलती है उसको हम देने के लिये तैयार हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सब विरोधी भाइयों की तरफ से यह बात कही हो तब तो बात दूसरी है वरना ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिये थी। इधर भी बहुत से आदमी ऐसे मिल जायेंगे जो उनको सहयोग देंगे। लेकिन मैं नहीं जानता कि वह सब दोस्तों से पूछ कर बात कर रहे थे। अगर वह अकेले बात कर रहे थे तो हमें ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें इस सदन में नहीं करनी चाहिये। एक दोस्त ने फर्स्ट क्लास की बात कही। मैं मानता हूं और जानता हूं कि हम लोग फर्स्ट क्लास में नहीं चलते और फर्स्ट क्लास का किराया ले लेते हैं। आप फर्स्ट क्लास का किराया न दीजिये, पास दे दीजिये ताकि हम सुविधा से आ जा सकें। लेकिन जहां तक १००रुपये छोड़ने की बात कही, उसका जवाब हरीसिंह जी ने दिया कि आप छोड़ दीजिये आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सबके लिये इस प्रकार की बात कहना मेरी समझ में नहीं आता। अधिष्ठाता महोदय, इधर से बोलते हुये कुछ लोगों ने खास तौर से किसान का नाम लिया। अभी किसान पर कोई टैक्स आयेगा या नहीं आयेगा यह तो हमारे नेता लोग जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा था, उसको फिर दोहराता हूं कि हमारे नेता लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जिससे गरीब को कोई तकलीफ होने जा रही हो। कुछ लोगों को बावैला कबल अज वक्त की आदत है। वह करते रहें लेकिन मेरा विश्वास है कि गरीब पर टैक्स लगाने की बात कांग्रेस नहीं सोचती है, हमारे नेता नहीं सोचते हैं। लेकिन पंचवर्षीय योजना चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो हमको साधन सोचने ही पड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, अभी मैं सदन में बैठा-बैठा उस तरफ के लोगों की तकरीरें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी तोते को कोई रट सिखा दी जाय और तोता बड़े प्रेम से उस रट को रटने लगे, तो सिखाने वाला बड़ा प्रसन्न होता है। वह प्रसन्न मुद्रा में मुस्कराता है कि हमारी सिखाई हुई बात तोताराम रट रहे हैं, लेकिन अगर तोते से पूछा जाय कि सीताराम का क्या अर्थ है तो वह बता नहीं पायेगा। मैं सोच रहा हूं बड़ी देर से कि इस आदरणीय सदन में प्लानिंग योजना की बड़ी बातें हुईं, लेकिन मैं आपके द्वारा पूछता हूं? कि आखिर प्लानिंग के माने क्या हैं? आज इसका भाष्य किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया। बड़े-बड़े पंडित उस तरफ भी बैठे हैं। अर्थशास्त्र में प्लानिंग की जो परिभाषा है उसके मुताबिक अगर कांग्रेस की प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं को कहा जाय तो यह योजनायें, योजनायें नहीं कही जायेंगी। आज कांग्रेस सरकार के जो कार्य योजना के नाम पर चल रहे हैं वह योजना नहीं हैं। योजना की परिभाषा अर्थ शास्त्रियों ने यह की है कि उपलब्ध साधनों के अन्दर अधिक से अधिक व्यवस्था कर देने का ही नाम योजना है। आपके सामने जो साधन उपलब्ध हैं, जो आपको देश या विदेश से उपलब्ध होते हैं उसके अन्दर क्या आपने अधिक से अधिक सुव्यवस्था करने के लिये काम कर रखा है? अगर इस कसौटी पर माननीय मुख्य मन्त्री जी को और कांग्रेस की योजनाओं को कसा जाय, तो अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आडिट की रिपोर्ट निकली है। उसमें कहा गया है कि नौ करोड़ रुपया जो आदरणीय सदन से मन्जूर हुआ था पिछले साल में वह खर्च नहीं कर पाये। इससे मालूम होता है कि सरकार योजना के प्रति सचेष्ट नहीं है। कहा जाता है कि योजना से अन्य पार्टियों भी सहमत हैं। हो सकता है कि पी० एस० पी० के लोग, हो सकता है कि कम्युनिस्ट लोग या जनसंघ के लोग आपकी योजनाओं से मौलिक मतभेद न रखते हों, लेकिन मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि

[श्री काशीनाथ मिश्र]

सोशलिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान में ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस की चल रही योजनाओं से मौलिक रूप से विरोध करती है और करती रहेगी। वह कहती है कि इस योजना के चलते इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। आज अगर अंग्रेजी राज्य रहता तो क्या यह काम न हुये होते जो चन्द्रभानु गुप्त जी कर रहे हैं? मुझे विश्वास है कि डेढ़ सौ वर्षों के अंग्रेजी राज्य के कामों के अवलोकन करने के बाद कोई भी व्यक्ति इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि अगर अंग्रेजी राज्य हिन्दुस्तान में होता तो जो काम आज चन्द्रभानु गुप्त जी डेवलपमेंट के नाम पर चला रहे हैं इससे ज्यादा काम हुआ होता। मेरे कहने का कोई मतलब यह न समझ ले कि मैं अंग्रेजी राज्य को कांग्रेस राज्य से अच्छा समझता हूं, लेकिन यह मैं शर्म के साथ कहता हूं कि अंग्रेजी राज्य के जमाने में ३४ हजार मील लम्बी सड़कें बनीं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने १५ साल के अन्दर कितनी सड़कें बनवाईं? जितने पोस्ट आफिसेज, जितनी कचहरियां आप देखें, अंग्रेजी राज्य के समय में अधिक से अधिक बन चुकी थीं। अंग्रेजी राज्य में ४६६ मिलें कपड़े की डेढ़ सौ साल में बनीं यानी हर चौथे महीने एक मिल। १५० चीनी मिलें १५० साल में यानी हर साल १ चीनी की मिल। बावजूद इसके देश में जनता तरक्की न कर सकी। क्या मुख्य मन्त्री जी से पूछा जा सकता है कि आपके १५ साल के राज्य में क्या हुआ? आप एक चुर्क सीमेंट फैक्टरी नहीं चला सकते। बहुत से लोग उधर से चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बारे में इतने ताव से बोलते हैं जैसे इनकी अपनी कोई फैक्टरी हो। मैं बतलाना चाहता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी इस प्रदेश के साढ़े सात करोड़ जनता की फैक्टरी है और इस फैक्टरी पर जितना मालिकाना मुख्य मन्त्री जी का है उससे कम इस आदरणीय सदन के किसी भी सदस्य का मालिकाना हक उस फैक्टरी पर नहीं है। लेकिन आज आपने उस फैक्टरी पर कर क्या रखा है। आज वहां के अधिकारी जिस तरह से उस फैक्टरी को चला रहे हैं वह प्रदेश और देश के किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के बरदाश्त के बाहर है, लेकिन आप बहुमत के बल पर वहां दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और पापाचार का राज्य चला रहे हैं। यह हमारी बरदाश्त के बाहर है। आज वह फैक्ट्री बन्द है। राज्य का रोजाना लगभग २ लाख रुपये का उत्पादन बन्द है।

योजना के लिये जनता पर टैक्स लगाना चाहिये। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहते रहें कि देश के गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अर्थशास्त्र में इसका कोई मतलब नहीं है। योजना के चलते लोग अमीर हो रहे हैं यह हमने अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से अर्थ लगाया है और उस हिसाब से अंग्रेजी राज्य में जब २० लाख आदमी ऐसे थे जिनको आधुनिक ढंग की तमाम सुविधायें उपलब्ध थीं और आज वह २० लाख से बढ़कर ऐसे लोगों की संख्या ५० लाख हो गयी है, तो इन आपकी योजनाओं से ३० लाख आदमी गरीबों की कतार से निकलकर बाबुओं की कतार में आ गये हैं। हमारी आज की अमीरी की कसौटी क्या है और कौन आज इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं? जिनके पास रेडियो, मोटरकार और आधुनिक ढंग के सारी चीजें हों, लेकिन वह कितनों के पास उपलब्ध हैं। ६ लाख के पास यानी ३ लाख आदमी हर साल तरक्की कर रहे हैं। तरक्की उन लोगों की होती है जो ए० डी० ओ, बी० डी० ओ० या क्षेत्रीय विकास अधिकारी हैं उनका विकास हो रहा है। भले ही उनके क्षेत्र का विकास न हुआ हो लेकिन उनका विकास हो जायगा अगर उनको गाड़ी मिल जाती है, उनको बंगला मिल जाता है तो उनका तो विकास हो गया, विकास के नाम पर भले ही क्षेत्र का बिकास हुआ हो या न हुआ हो। आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर ३ लाख का विकास हर साल आप कर रहे हैं तो हिसाब लगाइये कि ३ सौ वर्ष लगेंगे जब हमारा देश दुनिया के देशों के मुकाबले में पहुंचेगा और क्या तब तक अमेरिका और रूस वाले बैठे रहेंगे? हमारे प्रधान मन्त्री साहब को बड़ा शौक है कि हमारा देश रूस और अमेरिका जैसा हो जाय। उनकी इस हविस का मैं भी कायल हूं, लेकिन क्या उनकी नकल करने से हमारी योजनायें कामयाब हो सकती हैं? नहीं हो

सकती हैं। क्योंकि उनकी हालत दूसरी है। वहां आदमी कम हैं, जमीन ज्यादा है, रूस में ३० आदमी बसते हैं एक वर्गमील पर, अमेरिका में ५० आदमी बसते हैं एक वर्गमील पर और हिन्दुस्थान में ३०० आदमी एक वर्गमील पर बसते हैं। पूंजी का हिसाब लगायें तो हिन्दुस्तान में एक आदमी के पीछे कैपिटल इन्वेस्टमेंट २५० रुपये का है। अमेरिका में १५ हजार रुपये का है और रूस में १२ हजार रुपये का है। इंगलैंड और यूरोप के और देशों में कैपिटल इंवेस्टमेंट एक आदमी के पीछे ८ हजार से १० हजार तक है। तो १५ हजार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले देश से २५० रुपये वाले का मुकाबला करना चाहते हो? यह तुम्हारा ख्वाब-ख्वाब ही रह जायगा और मुल्क तबाह हो जायगा आपकी इन योजनाओं के चलते और अगर इनको चलते रहने दिया गया तो यह देश नित्यप्रति दरिद्र होता जायगा और साधन मिलते जायेंगे इस देश के पूंजीपतियों को, उनके शोषण का चुंगल और मजबूत होता जायगा, देश के दरिद्रों और गरीबों का शोषण और मजबूती के साथ वह कर सकेंगे।

श्रीमन्, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महाराज गुप्ता जी कहते हैं कि हम कार्यान्वित करेंगे और योजनाओं को सफल बनायेंगे। आपकी योजनायें कैसे सफल हों? इसी सदन में बहस चली कि चीनी मिल मालिकों पर केन सेस का करोड़ों रुपया बाकी है, कानपुर के मिल मालिकों पर करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स का बाकी है। आप दस-दस बारह-बारह चौदह-चौदह करोड़ रुपये बकाये की वसूली नहीं करते हैं और गरीब किसान पर अगर ९० रुपया, ४० रुपया या ५ रुपया लगान बाकी रह जाता है तो उसकी कुर्की की जाती है और रोजबरोज यह हो रहा है। अभी आजमगढ़ के माननीय सदस्य सत्यदेव सिंह जी कह रहे थे कि श्रीमन्, पांच-पांच पोर्टफोलिओं अपनी पाकेट के अन्दर माननीय गुप्ता जी रखे हुये हैं। पचास सदस्यों की कैबिनेट में यह हाल है कि साठ वर्ष की अवस्था में पांच-पांच पोर्टफोलिओ आपने अपनी पाकेट के अन्दर रख छोड़े हैं। शायद समझते हैं कि वह बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, उद्योग, मेडिकल यह सब उनके पास हैं। कोई सुनता है तो हैरान होता है कि आखिर यह किस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है। किसी को डेवलपमेंट दिया तो बी० डी० ओ० को उसमें से अलग कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया तो उसमें एक हिस्सा अलग कर दिया, मेडिकल और हेल्थ उत्तर प्रदेश में दो विभाग कर दिये गये। जो इसको देखता है, यहां के मन्त्रियों में विभागों के बंटवारे की तरफ जिसकी निगाह जाती है वह समझता है कि क्या उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों के दिमाग का दिवाला निकल गया है जो इस तरह का बंटवारा हुआ है। तो मैं यह कह रहा हूं कि आपकी योजनायें बिलकुल निकम्मी हैं, देश की जनता को गरीब बनाने वाली हैं और एक-एक आदमी का यह धर्म है, उसका यह पुनीत कर्त्तव्य है कि कांग्रेस सरकार की इन चलती हुई योजनाओं में जितनी ही वह बाधा डाल सके उतना ही देश और प्रदेश का कल्याण होगा।

दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि जहां पर सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस की इन मौलिक योजनाओं का मौलिक रूप से विरोध करना चाहती है वहीं पर सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि हिन्दुस्तान जैसे पिछड़े देश को तरक्कीशुदा बनाने के लिये सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि तीन योजनायें इस मुल्क के अन्दर कार्यान्वित की जायं। मैं गुप्ता जी महाराज को यह राय देना चाहता हूं कि अगर वह चाहते हैं कि देश और प्रदेश का भला हो तो वह इस को कार्यान्वित करें। पहली योजना यह चलनी चाहिये कि हम सारे देश और प्रदेश के लोगों को अन्न दे सकें। जितनी जमीन तोड़ने के लायक है एक अन्न सेना की भरती करके वह तोड़ी जाय और उसको अन्न पैदा करने योग्य बनाया जाय। हमने सुझाव दिया था कि सारे देश में यह योजना चला दें तो पहले साल में डेढ़ दो अरब का खर्चा होगा और उसके बाद फिर उससे पैदावार मिलने लगेगी। दूसरी योजना में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की एक फौज भरती की जाय। जो पढ़े-लिखे लोग अपने यहां बेकार हैं उनकी यह फौज बनायी जाय और एक दस साला योजना बनाकर चलायी जाय जिससे प्रदेश में कोई अगूंठा छाप न रह जाय। आज क्या हुआ? अंग्रेजी राज में दस प्रति सैकड़ा लोग यहां पढ़े-लिखे

[श्री काशीनाथ मिश्र]

थे। आज उत्तर प्रदेश में उनकी तादाद १६ प्रति सैकड़ा हो गई है। आज भी हमारे प्रदेश के १०० आदमियों में ८४ आदमी बे पढ़े-लिखे हैं। दस वर्ष की योजना में आप कुल ६ आदमियों को पढ़ा पाये हैं। इस हिसाब से १५० वर्ष सबको शिक्षित करने में लगेंगे। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि प्रदेश को शिक्षित करने के लिये आप इस प्रकार की एक दस साला योजना चलाइये और तीसरी योजना में, मैं चाहता हूं कि वह भी दस साला होगी, कि उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के हर गांव में बम्बे का पानी, स्वच्छ पानी पीने के लिये उपलब्ध कर दिया जाय और पाखाने की सुविधा हर नागरिक को प्रदान की जाय। इस प्रकार जीवन की तीन मौलिक आवश्यकतायें—खाना, पानी और शिक्षा, इनकी पूर्ति का प्रयत्न किया जाता तो अर्थ-शास्त्रियों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि जितना पैसा आपने खर्च किया है उससे कम पैसा खर्च हुआ होता और आपकी योजनायें भी चल सकतीं और आज आप दुनियां के सामने यह कहने के मुस्तहक होते कि हमारे प्रदेश में एक भी आदमी अनपढ़ नहीं है। आज हमारे गांवों की रहने वाली औरतें, जो पनघट पर पानी भरने के लिये जातीं हैं आज वे कितनी दूर गांवों में पानी भरने के लिये जाती हैं? अगर आपकी दोनों पंचवर्षीय योजनायें कामयाब हुई होतीं तो गांवों में रहने वाले गरीब आदमी यह महसूस करते कि हमारा देश आजाद हुआ है और हमको पानी घर बैठे मिलता है.....

श्री अधिष्ठता—आप जरा आहिस्ता बोलिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये सब जो मौलिक योजनायें हैं उनको न चलाकर आज यह कांग्रेस सरकार अंग्रेजी सरकार से भी बदतर अपनी योजनाओं को चला रही है। अंग्रेजों के जमाने में अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि अंग्रेजों की योजनायें हपहैजर्ड वे आफ डेवलपमेंट की योजनायें हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की जो योजनायें चल रही हैं उनमें मैं शोयी और लगा देता हूं यानी हपहैजर्ड—ऐंड शोयी वर्क आफ डेवलपमेंट इनकी योजनायें हैं। जिस तरह से यह काम सरकार कर रही है मैं उसका विरोध करता हूं। मैंने ब्लाकों में जाकर देखा है, वहां पर लड़कों के खेलने के लिये कुछ मैदान या अफसरों के रहने के लिये रंगीन बंगले जरूर देखने को मिलते हैं और वास्तविक उन्नति नजर नहीं आती है। अगर आप वहां पर दूर गांव में चले जायं तो वहां कीड़ मकोड़े के बच्चे नजर आते हैं। आपकी इन योजनाओं की प्रगति को देखने के लिये मैंने हिन्दुस्तान का भ्रमण किया है। हिन्दुस्तान का हर जिला में घूम चुका हूं लेकिन मैंने यही देखा है कि लखनऊ का हजरतगंज, कलकत्ते का चौरंगी, दिल्ली का साउथ एवन्यू और बम्बई की चौपाटी जैसी जगहों को आप अच्छी तरह से बनाते चले जा रहे हैं ताकि अगर कोई विदेशी देखने के लिये आये तो उनको ये ही मुकाम दिखा दिये जायं और उसके दिमाग पर यह असर पड़े कि यहां पर भारतवर्ष में बहुत तरक्की हो रही है। हिन्दुस्तान के देहातों की हालत जो आज नजर आ रही है वह आपकी इन योजनाओं का ही फल है। जैसे किसी—किसी जगह कामयाबी का खयाल नजर आता है उसी तरह से ये आपकी योजनायें कहीं—कहीं रंगीन दिखाई दे रही हैं। उसका यही असर हो रहा है कि ३ लाख आदमी हर साल तरक्की कर रहे हैं। इसलिये आपके द्वारा मैं इस आदरणीय सदन से अपील करूंगा कि देश और प्रदेश की जनता के नाम पर, गरीबी और भुखमरी के नाम पर अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो तो हर एक आदमी का फर्ज है कि वह इन योजनाओं का विरोध करे।

अन्त में इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, जिसकी अक्सर चर्चा की जाता है वह गुप्ता जी की बपौती नहीं है, वह गुप्ता जी का निजी कारखाना नहीं है। उस पर जितना हक उनको है उतना ही हक हर एक प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति का है। आज वहां पर सीमेंट का प्रोडक्शन बन्द है। आज सीमेंट की सब जगह आवश्यकता है। सीमेंट ऐसी चीज है जिसकी आपको भी अपनी योजनाओं के लिये आवश्यकता है ताकि उनको कार्यान्वित किया जा सके। जिसकी सबकी आवश्यकता है। आज वहां पर एक

हजार टन सीमेंट का रोजाना का प्रोडक्शन बन्द है। लाखों रुपये की रोज की बरबादी वहां पर हो रही है। लेकिन गुप्ता जी अपने कमरे में आराम से बैठे हुये हैं और वहां की हालत उनको दिखाई नहीं पड़ती है। मैं चाहता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को पास करे और गुप्ता जी के हाथों को कमजोर करे जिससे देश की गरीब जनता पर टैक्स का बोझ न पड़ने पाये।

*कृषि उपमंत्री (श्री शिवराज सिंह)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संकल्प को जब मैंने पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, परन्तु जब मैंने विरोधी दल के सदस्यों की तकरीरों को सुना तो मुझे कुछ इत्मीनान भी हुआ। उससे मुझे ऐसा जान पड़ा कि उनको कुछ भ्रांति है, कुछ उनको शंका है। अगर वे शंकायें और भ्रांतियां दूर हो जायं तो निश्चय ही संकल्प को जिन साहब ने पेश किया है वह उसको वापस ले लेंगे। उस पक्ष से कुछ सदस्यों ने यह कहा कि पिछले १० वर्ष के अन्दर दो पंचवर्षीय योजना काल में कृषि के क्षेत्र में निश्चित और काफी तरक्की नहीं हुई। मैं बड़े अदब से यह निवेदन करूंगा कि यदि उन्होंने यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की किताब, जो उनको दी गई थी, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पहला सफा पढ़ लिया होता तो इस तरह का खयाल उनके दिमाग में कभी न आता। पहली पंचवर्षीय योजना हमारी मुश्किलात को दूर करने की योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य हर क्षेत्र में निर्धारित किया गया था और कृषि के क्षेत्र में मुझे कहते हुये खुशी होती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के सारे लक्ष्य इस प्रदेश के अन्दर केवल हासिल ही नहीं हुये, बल्कि उससे भी ज्यादा हमने उत्पादन किया केवल कपास को छोड़ कर। मिसाल के लिये खाद्यान्न का हमारा लक्ष्य था १४ मिलियन टन का, वह १४.१५ मिलियन टन हमने किया। गन्ने के क्षेत्र में जो लक्ष्य हमारा ३.५७ लाख टन का था हमने उत्पादन किया ३.६ लाख टन। आयल सीड्स में १.१८ मिलियन टन का हमारा लक्ष्य था, वह उत्पादन हुआ १.२६ मिलियन टन। जूट में हमारा लक्ष्य था ११० हजार बेल्स, का, वह हमने पैदा किया १३६.४० हजार बेल्स। और अगर पूरे डिटेल को देखें पिछले दस सालों के तो खाद्यान्न के अन्दर उत्तर प्रदेश ने १९५०–५१ को बेस मान कर २२ परसेंट अधिक उत्पादन किया है दूसरी योजना के अन्त में। इसी प्रकार से गन्ना ३० परसेंट, आयल सीड्स ७० परसेंट, पोटैटो १६ परसेंट, खाद्यान्न ४५ परसेंट और जूट १०५ परसेंट ज्यादा पैदा हुआ है इन दस वर्षों में यदि हम १९६०–६१ का १९५०–५१ से मुकाबला करें तो। इतना ही नहीं, आबादी का जो प्रोडक्शन लगाया गया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी अगले पांच सालों में बढ़ कर ८०.५७ मिलियन होने जा रही है और सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इस बात का पूरा एहतियात बरता है कि इतना खाद्यान्न हम पैदा कर लें कि तीसरी योजना के अन्त में यह प्रदेश खाद्यान्न के मसले में पूरी तरह स्वावलम्बी रहे और तीसरी योजना के जो कृषि क्षेत्र के लक्ष्य हैं वे बहुत ही बड़े और ऊंचे हैं। उनका मुकाबला यदि आज दूसरी योजना के लक्ष्यों से किया जाय तो आप देखेंगे कि वे बहुत ज्यादा हैं। खाद्यान्न में जहां हमारा लक्ष्य दूसरी योजना में केवल १६.७ लाख टन था, तीसरी योजना में वह ४७.५ लाख टन ज्यादा पैदा करने का है। इस प्रकार से खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य दूसरी योजना के लक्ष्य से २८४ परसेंट ज्यादा है। गन्ने के क्षेत्र में दूसरी योजना का हमारा लक्ष्य ५.६ लाख टन था, वह बढ़ कर तीसरी योजना में १० लाख टन रखा गया है, इस तरह से वह १८० परसेंट ज्यादा है। आयल सीड्स में जो लक्ष्य ४.२ लाख टन का था, वह बढ़ा कर ४.९५ लाख टन का तीसरी योजना में कर दिया गया है और इस प्रकार से इसमें ११८ परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार से काटन जो २५,००० बेल्स का लक्ष्य था दूसरी योजना का वह ९६ हजार बेल्स का लक्ष्य रखा गया है तीसरी योजना में और यह ३८४ परसेंट ज्यादा है। जूट का लक्ष्य ३१,००० बेल्स का था, उसके उत्पादन में हम ३०,००० बेल्स और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और यह ५९ परसेंट ज्यादा है। इस प्रकार श्रीमन्, हम देखेंगे कि न केवल हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजसिंह]

लक्ष्य ही हासिल होते जा रहे हैं बल्कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये जो प्रयत्न हम करने जा रहे हैं उनका भी मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूं।

केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो दूसरी योजना में केवल दो लाख टन का था, वह तीसरी योजना काल में ९.९ लाख टन करने का विचार है। इसी तरह से सुपर फास्फेट, जो केवल .६ लाख टन इस्तेमाल किया गया था उसको अब ३ लाख टन इस्तेमाल करने की बात है और इस तरह केमिकल फर्टिलाइजर को ४०० परसेंट ज्यादा इस्तेमाल करने का विचार है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। इधर से भी इस प्रकार का एक भाषण हुआ और वैसा ही अब उधर से हो रहा है। क्या यह पंचवर्षीय योजना पर बहस हो रही है यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री अधिष्ठाता—यह टैक्स तो पंचवर्षीय योजना के लिये ही हैं। आप जारी रखिये।

श्री शिवराजसिंह—मैं श्रीमन्, यह बतलाने की चेष्टा कर रहा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के आइटम हमारी दूसरी योजना से कितने अधिक हैं और उनके लिये साधन इकट्ठे करना हमारे लिये कितना आवश्यकीय है। श्रीमन्, यदि आप देखें कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो पैदावार के आंकड़े हैं, तो आपको मालूम होगा कि वह भी बराबर बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, मैं अन्य क्षेत्रों के आंकड़े भी आपके सामने रख रहा हूं १९५५-५६ में ९७ लाख एकड़ इरिगेशन पोटेन्शियल थी, १९६०-६१ में ११८ लाख एकड़ है और १९६५-६६ में १४४ लाख एकड़ होने वाली है। इसी तरह से आप कोआपरेटिव क्रेडिट को देखिये। यह १९५५-५६ में ४ करोड़ थी और १९६०-६१ में २५.० करोड़ है और १९६५-६६ में ८०.०० करोड़ होने वाली है।

इसी तरह से आप इन्सटैल्ड पावर कैपेसिटी को देखिये। यह १९५५-५६ में ३७० के० डब्लू थी १९६०-६१ में ४३८ के० डब्लू० है, और १९६५-६६ में ११८० के० डब्लू०होने वाली है।

इसी तरह से जितनी जगह बिजली लगाई गई है, वह भी मैं आंकड़े दे रहा हूं। कुल लोकलटीज जहां बिजली लगाई गई है। १९५५-५६ में २९७२ लगाई गई थी। १९६०-६१ में ४८५९ है और १९६५-६६में ९९४८ में लगाई जायगी।

इसी तरह से आप मेटल्ड रोड के आंकड़े भी सुन लें। १९५५-५६ में ११,५३४ मील थीं, १९६०-६१ में १४,४९७ है और १९६५-६६ में १६,४४० मील होने वाली है।

इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूलों की संख्या भी है। १९५५-५६ में यह संख्या २८.०५ लाख थी, १९६०-६१ में ४०.१९ है और १९६५-६६ तक इनकी संख्या ६६.५० लाख हो जायगी।

अब मैं आपको हास्पिटल बेड्स के आंकड़े भी दे देना चाहता हूं। यह संख्या १९५५-५६ में १६,४९७ थी, १९६०-६१ में यह संख्या १७,७०० है और १९६५-६६ में इनको संख्या २३,२०० हो जायगी।

अब मैं आपको पर कैपिटा आउट ले की फिगर्स भी दे देना चाहता हूं। यह सारे भारतवर्ष की अपेक्षा हमारे प्रदेश की सब से कम है। जहां यह पंजाब में, जो कि सब से ज्यादा है, १९५१-६१ में १७५.७० था वहां उत्तर प्रदेश में यह केवल ५७.९४ ही थी।

मान्यवर हमारे यहां जो रुपया खर्च हुआ है उसकी एफिशिऐन्सी नापने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि...

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप को बीच में नहीं बोलना चाहए। आप बैठें।

श्री शिवराजसिंह—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आउटपुट का रेशियो इसमें देखना चाहिए। जो भी रुपया उत्तर प्रदेश में खर्च किया गया है वह ठीक तरह से खर्च किया गया है और उससे जो आमदनी हुई है उससे यहां की दौलत में इजाफा हुआ है। वह धन में बढ़ोत्तरी करने वाला है।

एक साहब ने यह अर्ज किया कि यहां पर सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा खर्च होता है। परन्तु यह भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हमारे यहां सब से कम है। यदि आप इजाजत दें तो मैं उसको भी पेश कर दूं। इसकी फिगर्स इस प्रकार हैं। यह आंध्र प्रदेश में १९५९–६० में ३.६४ था, आसाम में ५.१०, बिहार में २.७८, महाराष्ट्र में ४.७५, कैरल में ३.१०, मध्य प्रदेश में ३.७१, मद्रास में ३.९२, मैसूर में ३.०५, उड़ीसा में ३.०१, पंजाब में ४.४४, राजस्थान में ५.१४, उत्तर प्रदेश में २.७७ और वेस्ट बंगाल में ४.७६ था। इस तरह से आप देखें कि उत्तर प्रदेश में सब से कम है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रदेश में जो भी रुपया टैक्स का वसूल किया जाता है उसको प्रोडक्टिव खर्चों में ही इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, जो टैक्सेज के आंकड़े हैं परकैपिटा के, अगर हम यह देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा टैक्सेशन उड़ीसा को छोड़ कर सारे स्टेट्स से कम है। मैं उसके आंकड़े आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। पर कैपिटा टैक्स (इन रुपीज) इन्क्लूडिंग लैंड रेविन्यू हर स्टेट में में इस प्रकार है—आन्ध्र में १०.९२, आसाम में ११.०९, बिहार में ६.८४, महाराष्ट्र में १४.५३, केरल में ११.३०, मध्य प्रदेश में ८.१२, मद्रास में ११.३९, मैसूर में १०.६४, उड़ीसा में ५.२३, पंजाब में १२.२२, राजस्थान में ९.४०, उत्तर प्रदेश में ७.१०, नेस्ट बंगाल में १३.०३ है। पिछले १० वर्षों में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ही दो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर परकैपिटा टैक्सेशन नहीं बढ़ा है, वरना सारी स्टेट्स में वह बढ़ा है और वहां तरक्की हुई है।

इसके अलावा श्रीमन्, आप देखें कि तीसरी योजना को पूरा करने के लिये हर स्टेट् ने एडीशनल टैक्सेशन लगाये हैं। इसके भी आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कितने की उनकी प्लान है और उन्होंने एडीशनल टैक्स लगाना स्वीकार किया है। आन्ध्र प्रदेश में तीसरी योजना का आउट ले प्रोग्राम ३०५ करोड़ का है जिसमें से एडीशनल टैक्सेशन ५३ करोड़ का रखा है। इसी तरह से आसाम में १२० में से एडीशनल टैक्सेशन १६ करोड़, बिहार में ३३७ में से ५०, गुजरात में २३५ में से २९, जम्मू एण्ड काश्मीर में ७५ में से ८, केरल में १७० में से २३, मध्य प्रदेश ३०० में से ४८, मद्रास में २९०.९ में से ४५, माइसोर में २५० में से ४२, महाराष्ट्र में ३९० में से ५२, उड़ीसा में १६० में से २३ जाब में २३१.४ में से ४०, राजस्थान में २३६ में से ३२, उत्तर प्रदेश में ४९७ में से १०९ तथा वेस्ट बंगाल में २५० में से ४० करोड़ का एडीशनल टैक्स लगाना मंजूर किया है।

अब इसके अलावा हर स्टेट्स में कौन से नये टैक्स लगने जा रहे हैं उसकी चर्चा भी मैं करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपका एक ही मिनट बाकी है।

श्री शिवराजसिंह—आन्ध्र प्रदेश में एडीशनल असेसमेंट १०० प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। गुजरात में एक नया लेवी टैक्स कैश क्राप्स पर लगने जा रहा है जो एक रुपये से ९ रुपये प्रति एकड़ तक होगा। वहां पर नान-एग्रीकल्चरल असेंसमेंट पर निम्न प्रकार से सर चार्ज लगाया गया है—ट्रेड और कामर्स की भूमि पर ७५ प्रतिशत, इन्डस्ट्री के लिये भूमि पर ५० प्रतिशत तथा रेसीडेन्शियल तथा दूसरी प्रकार के लिये इस्तेमाल की गयी भूमि पर २५ प्रतिशत। मध्य प्रदेश के अन्दर भी लैंड रेविन्यू २० से ५० फीसदी तक बढ़ाया जा रहा है। मद्रास के अन्दर ४० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक वाटर रेट बढ़ाया जा रहा है वेट लैंड्स पर और ५०–१०० पतिशत तक ड्राइ लैंड्स पर। उड़ीसा में २५ नया पैसा पर रूपी के हिसाब से लैंड रेविन्यू बढ़

[श्री शिवराजसिंह]

रही है। महाराष्ट्र के अन्दर नया एक एजूकेशन टैक्स लग रहा है। इस तरह से आप देखें कि तीसरी योजना को पूरा करने के लिये हर स्टेट ने अपने-अपने रिसोर्सेज से रुपया इकट्ठा करने की कोशिश की है। आज उत्तर प्रदेश में भी, अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट से रुपया वसूल करना चाहता है तो उसको भी अपने विभिन्न साधनों से, एडीशनल टैक्स लगा कर उस रुपये को इकट्ठा करना होगा और उसके लिये अगर हम टैक्स लगाते हैं तो वह गैर मुनासिब बात नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है उससे अपने प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था बिलकुल सामने आ जाती है और उस पर विचार करना लाजिमी होता है। हम अपने प्रदेश में कैसी व्यवस्था चाहते हैं? हैवी इंडस्ट्री चाहते हैं, मिडियम साइज की चाहते हैं या काटेज इंडस्ट्री चाहते हैं? इन दस सालों में २ पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं, उसके बाद हम कहां हैं? आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने सारा दृश्य आ जायगा कि हम कहां पर क्या करना चाहते हैं। एक ओर हम देश में हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी ओर हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है जिसके कारण हमारी आमदनी पहले से भी कम होती जा रही है। जिस प्रकार से जब आदमी पैदा होता है तो मां के स्तनों में दूध आ जाता है उसी प्रकार से जैसे-जैसे धीरे बढ़ता है और मजबूत होता है वैसे ही उसके हाथों में काम चाहिए वह पेट अपने आप भर लेगा, लेकिन योजनायें आगे को बढ़ें हमें काम मिलता जाना चाहिये, परन्तु हो नहीं रहा, लेकिन हम देखते हैं कि इन हैवी इंडस्ट्रीज ने हमारी रूरल एकोनामी को तो बिलकुल ही खत्म कर दिया है। हम देखते हैं कि अंग्रेज अपने २०० वर्ष के शासन काल में जो रूरल एकोनामी को खत्म नहीं कर पाये थे, इन योजनाओं के द्वारा वह खत्म हो गयी हैं और वहां के लोगों की परकैपिटा इन्कम कम होती जा रही है। अंग्रेजों के जमाने में गांवों में तेल के कोल्हू थे, बढ़ई थे, लुहार थे, कुम्हार थे और सब लोग अपना अपना धन्धा चलाते थे। सारा सामान बनाने के बाद एक दिन पैंठ में चले जाते थे और उसको बेच आते थे और उनके खाने-पीने का काम चल जाता था। लेकिन इन पंचवर्षीय योजनाओं में आपने घानी की जगह बड़े-बड़े तेल के कारखाने खोल दिये। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जो काम अंग्रेज भी नहीं कर पाये थे वह आपने इन योजनाओं के नाम पर इन दस सालों में कर दिया। इन्हीं योजनाओं के नाम पर आप कहते हैं कि ५वीं योजना के बाद जो आमदनी हमारी आज २५९ रुपया है वह दुगनी हो जायगी। अब इसी हिसाब से देखा जाय तो एक योजना के बाद वह आमदनी ५१.८ प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी बढ़ जानी चाहिये थी। माननीय जगवीर सिंह जी और एग्रीकल्चर के डिप्टी मिनिस्टर साहब जरा बतायें कि क्या वह उतनी बढ़ी?

आपने जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की पुस्तिका हमें दी है उसके पृष्ट ४ पर आपने स्वयं ही लिखा है कि इन योजनाओं के द्वारा आपको क्या मिला—

"This comparative study of the income variations in the state and in the country since the beginning of the First Year Plan brings out three important facts, which must be underlined :

1. The total state income of U. P. went up by Rs. 336.0 crores, but its contribution to the national income declined from 18.4 per cent in 1950-51 to 15.7 per cent in 1960-61 :

2. Between 1950-51 and 1960-61 the state income increased at about the same rate as its population with the result that the per *capita* income in the state remained practically stationery during these ten years ;

3. While at the beginning of the First Plan the *per capita* state income was nearly 5 per cent higher than the *per capita* national income, by 1960-61 it had come down to a level nearly 7 per cent below the all-India level."

फिर माननीय जगवीर सिंह जी या सिंह साहब कैसे कह सकते हैं कि इन योजनाओं के द्वारा हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की उन्नति होती जा रही है, जब कि हमारी नेशनल इनकम बराबर घटती जा रही है और हमारी आमदनी वहीं की वहीं है और नेशनल इनकम से, जब कि पहले वह ५ प्रतिशत ज्यादा थी, अब ७ प्रतिशत कम हो गयी है। तो इस योजना से हम कह सकते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिये माननीय मंत्री जी को ग्रामीण एकोनामी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। काटेज इंडस्ट्रीज को देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि वे नष्ट होती जा रही हैं और उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर योजना पर सही दृष्टिपात किया गया तो मालूम पड़ेगा कि ग्राम उजड़ते चले जा रहे हैं, ग्रामीण गांवों को छोड़ कर शहरों की ओर भागे आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका एक ही कारण है कि उनका जो पेशा था, व्यवसाय था वह आपकी इन योजनाओं द्वारा समाप्त होता जा रहा है। आज कोरी, तेली, कुम्हार सभी ग्रामों को छोड़ कर शहरों में चले आ रहे हैं और वे शहरों में आकर काम करते हैं। एक तरह से आप इन योजनाओं द्वारा ग्रामीण इकोनामी को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इसके लिये माननीय मंत्री जी को एक कमेटी बैठाने के लिये सोचना पड़ेगा ताकि मालूम हो सके कि इस योजना का क्या असर रूरल एकोनामी पर पड़ रहा है।

माननीय मंत्री जी देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश में जहां पहले १९५१-५२ में पर-कैपिटा इनकम १९८ थी, १९५३-५४ में १९७ हो गयी, ५४-५५ में १९९ हो गयी, ५७-५८ में १८२.३, ५८-५९ में १९३.५, और ५९-६० में १९१.१ हो गयी। इस प्रकार से हमारी पर-कैपिटा इनकम घट गयी क्योंकि गांव का व्यवसाय नष्ट कर दिया गया। इस योजना के द्वारा क्या काम होना चाहिये इसके लिये माननीय मंत्री जी एक कमेटी बैठायें तो मालूम पड़ेगा कि जो हमारी रूरल इकोनामी थी उसे हम नष्ट-भ्रष्ट करते चले जा रहे हैं।

आज हमारे सामने एक प्रश्न उठ गया है कि इस योजना के लिये टैक्स देना चाहिये या नहीं। यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। आज हम देखते हैं कि इस प्रदेश की पर-कैपिटा आय घटती जा रही है। एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट है कि प्रदेश की करीब ८२ प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है उसका लगान घटना चाहिये क्योंकि उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वे अधिक लगान दे सकें। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पेज २७ में दिया हुआ है—

"Security of tenure and reduction of rents are the first stage in tenancy reform ;"

आज जब हम भूमि सुधार की बात कहते हैं तो आपका पहला कर्तव्य हो जाता है कि इन ग्रामीण किसानों का लगान घटना चाहिये क्योंकि आज गांव का आदमी अपनी चीजों की रक्षा करने में असमर्थ हो रहा है। पहले किसान साहूकारों से कर्जा लेता था और जब उसकी फसल तैयार होती थी तो वह साहूकार उसके दरवाजे पर आकर सारी फसल कर्जे में ले लेता था, अन्न का एक दाना भी उसके घर में नहीं जाता था। आज साहूकार तो नहीं हैं, लेकिन किसान कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये कर्ज ले रहे हैं और आप देखेंगे कि एक-एक गांव में साठ-साठ हजार रुपये कर्जे के रूप में लिये जा रहे हैं और वे इस प्रकार से कर्जे से दबे जा रहे हैं। यदि आप की सरकार द्वारा बैठायी हुई एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट यह है कि इन काश्तकारों का लगान कम होना चाहिये, तो फिर आप को देखना चाहिये कि वह बात पूरी हो। आज गांव का आदमी डर गया है कि उसके जीवन निर्वाह के धन्धे समाप्त हो रहे हैं जिससे वह अपनी गुजर नहीं कर सकता। आज उनके अन्दर अधिक टैक्स देने की क्षमता नहीं है। यदि योजना से पर-कैपिटा आय बढ़ी होती तब तो आप टैक्स लेने की बात कहते तो समझ में आने वाली बात थी, लेकिन जब आपकी इन योजनाओं से आय घटी है तभी मैं कहता हूं कि किसानों का लगान आधा होना चाहिये। यह बात कोई नाजायज नहीं है बल्कि जायज है जो मैं कह रहा हूं। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को इस पर सोचना समझना चाहिये कि उन्हीं की एग्रेरियन कमेटी का कहना है कि लगान आधा होना चाहिये, कैनाल ड्यूज कम करने चाहिये। तो फिर कौन सी चीज उनके सामने रह जाती है कि वे उस बात को नहीं मानते।

[श्री हिम्मतसिंह]

अल्पबचत योजना की बात कही गयी कि अगर उसमें पैसे आ जायं तो टैक्स की नौबत ही न आवे। श्रीमन्, आपने भी कहा था कि अल्पबचत योजना में अधिक से अधिक रुपया जमा कर अपनी योजना को पूरा करना चाहिये। बचत का सवाल तो तभी पैदा होता है कि जब जनता के पास खाने पीने से बचता हो, लेकिन अल्पबचत के नाम पर आप गरीब जनता से रुपया मांगते हैं तो वह कहां से दे। कोई बन्दूक का लाइसेंस मांगने जाता है तो उससे पैसा मांगा जाता है, कोई मुकदमें में फंसा होता है उससे मांगा जाता है, लेकिन जब जनता के पास बचाने के लिये तो क्या खर्च के लिये भी पैसा नहीं है तो वह आप को दे कहां से। जब उस के पास अपने लिये न्याय हासिल करने के लिये पैसा नहीं है तो वह कहां से आप के लिये देने की क्षमता पैदा करे। आपकी योजनाओं के द्वारा उसकी क्षमता और घटती जाती है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बड़ी दोहाई दी जा रही है कि उसकी क्षमता बढ़ा कर और अधिक पैदावार वहां होगी, लेकिन उससे क्या होगा, आप ने सीमेंट की बोरी पर डेढ़ रुपया बढ़ा दिया तो इसके माने यह हुये कि आप चुर्क सीमेंट फैक्टरी के घाटे को कीमत बढ़ा कर पूरा करना चाहते हैं। अगर इस तरह से चीजों की कीमतें योजनाओं के अन्तर्गत बढ़ेंगी तो वह कहां जायंगी। अब तक ३० प्रतिशत कीमतें योजना के प्रारम्भ से बढ़ चुकी हैं। इस तरह से जो लोगों की आय थी उस पर ३० प्रतिशत बोझ और बढ़ गया और उसके कारण से उनका खर्च नहीं चल रहा है। तो प्रश्न यह होता है कि वह आपके यह बढ़े हुये टैक्स कैसे दे। अगर महंगाई बढ़े और टैक्स भी बढ़े तो फिर क्या क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? अतः माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने जो संकल्प रखा है कि कोई नया टैक्स न लगाया जाय और न कोई टैक्स बढ़ाया जाय यह बिल्कुल उचित है। मैं माननीय जगदीश सिंह जी से कहूंगा कि इससे न अमीरों को ही लाभ होगा और न गरीबों को ही होगा। न गरीब को छोड़ा जा रहा है और न अमीर को ही छोड़ा जा रहा है। यह कहना गलत है कि जनसंघ योजना में विश्वास नहीं रखता। जैसा कि माननीय शारदाभक्त सिंह जी ने कहा कि हमारे या जनता के लिये योजना होनी चाहिये न कि जनता योजनाओं के लिये हो। इसलिये जनता को इस योजना के नाम पर आप परेशानी में न डालें। आपने रखा है कि सन् १९७६–७७ तक हम इन योजनाओं के द्वारा आय को दुगुना कर देंगे, लेकिन वह कैसे सम्भव होगा, यह सोचने की बात है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक कमेटी बिठावें कि जो सोचे कि किस तरह से योजना का खर्च कम किया जा सकता है और किस तरह से योजना को जनता के लिये सुलभ और हितकारी बनाया जा सकता है। योजना कमीशन ने ही अपने पैरा ४३ में लिखा है कि किफायतशारी का मतलब योजना की काटछांट से नहीं अपितु भवन आदि के निर्माण पर कम धन लगे, डिजाइन सादे हों और दुर्लभ सामान का उनमें उपयोग कम हो तथा उनमें से साज सज्जा बिलकुल कम हो। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लाकों के निर्माण में और बी० डी० ओ० आदि के मकानों में व्यय होता है और जिसको कहा जाता है कि यह सब गरीब जनता के उत्पादन के लिये हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस तरह से लाखों करोड़ों रुपया व्यय न किया जाय और जैसा कि माननीय ऊदल जी ने बताया कि जो रुपया कानपुर और आगरे की फर्म्स पर बकाया है वह वसूल किया जाय। करोड़ों रुपया इस तरह से बकाया की वसूली से और किफायतशारी से मिल सकता है। चीनी मिलों के मालिकों पर लाखों रुपया पड़ा हुआ है वह वसूल किया जाय। अगर ऐसा किया जाय तो मैं समझता हूं कि कर बढ़ाने की और नये कर लगाने की नौबत न आयेगी। बजाय बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज के आप छोटे उद्योगों पर अधिक ध्यान दें तो गरीब लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न हल हो सकता है। लेकिन इन बड़ी योजनाओं से प्रदेश की आय बजाय बढ़ने के और घटेगी।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संकल्प पर काफी विवाद हो चुका है, अतः अब इसको मत लेकर समाप्त किया जाय।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, अभी वादविवाद इस पर चलना चाहिये, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाया ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, आपका लाउड स्पीकर बन्द है, कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या प्रस्ताव रखा ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने प्रस्ताव रखा, पक्ष में कोई राय नहीं आयी, विपक्ष में लोग बोले ।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, सुनाई नहीं पड़ा ।

श्री अधिष्ठाता—तो मैं इस पर दोबारा राय लिये लेता हूं । प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, जो सदन में माननीय टम्बरेश्वरी प्रसाद द्वारा प्रस्ताव रखा गया है और यह ऐसे दिमाग की उपज है जो प्रगतिशील नहीं है उसका विरोध करता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य प्रगति में विश्वास रखते तो इस प्रकार का प्रस्ताव ला नहीं सकते थे । एक माननीय सदस्य ने भाषण करते हुये कहा था कि प्लानिंग में विश्वास करते हैं, लेकिन प्लान्ड इकोनामी (योजना बद्ध अर्थ व्यवस्था) में नहीं करते । मेरी समझ में नहीं आता उनकी प्लानिंग कैसी है, उसका कोई आधार है कि नहीं .....

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—प्वाइंट आफ आर्डर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दिमाग प्रगतिशील नहीं है, नाम लेकर कहा, यह असंसदीय है ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामप्यारे—तो मैं विरोध करने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब आप प्लानिंग में विश्वास करते हैं तो आपकी प्लानिंग का क्या आधार होगा । यदि आप प्लानिंग में विश्वास करते हैं तो उसकी पूर्ति के साधनों पर भी विश्वास करना पड़ेगा । साधनों के मौलिक सिद्धान्त में भेद हो सकता है, लेकिन साधनों को तो जुटाना ही होगा ।

श्री अधिष्ठाता—सदन में बहुत शोर हो रहा है ।

एक सदस्य—अभी माननीय सदस्य ने एक सदस्य का नाम लेकर कहा कि वह प्रगतिशील नहीं हैं, यह असंसदीय है ।

श्री अधिष्ठाता—यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री रामप्यारे—जो लोग इसके विरोध में है कि टैक्स लगना नहीं चाहिये उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने थर्ड फाइव ईयर प्लान की पुस्तिका पढ़ी होती । ५१–५२ में प्रदेश की आमदनी जो २५९ रुपये कुछ नये पैसे थी वह सन् ६१–६२ में २६८ रुपये कुछ नये पैसे हो गयी है । तो यह साबित करता है कि प्रगति इस प्रदेश में हुई है ।

श्री अधिष्ठाता—सदन में बहुत शोर हो रहा है । सुनाई नहीं दे रहा है । शान्त राहिये ।

श्री रामप्यारे—हमारे कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रदेश में उन्नति नहीं हुई है, योजनाओं से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर उन्होंने रिहन्द डेम को देखा होता, चुर्क फैक्ट्री तथा पूर्वी जिलों की सिचाई योजनाओं को देखा होता, शिक्षा में प्रगति को देखा होता तो उन्हें ज्ञात होता कि हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति करता चला जा रहा है ।

(इस समय ४ बजे अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट, पीठासीन हुए ।)

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सत्य को जो छिपाने की कोशिश की जा रही है वह सफल हो नहीं सकती । जो विकास हमारे प्रदेश में हो रहा है वह आपके सामने है ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में आप देखें कि इस प्रदेश की जनता—किसान—कितना त्याग करने जा रहा है । अभी मंत्री महोदय ने सभी आँकड़े प्रस्तुत किये और बतलाया कि काश्मीर में ३४ लाख आबादी है । वहाँ भी ७४ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है । उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश का इनवेस्टमेंट जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हम त्याग में पीछे हैं । एक तरफ हम कम त्याग करें और अधिक उपलब्धियों की आशा करें तो यह कैसे हो सकता है ? जितना खर्चा हम करेंगे उतनी ही आमदनी बढ़ेगी ।

एक माननीय सदस्य ने टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी का जिक्र किया था । उन्होंने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर उन्नति नहीं हो रही है । अन्य प्रदेशों का स्तर यहाँ से ऊंचा अवश्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग फिर भी कुछ त्याग करेंगे तभी तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल हो सकेगी । आप लोग जो टैक्सों का विरोध कर रहे हैं उसमें भी कुछ राज है । यह प्रस्ताव इसलिये आया है कि हमारे विरोधी सदस्य यह चाहते हैं कि पूंजीपतियों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये । इस प्रस्ताव की आड़ में वह अपना फायदा चाहते है । यह प्रस्ताव शायद उन्हीं लोगों की तरफ से आया है जो बड़े-बड़े लोगों के हिमायती हैं । मुझे आश्चर्य होता है कि वे सदस्य भी उनका समर्थन करने लगते हैं जो गरीबों से हमदर्दी रखते हैं । कारण यही है कि जिस तरह का चश्मा आप लगाते हैं वैसा ही दिखाई देने लगता है । लिहाजा हम जो काम करते हैं वह सब खराब ही नजर आते हैं क्योंकि आपका दिमाग वैसा बना हुआ है । चूंकि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मेरा यही खयाल है कि गरीबी से निकालने के लिये आपको टैक्स लगाना ही होगा । बिना टैक्स लगाये आप चाहें कि प्रदेश का विकास कर लें तो वैसा नहीं हो सकता । आज प्रदेश का किसान त्याग कर सकता है क्योंकि वह उन महान् विभूतियों की संतान है जिन्होंने देश के हित के लिये सर्वस्व न्योछावर कर दिया । आप चाहे जितना कहें लेकिन यहाँ की जनता योजना में विश्वास करती है । मैं गाँव का रहने वाला हूं और मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के भी अधिकतर गाँव के ही हैं । आप गाँव में जाइये तो बड़े बड़े भूत-पूर्व जमींदार लोग कहते हैं कि इस काँग्रेस के जमाने में तो हमारी कुछ पूछ नही है । आज जो इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हैं वे अपने भविष्य को अन्धकारमय देखते हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—वैसे तो मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो कुछ भी वक्ता महोदय कह रहे हैं शायद रिपोर्टरों को बड़ी तकलीफ हो रही होगी लिखने में । जो कुछ वक्ता महोदय ने कहा है अभी तक हम एक लाइन भी नहीं समझ पाये हैं । इसलिये आप अपनी व्यवस्था दें और उसे कार्यवाही से एक्सपंज करा दें तो अच्छा होगा ।

श्री अधिष्ठाता—यह अवश्य है कि माननीय सदस्य जरा धीरे-धीरे बोलें । कार्यवाही से एक्सपंज कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता । आप जरा माइक को दूर रखें ।

श्री रामप्यारे—यहाँ दो बातें, अधिष्ठाता महोदय, कही गयीं । एक तो यह कि योजना में बहुत-गलत ढंग से खर्च हो रहा है और दूसरे यह कि हमारा नेशनल कैरेक्टर बहुत नीचा है । जहाँ तक नेशनल कैरेक्टर की बात है, उसमें जितनी जिम्मेदारी इधर वालों की है उससे कम उधर वालों की नहीं है । आज यहाँ वे लोग नेशनल कैरेक्टर की बात करते हैं

परन्तु वे आये दिन जनता में ऐंटीनेशनल तत्वों को फैलाते हैं । इन्हीं आम चुनावों में ऐसी भावनाओं का प्रचार किया जा रहा था जो कि हमारे नैतिक स्तर को गिराने वाली थीं । एक नारा यह लगाया जा रहा था कि कांग्रेस ने क्या किया और छोटे बच्चों से कहलाते थे 'देश को बरबाद किया' । जिस कांग्रेस ने इस देश से इतनी बड़ी शक्ति को उखाड़ फेंका । उसने बरबाद अवश्य किया है ऐसे लोगों को जो ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं ।

दूसरी बात यह कही गयी कि जो योजना में खर्च हो रहा है वह गलत ढंग से हो रहा है । मैं बतला देना चाहता हूं कि यह डेमोक्रेटिक प्लानिंग है और उसमें हमें वही रास्ते अपनाने होंगे जो हमें प्राप्त हो सकते हैं । हो सकता है कि कुछ भूलें हो जायं, लेकिन आप यह कहें कि हमारा विकास करने का सिद्धान्त गलत है तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं । यह तो केवल विरोध करने की बात है । और जैसा कि कम्युनिस्ट भाइयों ने कहा कि हम भी प्लानिंग में विश्वास करते हैं, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब एक बार आप प्लानिंग में विश्वास करते हैं तो जब साधनों को जुटाने की बात आती है तब क्यों आप विरोध करते हैं ? आप चाहते हैं कि ऐसी बातें कह कर आप जनता की सहानुभूति प्राप्त कर लें, चीप पापुलेरिटी गेन कर लेते हैं क्योंकि आज जनता का स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, लेकिन मैं या यह सरकार ऐसी बातों से डरती नहीं है । हम योजना का लक्ष्य प्लान खत्म होने के एक वर्ष पहले पूरा कर लेते हैं । जनता को हम बतला देते हैं कि पिछली पंच वर्षीय योजना में हमने कौन से काम किये हैं और अगली योजना में कौन से काम करने हैं तब इलेक्शन की बात आती है । हम लोग जनता के सामने सही बात कह देते हैं । इसके बाद जनता ठीक समझ कर ही हमें यहां भेजती है और देश की बागडोर हमारे हाथ में देती है ।

कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस को केवल ३४ प्रतिशत ही वोट्स मिले । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इंगलैंड और अमेरिका की पार्लियामेंट को देखिये । वहां पर केवल दो ही पार्टियां हैं । परन्तु आप लोगों ने यहां पर इतनी पार्टियों को क्यों बना रखा है ? इसलिये कि आप अलग-अलग स्वार्थों को लेकर अलग अलग पार्टी बनाकर चलते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं । जैसे देखिये स्वतंत्र पार्टी है, जनसंघ पार्टी है और न जाने कौन कौन सी पार्टियां हैं । इनमें किन किन विचार के लोग रहते हैं । यह देखने की बात है । कोई राजे महाराजे का प्रतिनिधित्व करती है, कोई कम्यूनल बात को लेकर चलती है और कोई किसी बात को लेकर चलती है । हमारे सामने बहुत से तत्व आते हैं । लेकिन मैं आपको बता देना चाहत हूं कि आज हमारे देश की जनता का स्तर ऊंचा उठ रहा है । जनता आज आपकी इन धोखेबाजियों में आने वाली नहीं है । हिन्दुस्तान की जनता का एक सांस्कृतिक इतिहास है । यहां की जनता का एक त्याग का इतिहास है । आज हमारी जनता अपने हित की बात अच्छी तरह से समझती है । हम तो काम करना चाहते हैं । हम इस बात से नहीं डरते हैं कि अगर हम टैक्स लगायेंगे तो जनता हमसे नाराज हो जायगी । हमें तो अपने प्रदेश की प्रगति करना है । कुछ लोग कहते हैं कि एरियर्स पड़ा हुआ है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर की भी हम बात करते हैं । अपनी अर्थ व्यवस्था में हमने उसको भी महत्व दिया है ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया । अब श्री श्यामलाल जी बोलेंगे । माननीय सदस्य को बहुत दिनों से शिकायत है कि उनको समय नहीं दिया जाता । मुझे आशा है कि आप लोग उनका भाषण ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे ।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---श्रद्धेय अधिष्ठाता महोदय, आवश्यकता आविष्कार की जननी है । आज प्लानिंग की आवश्यकता है । मैं भी इस बात को मानता हूं और चूंकि जैसा उधर के कुछ भाइयों ने कहा कि हमें देश से गरीबी को मिटाना है, बेकारी को मिटाना है, इसके लिये साधनों की आवश्यकता है, मैं भी इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं । लेकिन इसकी तुलना में मैं एक दृष्टान्त इस आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं । प्राचीन काल में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामलाल]

एक जमाना था जब लोग जंगलों में रहते थे, कपड़ों की जगह पर पेड़ की छाल और पत्ते पहनते थे, सभ्यता का विकास नहीं था, खाने के विशेष साधन नहीं थे और रहने के लिये न बढ़िया कमरे होते थे और न बंगले ही होते थे । लेकिन उस समय लोगों ने यह सोचा कि बरसात से बचने के लिये, गरमी से बचने के लिये तथा जाड़े से बचने के लिये झोंपड़ी की आवश्यकता है। इसलिये झोंपड़ी बनाई जाय और झोंपड़ी बन गई । लेकिन श्रीमन्, हमें देखना है कि झोंपड़ी बनाने वाले कैसे हैं, किस मिट्टी की खपरैल है, कैसा गारा है या कैसी सेमेंट है । एक बरसात के हो जाने से वह गिर जाने वाली तो नही है । श्रीमन्, दो किस्म के झोंपड़े या बंगले बनाये जा सकते हैं । एक तो ऐसे कि बसन्त आयेगा और बंगला ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा और दूसरा ऐसा होता है कि एक ही बरसात में तहस नहस हो जाता है । प्लान आप बनाइये, ठीक है । लेकिन हमें यह भी देखना है कि प्लानर्स कैसे हैं ? हमारी सरकार कहती है कि हमें प्लानिंग करना है । लेकिन श्रीमन्, अंग्रेजी में एक शब्द है । वह मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है—उसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी कोई अपराध करवाना चाहता है तीसरे आदमी से, तो वह देखता है कि वह अपराध कर रहा है लेकिन देखते हुये भी वह मुंह मोड़ लेता है और अपराधी अपराध करके चला जाता है। वही हालत आज हमारे देश में है। रुपया काफी है, रुपये की कमी नहीं है, लेकिन सदुपयोग नही होता है । हर विभाग में सरकार देखती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, रुपया लूटा जा रहा है, लेकिन सरकार ध्यानपूर्वक देखती नहीं । देखकर आंखें मोड़ लेती है—भाई भतीजे खूब खायें । ऊपर से कहते हैं कि हमें रुपये की जरूरत है।

श्रीमन्, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब से यह प्लानिंग गवर्नमेंट की आयी है, इस्पेशली गुप्ता जी की, उसके पहले का वातावरण उत्तर प्रदेश और भारत का देखें । हमारे यहां चांदी के सिक्के चलते थे । लेकिन आपकी सरकार जैसे ही आयी चांदी भी खत्म, सोना भी खत्म । इन्फलेशन ही नहीं करोड़ों रुपये अमेरिका से कर्ज लेकर देश की स्वतंत्रता को मार्टगेज कर दिया । मार्टगेज के मानी गिरवी। और कानून के पंडित अच्छी तरह जानते हैं कि मार्टगेज अन्ततोगत्वा सेल में परिणत हो जाता है । यह रुपया चुकाना भी है । अब प्लानिंग के नाम पर आप जनता का शोषण करना चाहते हैं और कर रहे हैं । मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा कि आप डकैती का काम करते हैं, क्योंकि शायद वह अनपार्लियामेंटरी लैंगुएज हो जाय, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आप शोषक हैं । आप जनता का शोषण कर रहे हैं । श्रीमन्, गवर्नमेंट मस्ट स्टैंड आन ट्रायल। जिस तरह से एक अदालत में एक कनविक्ट का ट्रायल होता है और कनविक्शन होता है उसी तरह से आपका भी ट्रायल होना चाहिये आज प्रदेश की जनता भूखों मर रही है । उसके तन पर कपड़ा नही है । आप जाकर इन-क्वायरी तो करें । सिद्धांत की बात कर देना कुछ और है, प्रैक्टिस की बात जो वास्तव में घट रही है वह बात बिलकुल दूसरी है । लोगों का नक्शा बिलकुल दूसरा है । एक बार पंडित जवाहरलाल जी ने एक बात कही थी । कोटेशन के रूप में लाया हूं। मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"There is close relationship...."

श्री अधिष्ठाता—यह कहाँ से पढ़ा है आपने ?

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, किसी किताब से लिया था । याद नहीं है । लेकिन यह बात सत्य है कि नेहरू जी का कोटेशन है ।

श्री अधिष्ठाता—जब तक आप आथोरिटी नहीं बता देंगे, पढ़ने की इजाजत नहीं है ।

श्री श्यामलाल—एक चीज और याद आ गयी । रंग जो बदला देश का काले भी गोरे हो गये । १९४७ के पहले देश के वातावरण में और आज के वातावरण में कोई फर्क है । जो आप कहते हैं कि हमने जमींदारी खत्म कर दी, हरी-बेगारी खत्म करवा दी, लेकिन गवर्नमेंट खुद एक बहुत बड़ी जमींदार बनती चली जा रही है । व्यापारियों को खत्म करके

सरकार खुद बहुत बड़ा व्यापारी का रूप धारण कर रही है । इसका जीता-जागता प्रमाण हम दे रहे हैं । आपने इन्श्योरेंस को नेशनलाइज किया । बहुत सा रुपया मिला । कहाँ गया ? यहाँ लगाया पता नहीं ? मेरा मतलब है कि मैं लिबरटी के पक्ष में हूं । We must get full liberty of speech expresstion and commerce as provided in the constitution.

श्री अधिष्ठाता —इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिए ।

श्री श्यामलाल—मान्यवर, मैं तो स्वातन्त्र्य के पक्ष में हूं । हमें बोलने का स्वातन्त्र्य लिखने का स्वातन्त्र्य हो, व्यापार करने का स्वातंत्र्य हो और सोशल जस्टिस का स्वातंत्र्य हो । यह कॉस्टीट्यूशन में लिखा है । तो मैं यह कह रहा था कि आपने इन्श्योरेंस कम्पनियों को नेशनालाइज कर लिया, ट्रांसपोर्ट जितना था, जितनी प्राइवेट बसें चलती थी, उनको नेशनालाइज कर लिया । बहुत रुपया आता है । प्रथम पंच वर्षीय योजना, द्वितीय पंच वर्षीय योजना और तृतीय पंच वर्षीय योजना के नाम पर बहुत रुपया आया । वह रुपया कहां चला गया ? गरीबी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, तो कैसे हम समझें ? श्रीमन्, एक बात और बताना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—अब आप कोई नयी बात कहें । पुनरावृत्ति न करें ।

श्री श्यामलाल—अच्छा नयी बात कह रहा हूं । सरकार कभी-कभी तो यह कहती है कि हमारा प्रदेश तो बड़ा फलता फूलता जा रहा है और धनीमानी होता जा है और हमने यह प्लान बनाया, वह प्लान बनाया, इससे हमारे किसान मजदूर बड़े धनीमानी हो जायेंगे । इसी सिलसिले में मैं एक और उदाहरण रखना चाहता हूं । हम सब लोग स्कूलों में जब छोटे छोटे बच्चे थे तो पढ़े होंगे एक लोमड़ी और एक सारस का किस्सा, लोमड़ी ने कहा मित्र सारस खूब खाओ, खूब खाओ, बड़ी अच्छी सुगन्ध आ रही है । लेकिन वह परसा था थाल में । सारस उसे कैसे खा पाता ? फिर सारस ने भी एक दिन उसका बदला लिया । उसने लोमड़ी को न्यौता दिया । उससे कहा, लोमड़ी बहन, खूब खाओ, खूब खाओ । लेकिन लोमड़ी कैसे खाती ? वह तो जार में परसा था । तो सरकार कहती है कि यह प्लान बनाया, वह प्लान बनाया, इससे किसान बड़ा धनीमनी हो जायगा, फलाना होगा ढेकाना होगा, तो इसकी सुन्दर सुगन्ध तो आती है, लेकिन वही हाल है खा कोई नहीं पाता है । तो यह बिलकुल हवाई बात है, This is all fartastic talk.

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् ४२ में अंग्रेजों का साम्राज्य था हिन्दुस्तान में। उन्हें पैसे की जरूरत थी क्योंकि लड़ाई चल रही थी। उन्होंने रुपये इकट्ठा करने के लिये एक और योजना निकाली थी। वह योजना थी डिफेंस परपजेज प्राविडेंट फंड। इसमें सरकारी कर्मचारियों का अपने आप कुछ पैसा कट जाता था और सरकार के पास काफी पैसा आ गया था। सरकार ने उनसे यह वादा भी किया था कि यह पैसा हम आपको लड़ाई समाप्त होने के बाद वापस कर देंगे और ब्रिटिश सरकार ने यह किया भी। लेकिन हमारी सरकार यह नहीं कहती है। वह कोई वादा नहीं करती। वह तो सिर्फ यह कहती है कि तुम्हारी झोपड़ी महल हो जायगी, हम तुम्हें रुपये पैसे से लाद देंगे। आपकी पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, दूसरी समाप्त हुई, आपने किसे लाद दिया और किस-किस की झोपड़ी महल में परिवर्तित हुई ? जितनी झोपड़ियां भी थीं, वह भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं। पैलेस और महल का स्वप्न कहीं भी सत्य होता दिखाई नहीं पड़ता। उलटे वह भी अपने झोपड़ी और वह स्थान छोड़कर भाग रहे हैं। उनको कहीं शरण नहीं है। Alarge number of people in Uttar Pradesh are homeless, are penniless. आप हंसे नहीं मेरी बात कड़वी सत्य हो सकती है, लेकिन यह सत्य है।

एक बात और कहना चाहता हूं, गुप्ता जी तो नहीं हैं, लेकिन एक आदमी १०० रुपये पाता है और अगर वह व्यवस्थित रूप से रहता है तो उसका जीवन-स्तर बहुत ऊंचा हो सकता है और दूसरा आदमी जो एक हजार रुपया पाता हो, लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से अपना खानपान

[श्री श्यामलाल]

न सम्हाल सके, तो उसे तब भी कमी पड़ जायगी। आपकी जो योजनायें चल रही हैं अगर आप चाहें तो बिना टैक्स लगाये हुये अपने पास जो इतना पैसा है उनमें ईमानदारी के साथ अपने खर्चे को प्लान करके चला सकते हैं। बशर्ते फिजूलखर्ची न हो, प्लान्ड रूप में खर्चा हो। लेकिन वह आप करना नहीं चाहते। इसका कारण स्पष्ट है कि सरकार की एक नीति है और वह यह है कि जो इस देश की स्थिति सन् ४७ में थी वह ५२ में नहीं रही, ५२ वाली ५७ में नहीं रही, ५७ की परिस्थिति ६२ में नहीं रही और अब सन् ६७ में आपकी कुर्सी हिल जायगी। इस लिये सरकार ने सोचा है कि ऐसा हथकंडा निकालना चाहिये जिससे प्रदेश की जनता मुट्ठी में हो जाय और वोट अपने आप मिल जायं। सरकार की एकमात्र नीति यह रही है कि जनता को गरीब बनाओ क्योंकि जब आदमी का पेट नहीं भरेगा तो वह सोचेगा क्या। वह क्या सोच सकता है कि सिटीजनशिप क्या है, डिमोक्रेसी क्या है, लिबर्टी क्या है, और अमेरिका या इंग्लैंड में क्या हो रहा है? जब पेट भरेगा तभी तो सोच पायेगा इन चीजों को, इसलिये पेट भरने ही न दो और हमारे गुप्ता जी की मिनिस्ट्री यह करना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—एक वैधानिक प्रश्न है। आपने अभी श्यामलाल जी के बोलते समय रूलिंग दी कि जब तक आप कोई अथारिटी न दें तब तक कोई बात न कहें। लेकिन माननीय सदस्यों की निजी जानकारी तो बहुत बड़ी अथारिटी है।

श्री अधिष्ठाता—मैंने जानना चाहा कि वह किस किताब से कोट कर रहे हैं। वह बता नहीं सके।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—वह कहते रहे कि मेरी निजी जानकारी है।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन उसका सबूत क्या है?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उनका कहना कि उनको निजी जानकारी है, काफी है।

श्री अधिष्ठाता—मैं रूल कर चुका हूं। इस पर अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी यही राय थी।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज का विषय तो बहुत गम्भीर है, लेकिन वातावरण वैसा गम्भीर नहीं है। मैं यह समझता हूं कि प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा को कायम रखने की सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे भारत देश ने और संविधान ने जनतन्त्र द्वारा शासन करने का अपना उसूल बना रखा है। लेकिन जिस सिद्धान्त पर आज हम चल रहे हैं उससे हमको एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है, वह मैं सब के सामने प्रकट कर देना चाहता हूं। आज देश में वह विचार पैदा हो रहे हैं जो अपने इस गणतन्त्र की प्रणाली को खत्म करने के लिये तैयार हैं और एक अराजकता फैलती नजर आ रही है। इसके साथ-साथ आपके जो पड़ोसी देश पाकिस्तान में है वह डिक्टेटरशिप आ सकता है और जनतन्त्र की हालत खत्म हो सकती है। हमको इस प्रजातन्त्र को कायम रखने के लिये बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त देश एक बड़ी खतरनाक राह से गुजर रहा है। चीन हमेशा आपके बीच में धमकी दे रहा है और जिससे किसी समय भी आपकी मिली हुई आजादी खत्म हो सकती है। इस देश की आजादी को लाने के लिये देश के लोगों ने, चाहे वे किसी भी दल के व्यक्ति हों उन्होंने अपना खून बहाया है, और बड़ी कुर्बानी के बाद आजादी प्राप्त हुई है। उस आजादी के प्राप्त हो जाने के बाद जो आज हमको सबसे बड़ा कदम उठाना है वह देश की गरीबी को दूर करने के लिये, देश की मुफलिसी को मिटाने के लिये, आर्थिक क्रांति को लाने के लिये कदम उठाना है। उस कदम के द्वारा हमको, बहुत बड़ा काम देश में करना है। उस तरफ देश ने कुछ प्रगति की

है, लेकिन देश की यह बहुत बड़ी मांग है कि देश के अन्दर अधिक प्रगति हो जिस पर हमको और आपको गम्भीरता पूर्वक विचार करना जरूरी है। आखिर हम अपने प्रदेश में प्रजातन्त्र के रास्ते पर चलकर किस प्रकार से आर्थिक प्रगति ला सकते हैं, किस तरीके से अपने यहां उन्नति कर सकते हैं। उसके लिये हमारे और आपके क्या साधन हो सकते हैं? आप समझ सकते हैं कि किसी देश की तरक्की बगैर योजनाओं के चलाये हुये, बगैर कार्यक्रम बनाये हुये नहीं हो सकती है और न कोई आर्थिक सफलता मिल सकती है। आखिर हम यह मानते हैं, जितनी पार्टी और जितने पार्टी के सदस्य हैं वे सब मानते हैं कि योजनाओं के द्वारा हम तरक्की कर सकते हैं। जब योजनाओं के द्वारा तरक्की कर सकते हैं तो वे योजनायें खाली एक प्रदेश के लिये नहीं बनती है, बल्कि सारे देश के बड़े-बड़े विशेषज्ञ इन योजनाओं को बनाते हैं और हमारी इन योजनाओं को भी उन्होंने ही बनाया है। ये योजनायें सारे प्रदेशों के लिये बनी हैं। हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों के लिये ये योजनायें बनी हैं। अगर हमारे प्रदेश के अन्दर इन योजनाओं की प्रगति की तरफ ध्यान दिया जाय तो जैसा अभी कृषि उपमन्त्री जी ने बतलाया कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपने प्रदेश में काफी तरक्की हुई है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि तरक्की हुई है। जब हमको अपनी योजनाओं को कामयाब बनाना है तो उसके लिये केन्द्र ने हमारे सामने सबसे पहले जो शर्त रखी है वह यह कि इस ४९७ करोड़ रुपये की योजना में ३५० करोड़ रुपया तो केन्द्रीय सरकार देगी और वह उसी शर्त में देगी जब यह प्रदेशीय सरकार १४७ करोड़ रुपये अपने प्रदेश के साधनों से एकत्रित करे और अपना हिस्सा इतना उसमें सम्मिलित करे।

इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार के प्रतिनिधि और मन्त्री लोग इस बात को कभी नहीं चाहते और हम लोग भी कभी नहीं चाहते हैं कि जनता पर या किसानों पर कोई टैक्स लगे। टैक्स लगना कोई अच्छी बात नहीं है और खासकर उस तबके पर जो अपने लगान को अदा करने की क्षमता नहीं रखता। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि योजना कमीशन के सामने हमारे मन्त्री लोग गये थे और उन्होंने इस बात को उनके सामने रखा कि अगर हमारे यहां की जनता को इस टैक्स से बरी रखा जा सके तो अच्छा है और उस पर टैक्स न लगे। उनको यह भी कहा गया कि अगर केन्द्र अपना पूरा अनुदान देने के लिये तैयार हो तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी लेकिन केन्द्र ने और प्लानिंग कमीशन ने साफ-साफ शब्दों में इस बात को कह दिया कि जितना कोटा हमारी प्रदेशीय सरकार कम कर देगी उसी हिसाब से प्लानिंग कमीशन अपने यहां से इसकी सहायता का कोटा कम कर देगा। जब हमारा दुगना हिस्सा अनुदान का कम हो जाता है तो हमारे लिये वह आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश के लिये साधन इकट्ठा करें। यदि हम अपने प्रदेश की तरक्की चाहते हैं और इस प्रदेश के किसानों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं तो अपने यहां से साधन इकट्ठा करना होंगे। आपको और हमको यह मालूम है कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे गांवों की, हमारे कस्बों की और हमारे शहरों की क्या हालत थी, वहां पर अस्पताल और दवाओं की क्या हालत थी, यातायात की क्या हालत थी, शिक्षा की क्या हालत थी यह कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश को आजाद हुये १५ वर्ष हो गये। आज तक देश में कितनी तरक्की हुई यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यह बात जरूर है कि चुनाव के वक्त पार्टियों ने प्रचार की दृष्टि से किसी पार्टी का विरोध करने में या कांग्रेस पार्टी का विरोध करने में किसी पार्टी ने इस बात को अपना चुनाव स्टन्ट बनाया हो, लेकिन आज स्टन्ट का सवाल नहीं है। आज देश को तरक्की पर ले जाना है और जनता के अन्दर वह भावना पैदा करने की जरूरत है कि जिस भावना से देश का उत्थान और देश की तरक्की हो। मुझे बड़ा खतरा मालूम होता है अगर यह भावना गरीब जनता या किसान या पढ़े-लिखे लोगों के अन्दर इस प्रकार से पैदा की गई कि सरकार को टैक्स नहीं दो, सरकार निकम्मी है, यह सरकार फेल होनी चाहिये, उसको पैसा मत दो। मैं नहीं समझता कि जो सरकार यहां पर आवेगी, वह क्या दूसरी प्रणाली की होगी। जो भी सरकार आयेगी वह सरकार के वैधानिक ढंग की सरकार होगी, प्रजातन्त्र के ढंग की सरकार होगी और हमारे संविधान के अनुकूल

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

सरकार होगी जिसके जरिये से यह सरकार चलेगी चाहे वह सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, या सोशलिस्ट पार्टी की हो। सबको उसी भारतीय संविधान के अन्दर काम करना है। उन्हीं परम्पराओं तथा उन मर्यादाओं को आपको और हमको कायम करना है तभी हमारी और आपकी योजनायें सफल हो सकती हैं वरना नहीं हो सकती हैं। मैं यह समझता हूं कि जब हमको अपनी योजनाओं को सफल बनाना है तो यह भी देखना चाहिये कि पहली और दूसरी योजनाओं में कितनी कामयाबी मिली है। यह सही है कि जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिये उन योजनाओं के अन्दर उतनी सफलता नहीं मिली है। मैं यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं और उस तरफ बैठने वालों से पूरी तरह सहमत हूं कि जितना फायदा हमारी योजना से होना चाहिये, किसान मजदूर को, गरीब को, साधारण जनता को उतना फायदा उसे नहीं मिल रहा है। क्या इसकी जिम्मेदारी किसी दलीय सरकार पर या व्यक्ति-विशेष पर है? मैं समझता हूं, हर्गिज नहीं।

सरकार को चलाने के लिये जो मशीनरी मिली हुई है वह नौकरशाही कांग्रेस की नहीं है, बल्कि अंग्रेज सरकार की देन है और उसी से कांग्रेस दल को सरकार चलानी पड़ रही है। जो सेवा की लगन, जो प्रेरणा सरकार के सदस्यों के बीच में, अथवा इधर और उधर बैठने वाले सदस्यों के बीच में है, वह भावना प्रेरणा, और वह उत्साह नौकरशाही में नहीं है। जब तक इस नौकरशाही में आमूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारी योजना सफल नहीं हो सकती है, चाहे कोई भी सरकार योजना बनाये। मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इस पर गम्भीरता से चिंतन और मनन करें और इस बात पर बैठ कर सोचें, आवश्यकता हो तो एक आयोग की स्थापना करें कि नियोजन को कामयाब करने के लिये हम नौकरशाही में किस प्रकार का परिवर्तन लायें। जैसा मुझे मालूम है, संविधान में बहुत से प्राविजन्स ऐसे हैं कि जिनके अनुसार किसी आई० सी० एस० अफसर को निकाला नहीं जा सकता, किसी पी० सी० एस० के साथ सख्ती नहीं की जा सकती, और ऐसी ही बहुत-सी कठिनाइयां हैं जिनके कारण उन पर कोई नियन्त्रण नहीं किया जा सकता है और इसलिये यह विषय कानूनी और गम्भीर है। इसके लिये हमें आपको और दूसरे नेताओं को, केन्द्र के और प्रान्त के नेताओं को बैठ कर सोचना चाहिये और अगर आवश्यकता हो तो आल इंडिया बेसिस पर एक आयोग की स्थापना अवश्य करना चाहिये और सोचना चाहिये कि किस प्रकार उसमें परिवर्तन लायें। सारे कामों का करना तो सरकार की ही जिम्मेदारी है और वह इस नौकरशाही के ही द्वारा उनको पूरा करायेगी। इसलिये जब तक इसकी बुनियादी भावना तब्दील न हो जाय तब तक हमारी योजना कामयाब नहीं हो सकतीं। जिसकी हम और आप आशा करते हैं।

योजना को सफल बनाने के लिये तीन बातों की आवश्यकता है। उसके लिये पहले तो जनता में सद्भावना और विश्वास तथा उत्साह पैदा होना चाहिये। दूसरे, जो नौकरशाही की मशीनरी है उसमें सेवा की भावना पैदा होना चाहिये और इसके अतिरिक्त जो सरकार हमारे बीच में नियन्त्रण रखती है उसमें और नौकरशाही में और हममें (जनता में) सामंजस्य लाने की आवश्यकता है। हम और आप सरकार के अंग हैं। मैं समझता हूं कि सरकार किसी दल विशेष की नहीं है, यह सारे देश की सरकार है और सारे देश के प्रतिनिधियों को जिनको जनता ने चुन कर भेजा है, उन्होंने यहां और केन्द्र में जाकर सरकार बनायी है। वे जनता को इस बात का साक्षी देकर आये हैं कि हम तुम्हारी भलाई के लिये यहां जा रहे हैं। अगर हम यहां बैठ कर अपनी जनता की भलाई नहीं कर सकते तो हम उस जनता के प्रति कृतघ्न होंगे, उस जनता के प्रति जिसने चुन कर हम सब को यहां भेजा है। इसलिये मैं अपनी तरफ से लोगों से और दूसरी पार्टी के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। अगर वे समझते हैं कि देश और प्रदेश का उत्थान इस योजना से हो सकता है तो उन्हें इस बात पर मनन तथा प्रयत्न करना पड़ेगा।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि बहुत से मिल ओनर्स पर रुपया बकाया जो पड़ा है वह वसूल होना चाहिये, लेकिन जब बड़े पैमाने पर काम होता है तो उसमें कुछ हिसाब-किताब

(उधारखाता) भी चलता है, कुछ बकाया भी रहता है। इसमें शक नहीं कि बकाया रोक रखने के बहुत से तरीके हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जो कानूनी अपीलें कर देते हैं, हाईकोर्ट में रिट फाइल कर देते हैं और सरकार उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकती, इसलिये कि संविधान में उन बातों के लिये व्यवस्था है। मामूली से दीवानी के मामले भी चार पांच साल तक कोर्ट में आसानी से घसीटे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वह रुपया एक मुश्त वसूल किया जाय तो उसके लिये आपको संविधान में तबदीली करने की जरूरत है। केवल कह देने से यह सम्भव नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि अगर ठंडे दिल से और विचारपूर्वक हम प्रयत्न करें, कोशिश करें, तो हमारी योजना सफल हो सकती है। हमारे देश में इतना काम हुआ है उसे देखते हुये हम कह सकते हैं कि यदि आप देखें कि गांवों में भी काफी स्कूल खोले गये हैं, अस्पताल खोले गये हैं और सड़कें भी बनाई जा रही हैं। हमारे देश ने तरक्की की है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। हम और आप इतनी आजादी से बात जो कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि यह भी एक तरक्की की निशानी है।

अभी कुछ लोगों ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में इससे अच्छी हुकूमत थी। परन्तु यह तो बड़े ही शर्म की बात है कि यह कहा जाय। चाहे कितनी ही अंग्रेजों की हुकूमत अच्छी हो, वह हमारी स्वतन्त्र सत्ता से कभी अच्छी नहीं हो सकती। हमारे देश की स्वतन्त्रता उसके मुकाबले में सदैव अच्छी होगी। गुलामी का विचार, बड़ा ही निकृष्ट विचार है।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैंने कभी यह नहीं कहा कि अंग्रेजों की गुलामी अच्छी है अपनी स्वतन्त्रता से। यह व्यर्थ का आरोप है।

श्री अधिष्ठाता—आप बीच में न बोलें। यह आपके ऊपर आरोप नहीं किया जा रहा है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं कर रहा हूं। परन्तु जिनके अन्दर यह विचार पैदा है, उनके विचारों की मैं निन्दा कर रहा हूं। जिसके ऐसे विचार हैं, वह चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, निन्दनीय है। सबसे अच्छी हुकूमत हमारे देश की है और हम उसी के द्वारा तरक्की कर सकते हैं। आज इस देश में कांग्रेस की हुकूमत है और इसके मुकाबले कोई और दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो देश का उत्थान कर सके। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के तथा हमारी पार्टी के कर्णधार हैं। उनके जैसा नेता किसी भी पार्टी में नहीं हैं। इसलिये इस प्रकार का नेतृत्व और किसी भी पार्टी में नहीं हो सकता है। हम इन्हीं के द्वारा अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी विरोधी पार्टियों में खुद एकता कायम नहीं है तो वह कैसे सरकार बना सकती हैं। आज कोई भी पार्टी कांग्रेस की तुलना नहीं कर सकती है। अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो आप जनता को मुगालते में डालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश की तरक्की नहीं होने देना चाहते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं। उनका कथन है कि टैक्सों के जो बिल आ रहे हैं, वह नहीं आने चाहिये। अन्त में मैं माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के संकल्प का विरोध करता हूं और इस सरकार के द्वारा जो बिल प्रस्तुत होंगे, उनका मैं समर्थन करूंगा।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी द्वार प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही विश्वास रखता हूं कि आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य इस संकल्प का समर्थन करेंगे। आज जो विवाद चल रहा है इसके सिलसिले में सरकारी पक्ष के जितने माननीय सदस्य खड़े हुए हैं वे कोई भी विरोधी पक्ष के तर्कों का उत्तर नहीं दे सके और न देने की कोशिश ही की। वे केवल एक ही बात कहते रहे कि विरोध पक्ष के लोग टैक्स का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि टैक्स न लगें, उनका योजना में विश्वास नहीं है। मान्यवर, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस

[श्री मैनेजर सिंह]

पक्ष के भाइयों ने दलील दी वह थोथी है और उनका ऐसी मिथ्या बातें करना उचित नहीं है। यदि आप देश और प्रदेश का विकास चाहते हैं और प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम सच्ची बात कहने का साहस करना चाहिये। हमारे विरोधी पक्ष के लगभग सभी साथी लगभग इसी राय के हैं कि इस प्रदेश के विकास के लिये टैक्स लगाया जाय, यदि प्रदेश की उन्नति के लिये नियोजित ढंग से विकास का कार्यक्रम चले और योजनाओं में फजूलखर्ची न हो, लेकिन मतभेद तो वहां आता है जब हमारे सरकारी पक्ष के भाई ऐसे-ऐसे टैक्स लगाते हैं, और ऐसी कर नीति अपनाते हैं जिसके कारण टैक्सेज का बोझ आम जनता के ऊपर, जनसाधारण के ऊपर पड़ता है। वहां हम विरोध करते हैं और हम विरोधी पक्ष के सभी लोग एक मत से सरकार की उस कर नीति का विरोध करते हैं और करेंगे। जो भी विधेयक यहां प्रस्तुत किये गये और टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव आये उनमें आपने देखा कि करों का बोझ देहात की गरीब जनता पर, साधारण जनता पर, और मध्यम वर्ग की जनता के ऊपर ही पड़ा। आज इस देश का दुर्भाग्य है और कांग्रेस संस्था का अभाग्य है कि जिसका नाम लेकर रामप्यारे जी और हरीसिंह जी उछलते हैं। उस संस्था में हमने भी काम किया है, विरोधी दल की तरफ के लोगों ने काम किया है, और देश के लिये कुर्बानियां की हैं। कांग्रेस संस्था में आज ऐसे लोगों की बहुतायत है जो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में नहीं थे। ऐसे लोग आज कांग्रेस में नेता बने हुये हैं जिन्होंने आजादी दिनों में कांग्रेस के आन्दोलनों में क्षमा मांगी है, आज वही सर उठाकर बात करते हैं। ऐसे लोग मन्त्रिपरिषद् में मौजूद है जिन्होंने सन् ४२ के आन्दोलनों में ब्रिटिश सरकार की मुख-बिरी की है। हिम्मत हो तो कहें माननीय सूचना मन्त्री जी या और कोई व्यक्ति, मैं नाम बतला सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—यह विषयान्तर हो रहा है।

श्री मैनेजरसिंह—मान्यवर, मैं उसको छोड़े देता हूं। मान्यवर, माननीय राम प्यारे जी को बहुत प्रगति नजर आ रही है। उन्हें, कांग्रेस पक्ष में होने के नाते जो सुख सुविधायें प्राप्त हैं, वे मिर्जापुर के देहातों में जाकर देखें कि वहां कितने हरिजन भाइयों को सुविधायें प्राप्त हैं। वहां आज सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके यहां रोटी रोजी का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनके लिये पेय जल तक का प्रबन्ध नहीं है, गृह-निर्माण आदि की बात तो दूर रही।

श्री हरीसिंह—५० प्रतिशत बस्तियां बसाई गयी हैं। (व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। किसी दरबार में एक दरबारी था। कुछ सुख सुविधायें उसको दरबार से मिली हुई थीं। कुछ धान की, कुछ जमीन तथा एक गाय भी मिली हुई थी। अतः दरबार की कृपा से वह खूब दूध-भात खाया करता था। जब दरबार में उससे पूछा जाता था कि रिआया (जनता) की क्या हालत है तो वह यही कहता था कि रिआया बड़े आराम में है और खूब दूध-भात खा रही है। उस दरबार में एक बूढ़ा मन्त्री भी था जो सत्य को ज्यादा पसन्द करता था। उसने कुछ ऐसा प्रबन्ध किया कि एक बार उससे जमीन और गाय आदि छीन ली। उसके बाद उससे दरबार में पूछा गया कि कहो भाई रिआया की अब क्या हालत है। उसने कहा कि सब लोग बहुत मुसीबत में हैं, खाने तक को नहीं है। आज वही दशा हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। उस पक्ष में जिसकी कुर्सी छिन जाती है, उसे ही सही दिखाई देता है।

तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम कभी भी यह नहीं कहते कि टैक्स न लगाया जाय। आप टैक्स लगायें लेकिन टैक्स से जो पैसा आता है उसका पहले आप सदुपयोग करें, फजूलखर्ची को बन्द करें। अगर उस पर भी कमी हो तो टैक्स लगावें। लेकिन उन पर जो देने

लायक हैं। अभाग्य है उत्तर प्रदेश का कि यही एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई भी टैक्स का ऐसा प्रस्ताव सरकार की ओर से नहीं आया कि जिसका बोझ रामरतन गुप्ता जैसे बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर पड़े। इस प्रदेश में सब पूंजीपति सुरक्षित हैं। श्रीमन्, आप भी इसे स्वीकार करेंगे।

हमारे कृषि उपमंत्री माननीय शिवराज सिंह ने कहा कि विकास बहुत हुआ कृषि का। वे १९६२ को आडिट रिपोर्ट देखने की कृपा करें तो उन्हें सत्य का पता चल जायगा उसके पच्चीसवें पन्ने में लिखा हुआ है। लखनऊ, हरदोई और इटावा में कुछ जमीन के सुधार के लिये एक योजना तैयार हुई और उसका ऐस्टीमेट लगभग ३० लाख रुपये का बना। उसमें करीब १० लाख एकड़ भूमि सुधारनी थी। जिसमें अनुमान दो लाख रुपये वार्षिक आय तथा ४,४०० टन गल्ला पैदा होने का था। क्या हुआ? ३० लाख रुपया व्यय हुआ और १० लाख एकड़ की जगह केवल ३ लाख भूमि तोड़ी गई और उसमें १६.१५ लाख रुपये का अब तक घाटा हुआ। यह दशा है कृषि की योजनाओं की।

श्रीमन्, इस नियोजन के युग में औसत निकालने की बहुत बीमारी चली है। उसमें सरकार आज फंसी हुई है। माननीय उपमंत्री जी जैसे कोई एक क़ाबिल मुंशी जी थे, वे किसी दरिया को पार करने गये। नदी की गहराई की नाप लेकर औसत निकाला तो निकला ३॥ फीट। उन्होंने कहा कि मैं तो ५ फीट से भी अधिक लम्बा हूं, इसलिये पार कर जाऊंगा। जब वे दरिया में आगे बढ़े और २, ४ इंच रह गये, तो १ कदम और आगे बढ़े कि नीचे पाताल में पहुंच गये। इसी प्रकार यह सरकार औसतों से इस प्रदेश को गड्ढे में गिरा रही है। कृषि के क्षेत्र में तो और भी प्रगति कम है। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। नियोजन का जितना बल कृषि पर दिया जा रहा है उसमें १ प्रतिशत की भी बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह सच्चाई जानना चाहते हैं तो एक कमेटी बना कर देखें और मुझे भी सूचना दें तो मैं दिखा दूंगा कि कृषि सम्बन्धी नियोजन के आंकड़े कितने झूठे और फर्जी हैं। इस रिपोर्ट से जाहिर है कि कोई तरक्की नहीं हुई है। जनता की गाढ़ी कमाई के रुपये का सरकार ने सही इस्तेमाल नहीं किया। इसलिये अब जनसाधारण पर टैक्स लगाना अनुचित है।

मान्यवर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई के बारे में आडिट पुस्तिका में है कि १५.३० करोड़ रुपया व्यय करने की योजना बनाई गयी थी और ७ लाख रुपये से अधिक अतिरिक्त आय होने का अन्दाजा था। इसमें हालत यह है कि १३.८२ लाख रुपये का घाटा हुआ पहली योजना में। दूसरी में भी ६.५० करोड़ के करीब खर्च हुआ और उसमें भी घाटा है। इसलिये घाटा हो रहा है कि सरकार के सारे कुंए असफल हो रहे हैं। मंत्री जी! आपके अनुमान के हिसाब से काम नहीं होता है। जब काम पूरा नहीं होता है तो फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि कृषि की पैदावार बढ़ी है?

एक लक्ष्य की बीमारी और है। इस सरकार की लक्ष्य पूर्ति कैसे होती है? एक मद के लिये १० हजार रुपया मंजूर हुआ। ब्लाक वालों ने कह दिया कि दस हजार खर्च हो गया और बस इन्होंने समझ लिया कि शतप्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हो गयी। इसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लक्ष्यपूर्ति का आधार कार्य होना चाहिये।

अपने माननीय साथी जगबीर सिंह की थोड़ी इज्जत करता हूं। पहले वे इस पक्ष में थे अब उधर चले गये हैं। उन्होंने पूर्वी जिलों का जिक्र किया कि उनमें कुछ गांव ऊंचे किये गये हैं। मान्यवर, यहां जब बाढ़ का जिक्र होता है तो बाढ़ की विभीषिका हमारे सामने आ जाती है और कभी-कभी ऐसा रोष आता है और तबियत करती है कि ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को कुर्सी से येनकेन प्रकारेण निकाल बाहर किया जाय। श्रीमन्, आप आडिट रिपोर्ट १९६२ का पृष्ठ ४४ देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है—

"The construction of a Multi-purpose Flood shelter known as Kala Bhawan was taken up in 1956-57 in Azamgarh Town at a cost of Rs. 23,161

[श्री मैनेजरसिंह]

and completed in 1959 and the cost thereof charged to the estimate for "Raising 300 marooned villages in Azamgarh District", although the work had not been included in the estimate. The work was entrusted to the secretary of Hari Awadh Kala Bhawan Samiti, Azamgarh without inviting tenders and taking any earnest money or security deposit. The revised estimate including the cost of the above shelter was sanctioned "*ex post facto*" by the Chief Engineer in July, 1960."

गांवों को ऊंचा करने के लिये जो धन स्वीकृत हुआ था, क्या उससे गांव ऊंचे किये गये ? नहीं। आप देखेंगे कि उस मद से आजमगढ़ शहर में एक कला-भवन का निर्माण हुआ। किसके लिये हुआ ? आजमगढ़ में जो बड़े अफसर रहते हैं, बड़े नेता जाते हैं, हमारे जंगल के मंत्री जाते हैं, हमारे पंडित जी महाराज-राजस्व उपमंत्री जी जाते हैं तो उनके मनोरंजन के लिये यह कला-भवन बनाया गया है। जो पैसा डूबे हुए गांवों को ऊंचा करने के लिये मंजूर किया गया था उससे कला-भवन बनाया गया। यह आपकी विकास की योजनाओं की हालत है। क्या इसी के लिये आप टैक्स चाहते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कोई नियोजन है ही नहीं। इस कांग्रेसी नियोजन के एक-एक इंच से मुझे मतभेद है।

श्रीमन्, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने कहा कि वे बहुमत से आये है। वे ३४ प्रतिशत वोट लेकर आये हैं। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम तो यह बात कहकर आये हैं कि टैक्स लगायेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जैन जिस क्षेत्र से चुनकर मैं आया हूं उसमें गये थे। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने मेरे क्षेत्र में इस बात को एक भी मीटिंग में कहा था कि वे यहां आकर टैक्स लगावेंगे ? क्या उन्होंने ऐसा कहा था ?

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—आप कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करके आये हैं ?

श्री मैनेजरसिंह—कांग्रेस से दुगुना वोट लेकर मैं आया हूं और आज भी इस्तीफा देकर लड़ने के लिये तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि यदि १० गांव सभाओं से कांग्रेस दल प्रस्ताव पास करा दे, जहां से मैं चुन कर आया हूं तो आज ही इस्तीफा दे दूं। आप की तरह से तीन तिकड़म करके नहीं आया हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

***श्री बेचनराम** (जिला मिर्जापुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद का जो संकल्प सामने है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। श्री टम्बेश्वरीप्रसाद का यह संकल्प है कि चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का नवीन टैक्स जनता पर न लगाया जाय और न किसी पुराने टैक्स की दर ही बढ़ायी जाय।

इस संकल्प के रखने का जो उनका मन्तव्य है, जो उनके अन्तर में प्रयोजन है उसको समझ लेना आवश्यक है। जब हमारे दल की तरफ से घाटे का बजट पेश किया गया तो बजट स्पीच में निश्चित रूप से कह दिया गया था कि "अपनी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये हम कर लगायेंगे क्योंकि जो घाटा है वह पंचवर्षीय योजना के ही कारण है। अगर एक वर्ष किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा तो बाद में हमारी सरकार ने निश्चय कर लिया है कि वह टैक्स लगायेगी।" जब कर विधेयक सामने आया तो एक बारगी श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी के दिमाग में इन बातों की पृष्ठभूमि में यह आया कि इस चालू वित्तीय वर्ष में कर न लगाया जाय। मालूम नहीं चालू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष अशुभ है या अगले साल उचित समय आयेगा और इस साल उचित समय नहीं है जिससे उनका यह संकल्प आया है। इस संकल्प से कुछ ऐसा मालूम होता है कि ३१ मार्च के बाद अगले साल शुभ समय आने वाला है। इस संकल्प को रखने से माननीय सदस्य का यह भी मन्तव्य है कि जब टैक्स न लगाया जायगा तो योजना की पूर्ति नहीं होगी और जब योजना को सफलता न मिले तो उनका मन्तव्य पूरा हो जाय। तो वास्तव में इसके लिये विस्तार में जाकर देखने की जरूरत है कि क्यों जनसंघ की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव आया कि कोई टैक्स चालू वित्तीय वर्ष में न लगाया जाय और क्यों योजना कामयाब न हो।

हमें इस बात को देखना है कि योजना की सफलता से हमारे देश में कौन-कौन से निर्माण कार्य होने वाले हैं। अगर योजना पूरी होती है तो जाहिर है कि अर्द्ध सामन्तवादी जो कृषक हैं, जो बड़े भूमि स्वामी हैं और जो अपने हाथ से हल की मुठिया तक नहीं छूते, अपने हाथ से जमीन को न जोतते हैं, न बोते हैं और केवल खेवट में इन्दराज के कारण बड़ी-बड़ी जमींनों के मालिक बने हुए हैं जब कि वे कृषि के उत्पादन में कोई योगदान नहीं करते, देश के संगठन में कोई योग नहीं देते। फिर भी वे आज जमीन के मालिक बने हुए हैं। ऐसे भू-स्वामियों को जमींदारी उन्मूलन से पहले जो अधिकार प्राप्त थे, आज भी वे बड़ी-बड़ी जमींनों को कमांड करते हैं। जाहिर है कि इस योजना से वे समझते हैं कि उनके हाथ से जमींने छीनी जाकर छोटे-छोटे किसानों के हाथ में चली जायंगी। इस तरह से जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको रोजी रोटी मिलेगी, उनके बच्चों को पढ़ने-लिखने की सुविधा होगी और उनकी हालत अच्छी होगी तो वे जमीन से हट कर और कहीं उद्योग धन्धे में लगेंगे। आज जो कृत्रिम किस्म के किसान हैं मगर कानूनी शक्ल में किसान बने हुए हैं उनके हाथ से जमीन छिन जायगी जिसका मतलब होगा हमारे भूमिहीन किसान मजदूरों के पास जमीन का आना और इस अर्द्ध सामन्ती व्यवस्था का विनाश होना, यही हमारी योजना का लक्ष्य है। जाहिर है कि जो समाज, संस्कृति इस सामन्ती व्यवस्था की पोषक है जिसकी सारी दिनचर्या, सारा उस का वातावरण रोज की उसकी आसायश और उसकी सारी सामाजिक प्रेरणा इस पर ही निर्भर है कि कैसे वह जिन्दा रहे। वे चाहते हैं कि इसी तरह से उनका पूंजीवाद का मानसरोवर प्रवाहित होता रहे और वे चाहते हैं कि वह कभी न सूखे और वे समझते हैं कि अगर वह सूखेगा तो हमारी संस्कृति बिगड़ जायगी। वे उसका संरक्षण करते हैं—वे चाहते हैं कि स्टेटस-को बना रहे और उनका मौजूदा समाज वैसा ही बना रहे और जो दबा हुआ है वह आगे न बढ़े, वह उनके कब्जे में सदा के लिये बना रहे। इसी लक्ष्य को लेकर वे आज किसान को भड़काते हैं और चाहते हैं कि वह तरक्की न करे और पीछे ही पड़ा रहे। वे कहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है और सरकार तो केवल शोषण ही करना चाहती है और वह कोई काम प्रदेश की हालत को अच्छा बनाने के लिये नहीं कर रही है। अगर वे इस तरह से जनता को न भड़कायें तो जाहिर है कि उनका मतलब पूरा नहीं हो सकता। उनका ध्येय यही है कि किसी तरह से यह सामन्ती ढांचा खड़ा रहे.....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वह जरा आहिस्ता बोलें।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, उन्होंने आप की बात समझ ली है।

श्री बेचनराम—इस तरह से इन्टरप्शन करने से काम नहीं चलेगा आप हमारी बात को सुनें। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि लोग मिसाल देते हैं कि जापान और अन्य देशों ने जैसे तरक्की की वैसे ही आप भी करें। इस सम्बन्ध में मैं सदन के सामने श्री सी० सी० भट्टाचार्य, गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्पीच की दो चार लाइन पढ़ना चाहता हूं। वे कहते हैं कि—

"I fully agree that the significant progress we have achieved in many directions should not make us complacent. But in comparing our rate of economic growth with that of several advanced countries, particularly Japan in the post war years, a relevant point which should be borne in mind is

[श्री बेचन राम]

that the main factors facilitating such enormous growth there were the availability of technical skill, capacity for organisation, large savings and several other pre-conditions of rapid production.

उन्होंने कहा है कि जापान के विकास का कारण वहां की जो रेपिड प्रोडक्शन के हालात थे और जो टेक्निकल प्रोडक्शन के साधन थे वे ही विशेष कर वहां सफलता दे सके। बहुत से सज्जन हमारे सूबे का मुकाबला दूसरे प्रदेशों से करते हैं...

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, अंग्रेजी में जो उन्होंने पढ़ा है उसका वह जरा अनुवाद कर दें।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने भावार्थ उसका बता दिया है।

श्री बेचनराम—पंजाब, आन्ध्र, मैसूर, और जम्मू काश्मीर से मुकाबला करते हैं, लेकिन जिस बुकलेट से वे हवाला देते हैं उसमें वह यह नहीं देखते कि दूसरे प्रदेशों के लोग कितना इनवेस्टमेंट अपने यहां करने को तैयार हैं। मैं कुछ आंकड़े आप की आज्ञा से रखना चाहता हूं जो १९६०-६१ में प्रदेशों की पर कैपिटा इन्कम के बारे में हैं :

पंजाब—८०.५२
जम्मू काश्मीर—७३.५१
बम्बई—६५.१७
यू० पी०—३३.५३।

इसका कारण यह है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और सामन्तवादी या अर्द्ध सामन्तवादी प्रदेश रहा है। हमारे प्रदेश में जनता पीछे है, जनता की गरीबी, अशिक्षा, देश की स्त्रियों का पिछड़ापन, किसी उद्योग में भाग न लेना, पूंजी को इनवेस्ट न करना, केवल गहने बनवा कर रख लेना, आदि यह प्रवृत्तियां रहीं जिनसे प्रदेश पिछड़ा है। अगर हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबिले इनवेस्ट करता तो जाहिर है हमारे प्रदेश को ज्यादा कांट्रीब्यूशन मिलता और यहां की इन्कम बढ़ती।

इन्कम टैक्स के सम्बन्ध में जो प्रगतिशील देश माने जाते हैं, जिसके बारे में साम्यवादी सदस्य कहा करते हैं, रशा बड़ा प्रगतिवादी देश है और वहां पर प्लानों के जरिये काफ़ी काम हुआ है, उसके कुछ आंकड़े इस पुस्तक "सोवियट टैक्सेशन" से पेश करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि प्लान पीरियड के पूरे समय में एवरेज रेट आफ टैक्सेशन काफ़ी ऊंचा रहा है, कर निर्धारण की दर बहुत ऊंची थी। टेबिल नम्बर ३५ में १९३० से १९४७ तक के आंकड़े दिये हुए हैं—इन्कम टैक्स आन मन्थली वेजेज एन्ड सेलेरीज फ़ार सेलेक्टेड ईयर्स : १९३० में वन हाफ़ एवरेज वेज पर ०.३४ परसेंट टैक्स देना पड़ता था जो १९४७ में ११.०० परसेंट हो गया। एवरेज वेज पर १९३० में ०.७२ परसेंट टैक्स था वह १९४७ में ३६.०० हो गया, यानी ४५ परसेंट बढ़ गया। डबल एवरेज वेज में दिया है १९३० में २.४ परसेंट टैक्स था, १९४७ में वह बढ़ कर १०८ परसेंट हो गया, यानी ५४ परसेंट बढ़ गया।

इसी तरह से टेबिल नम्बर ३६ देखें, एवरेज रेट्स आफ इन्कम आन नान-वर्कर्स विद लार्ज इन्कम्स : १९३० में २.५ परसेंट टैक्स था वह १९४७ में ११.५ परसेंट हो गया, यानी चौगुना हो गया। पर्सन विद अनअर्न्ड इन्कम : १९३० में १८.३ परसेंट था वह १९४७ में ३१.३ हो गया। तो इन सब से पता चलता है कि जिस देश ने अपने निर्माण का निश्चय किया अपनी इकोनामी को बिल्ड अप करना चाहा, डाक्टर अहमद साहब ने एक दिन कहा था अपनी इकोनामी को बिल्ड अप कीजिये, विकसित पूंजीवाद लाइये, तो वह कैसे आयेगा? इकोनोमी कैसे डेवलप होगी? उसी तरह न जिस तरह अन्य देशों ने की। यहां बड़े-बड़े उद्योग होंगे, कल कारखाने होंगे, जिनमें लोग काम करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तब जाकर काम होगा। तो मैं

मिसाल के लिये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अन्य देशों ने अपने निर्माण के लिये कुर्बानियां दीं, तब जाकर वह देश आगे बढ़े। कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिस देश को अपने निर्माण में कुर्बानी न देनी पड़ी हो।

हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वह ऐसा नहीं है जो कृत्रिम है। यह वह कदम है जो परिस्थितियों ने पैदा किया है। आजादी के बाद में जो हमारी आर्थिक दशा थी उस परिस्थिति की उपज है। हमारी स्थिति उस युग की उपज है। योजनाओं को पूरा करने के लिये साधनों का जुटाने की जरूरत है चाहे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे कितनी बदनामी का सामना करना पड़े। गीता में हमने पढ़ा है :

"सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि मात्यजेत् ।
सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृत्ताः ।।"

कोई भी काम शुरू करने से पहले तो उसमें दोष जरूर रहता है, उसमें शुरू में कठिनाई जरूर आयेगी जैसे कि आग में धुआं छिपा रहता है।

इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—इससे पहले कि मैं कुछ कहूं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, इजाजत हो तो उसे आपके सामने रख दूं :—

"भाव के भूखे भगवान।" यहां सरकार टैक्सों की भूखी है भावों की भूखी नहीं है। 'भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझ को भजे तो भव से बेड़ा पार है।' लेकिन यहां तो टैक्स न हो तो बेड़ा ही पार नहीं होता। अन्न भी बहुत मिल रहा है, वस्त्र भी बहुत मिल रहा है। क्या कहना है!

"अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिये,
आप हो जावे मेरा, बस पूर्ण यह सत्कार है।
भाव बिन सब कुछ दे डाले, तो मैं लेता नहीं,
भाव से इक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है।"

अगर हम गवर्नमेंट के हो जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गरीबी को दूर कर लेते तब बात थी। हम तो इस खयाल के हैं लोग कहते हैं कि हमें सुझाव दो, सुझाव दो मैं सुझाव देता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सरकार बनाइये और इस गरीबी और इस फजूलखर्ची को दूर कीजिये। यहां पर फजूल बहस से कुछ लाभ नहीं होता।

"भाव बिन सूनी पुकार, मैं कभी सुनता नहीं,
भाव पूरित टेर ही, करती मुझे लाचार है।"

लेकिन आप चिल्लाते हैं टैक्स दो, टैक्स दो। जनता के हृदय से पूछिये कि आज टैक्स वह देकर खुश है? कभी खुश नहीं होगी। असली मांग तो यह है कि गरीबी हमारी दूर हो, तब हम समझें कि वाकई हम आजाद हैं। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, कोई तरक्की नहीं की, लेकिन इसके यह माने नहीं कि जनता बहुत खुशहाल है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां देखिये कि दरियाओं ने कितनी खराबी की है। लिहाजा गवर्नमेंट असली मानी में गरीबी को दूर करने की कोशिश करे और टैक्सों को न लगाये तो बड़ी अच्छी बात होगी।

यहां पर हम बहस करते हैं, बिजली जलती है, पंखे चलते हैं, लेकिन गरीब जनता को देखिये कि उसे चिराग के लिये मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता। आप टैक्सों को कम से कम लगाइये और जहां तक हो सके न लगाइये।

"भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिन्ता नहीं,
भाव वाले भक्त का, भरपूरा मुझ पर भार है"।

[श्री प्रेमसिंह]

हम जमींदार बहुत खराब थे, जितना खून चूसते थे उसकी सजा मिल चुकी है १४ साल से ज्यादा बनवास देना चाहते हैं तो यह गैर मुनासिब है ।

बांध लेते हैं मुझे यों दृढ़ जंजीरों में,
इसलिये इस भूमि पर होता मेरा अवतार है ।

जब बहुत कठिनाइयां होती हैं तो ईश्वर इस दुनियां में तशरीफ लाते हैं । अब कठिनाइयां इतनी बढ़ गयी है कि मेरे खयाल से उनका अवतार होने ही वाला है या आ गये हों किसी रूप में मैं नहीं कह सकता ।

यह तो हुई प्रार्थना टैक्स के बारे में, अब असली मानों पर आइये । माननीय मुख्य मंत्री गुप्ताजी, आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जो इर्द गिर्द आपके हैं वे आपको ले डूबेंगे क्योंकि सम्पूर्णानन्द जी के मामले में देखिये क्या हुआ । सरकारी कर्मचारियों ने उनका, बस क्या कहें, आगे ज्यादा न कहें तो अच्छा है । पहली बात, हमारे मुख्य मंत्री जी, आपने शादी तो शायद नहीं की लेकिन हम लोगों ने तो की है । हम लोगों को बच्चों की परवरिश भी करनी है और उनकी देखभाल भी करनी है लिहाजा हम लोगों को मालूम होता है कि टैक्स देना क्या है और किस को कहते हैं । अगर हम लोगों को आप अपना सन या किसी और रूप में एडाप्ट कर लीजिये तो बेहतर होगा । हमारी जिम्मेदारी कम हो जायगी और हम समझेंगे कि वाकई हम आजाद हो गये । अगर बच्चे को तालीम देनी है और उसको कहीं स्कूल में दाखिल करना है तो हम क्या बतलायें कि कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । हमारे एक बच्चा है । उसको मैं दाखिल कराने के लिये ले जाता हूं क्योंकि जितनी तनख्वाह मिलती है उसी में गुजारा करना चाहते हैं, घर से तो पैसा मिलना नहीं है, घर से मैं बिल्कुल खिलाफ हूं इसीलिये यहां आया हूं ।

हमारे मुख्य मंत्री अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिये सारे शासन की शक्ति लगाये हुये हैं । ठीक है । हमारे वाल्दैन भी किसी जमाने में लगाया करते थे । तो ठीक है आपके लिये भी । लेकिन देश की भलाई तो नहीं हो रही है । आप कहते हैं कि हो रही है । यह ठीक है कि कुछ हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिये वह नहीं हो रही है । मैं तो यह भी कहता हूं कि मैं आप में आ के शामिल हो जाता हूं । चलिये इस पार्टी को भी छोड़ता हूं । लेकिन सही मानों में आप मुझे यह विश्वास दिला दीजिये कि मेरे क्षेत्र में सड़कें और पुल बन जायेंगे । कहीं सीक्रेट आर्डर्स न दे दीजियेगा कि देखो, इसके क्षेत्र में कुछ नहीं होना चाहिये । यह भी डर लगता है । मैं तो चाहता हूं कि मैं भी सन्यास ले लूं तो बेहतर है । गांधीजी मार डाले गये थे लिहाजा मैं भी मार डाला जाऊं तो बेहतर है । मैं इसकी भी चिन्ता नहीं करता । लेकिन मैं यह सोचता हूं कि जो गरीब जनता है, जिसने मुझे चुन कर भेजा है उसकी भलाई होनी चाहिये । यहां फजूल बहस से क्या फायदा । यहां बहस रोज होती है और हम हराम के दस रुपये रोज खाते हैं । २०० रुपये तनख्वाह मिलती है, उसमें कुछ भला नहीं होता और जैसा कि मैंने कहा घर से कुछ आने का नहीं । मैं बार-बार उसे नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ों की बुराई करना उचित नहीं है ।

अब अफसरों के रिवार्ड के बारे में सुनिये । अफसरों को कुछ कर दिया जाता है जिसको आप गुप्त समझिये । यानी हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि बुराई करना हमारा फर्ज नहीं है । क्या यह सही नहीं है कि कई मिनिस्टरों के रिश्तेदारों के खिलाफ गबन के मामले थे और उनके खिलाफ मुकदमे चलाये गये, लेकिन आपने रोक दिया ? हमारे यहां भी गरीब किसान चिल्लाता आता था कि मारे जूतों के भोर हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं करते थे । अब वह वक्त आ गया है । हम आजाद हैं और अंग्रेज नहीं हैं तो इसके माने यह नहीं हैं कि हम लोग जमींदार बन कर बैठ जायं । हम और वह दोनों ग्रुप एक होने चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की बात बहुत दूर की है । लेकिन यहां की और केन्द्र की सरकार एक होनी

चाहिये । अगर दोनों सरकारें एक हो जायं तो बहुत अच्छा है । जो इतना वेस्ट आफ मनी हो रहा है वह नहीं होना चाहिये । मिनिस्टर साहब हवाई जहाज पर चढ़े डोलते हैं । क्या यह फजूलखर्ची नहीं है ? आप यहीं से आदेश दे दें तो चाहे वह हो सकता है । हम जो लोग यहां आते हैं तो लाल पगड़ी वाले और पी० ए० सी० वाले भी आ जाते हैं । गरीबों के लिये कहिये कि उनको किस चीज की आवश्यकता है । उन्हें कपड़े की जरूरत हो तो कपड़ा दीजिये । खाने की जरूरत हो तो खाना दीजिये । हमें घेरकर यह लाल पगड़ी वाले और पी० ए० सी० वाले बैठ जाते हैं । यह अच्छा नहीं मालूम होता है । आगे आपकी जैसी मर्जी ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि योजनाओं से बहुत बड़ा काम हो रहा है । क्या कहने हैं ! लेकिन फारिन डिगनैटरीज आते हैं तो हम उनको कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और ताजमहल आदि जगह दिखाते हैं । बड़े बड़े शहनशाहों ने जो गरीबों के खून चूसे थे उनकी यादगार बनी रहे । यह क्या ताजमहल है ? यह वही ताज महल है जिसके लिये मैंने कहा था कि मैं भी देखने जाऊंगा, लेकिन खुदा जाने कब वह दिन आयगा जब हमें फ्री पास मिलेगा और हम उसे देख सकेंगे । यह आजादी हुई है । इसी को आजादी कहते हैं, फर्स्ट क्लास में चले जाइये । अगर घरवाली के साथ जाओ तो पता नहीं टिकिट कहां से आयगा । आगरा के ताजमहल को लोग बाहर से देखने आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं । एक कम्युनिस्ट विचारों के शायर ने कहा है—वह जमुना का किनारा है, यह चमनगार, यह मेहराव एक शाहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मुहब्बत का मजाक उड़ाया है । इसीलिये आप भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, उड़ाइये, हमें कोई दुख नहीं है । लेकिन असली माने में आजाद हो जाइये । ऐसी चीज आप न करें जो हमने की है । आप हमारी नकल न करें । क्या यह सही है नहीं है कि यह जनता के खून और पसीने की कमाई का पैसा है, इसका नाजायज इस्तेमाल होता है ?

इन चन्द बातों से मैं टैक्स का विरोध करता हूं । (लाल बत्ती होने पर) ठीक है । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । हम आपको भी मौका देते रहेंगे बोलने के लिये, लेकिन यह जो फजूल की बहस की परम्परा बनी हुई है यह नहीं होनी चाहिये । जो पैसा हमारा असेम्बली पर खर्च होता है उसे क्षेत्रों में लगाया जाय । हम लोगों को अपने क्षेत्र की जनता की देखभाल करनी चाहिये । यहां पर बैठकर फिजूल बहस करना बेकार है । अगर आप यह सोचते हों कि हमें इलेक्शन में आना है तो हमारा इस्तीफा ले लीजिये मैं चुनाव लड़ने के लिये नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सबको जनता में जाकर काम करना चाहिये । जो फजूलयात यहां पर होती हैं उसको रोकना चाहिये । इन चन्द शब्दों के साथ मैं टैक्सेज का विरोध करता हूं । फिर मौका आयगा तो आप सुनेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—(श्री लखीसिंह जी से) आप ५ मिनट ही बोलना चाहते थे ।

श्री लखीसिंह—अधिष्ठाता जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता—सदन ५ मिनट के लिये और बैठेगा ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—अधिष्ठाता जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने अन्त में मुझे ५ मिनट का समय दिया । पांच मिनट में क्या कहूं ? वैसे प्रेमसिंह जी ने काफी कोरम पूरा कर दिया और इधर से श्यामलाल जी ने और उधर से हरीसिंह जी ने तो रेकार्ड ही तोड़ दिया । तो यह लोग अब तोड़ फोड़ पर आ गये । अगर सरकार तोड़ फोड़ करे तो इनको वहीं भेजा जाय जहां सन् १९३० और ४२ में पकड़कर हम भेजे जाते थे ।

इधर से दो माननीय सदस्यों ने कितने अच्छे सुझाव दिये । वैसे इधर के सभी अच्छे सुझाव देते हैं, लेकिन दो माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये उनका भी खंडन कर डाला । बाकी छोड़ दो, सौ रुपया लो महीने में और पांच रुपये भत्ते के लो । मैं कहता हूं सभी सोश-

[श्री लखीसिंह]

लिस्ट पार्टी की तरफ से हम छोड़ सकते हैं। २४ साथी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनसे होगा क्या ? उस साथी ने यह सुझाव दिया था कि पहले आप त्याग करिये, इन तनख्वाहों में से, इन भत्तों में से, तब उन गरीब मजदूर किसानों से टैक्स देने को कहिये। यह है आदर्श। लेकिन जब बुद्धि भगवान नहीं देते, द्रोणाचार्य जैसे मंत्री बैठे हुए हैं, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी सद्बुद्धि नहीं दे सकते तो हमारी क्या चले मैं तो इधर के माननीय सदस्यों से कहता हूं कि आप घबड़ाओं मत, यह सरकार जो तानाशाह सरकार है यह हमारी नहीं अपने खास माननीय लोगों की बात भी नहीं, मानती। यह बिक्री कर टैक्स जो काला टैक्स, राक्षस टैक्स, है, इसलिये श्री मोरारजी देसाई ने ७ अप्रैल, १९६० को लोक सभा में भरे अधिवेशन में उपरोक्त बातों को स्वीकार करते हुये कहा था, जो बड़े बड़े समाचारपत्र में छपा था कि बिक्री कर के बजाय उत्पादन कर लगा देना चाहिये। यहीं नहीं राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाडिया ने ७ सितम्बर, १९६० को विकास परिषद् नयी दिल्ली में अपनी राय देते हुए कहा था कि बिक्री कर के बजाय उत्पादन कर लगा देना चाहिये। कुछ माननीय सदस्य कह गये कि कांग्रेस ने हमें सिखाया है कि जो खराब सरकार बने उसको उलट देना चाहिये। गांधी जी ने हमको सिखाया है कि जो खराब सरकार हो चाहे वह सोशलिस्ट की हो या कांग्रेस की, उसकी कब्र खोद देनी चाहिये। कांग्रेस हमारी गुरु है। अधिष्ठाता जी, तीन मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---एक मिनट है।

श्री लखीसिंह---पंजाब के वित्त मंत्री श्री गोपीचन्द भार्गव ने २२ अप्रैल, १९६० को विधान सभा में भाषण देते हुए बिक्री कर की प्रणाली को अनुचित बताते हुए कहा कि बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन कर लगाना चाहिये। बड़े-बड़े महान् नेता जो आजादी की जंग में जूझते हुए चले आये उन्होंने यह कहा तो हम से नहीं कह सकते हो यह बात ? ऐसी कांग्रेस से सैकड़ों कोस आगे सोशलिस्ट पार्टी है जिसने कांग्रेस से कहीं ज्यादा कुर्बानियां की हैं।

श्री अधिष्ठाता---अब आपका समय समाप्त।

श्री लखीसिंह---मुझे २ मिनट अभी और दे दीजिये क्योंकि दो बहुत जरूरी बातें कहनी हैं।

श्री अधिष्ठाता---अब हम उठते हैं और सोमवार को साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर सोमवार, २४ सितम्बर, १९६२ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२२ सितम्बर, १९६२।

पी० एस० यू०पी०-ए०पी० १९३ एस०ए---१९६२---८३० (प्रो०)।